रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112026-277762
CG-DL-E-07112026-277762

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 335] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 6, 2026/कार्तिक 15, 1948
No. 335] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 2026/KARTIKA 15, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2026

मामला सं. एडी (एसएसआर)-05/2026

चीन जन.गण. में उत्पन्न या वहां से निर्यातित "अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका" के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच



फा. सं. 7/09/2026-डीजीटीआर.–सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975, समय-समय पर यथासंशोधित (जिसे इसमें इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) और उसके अंतर्गत बनाई गई सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995, समय-समय पर यथासंशोधित (जिसे इसमें इसके बाद "पाटनरोधी नियमावली" या "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसमें इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) को कैबट सनमार लिमिटेड (जिसे इसमें इसके बाद "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" कहा गया है) से चीन जन.गण. (जिसे इसमें इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) में उत्पन्न या वहां से निर्यातित "अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका" (जिसे इसमें इसके बाद "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के विस्तार हेतु सूर्यास्त समीक्षा की शुरुआत का अनुरोध करते हुए एक आवेदन प्राप्त हुआ।

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं. 7/09/2026-डीजीटीआर दिनांक 20 मार्च 2026 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसके द्वारा चीन जन.गण. से आयात पर संबद्ध जांच की शुरुआत की गई। यह जांच अधिनियम की धारा 9क(5) के साथ पठित नियमावली के नियम 23 के अनुसार यह जांच करने के लिए शुरू की गई कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है और क्या पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है।

A. मामले की पृष्ठभूमि

3. चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के आयात से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना दिनांक 22 सितंबर 2020 के माध्यम से शुरू की गई थी। घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत समर्थित आवेदन के अनुसरण में और विस्तृत जांच के बाद, प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि इन देशों से आयात पाटित कीमतों पर हो रहा था और इससे घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई थी। तदनुसार, अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 6/40/2020-डीजीटीआर दिनांक 20 सितंबर 2021

के माध्यम से प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। तत्पश्चात, वित्त मंत्रालय ने सिफारिश को स्वीकार किया और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 66/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 11 नवंबर 2021 के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क लगाया।

4. तत्पश्चात, प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 7/05/2024-डीजीटीआर दिनांक 31 दिसंबर 2024 के माध्यम से यह जांच करने के लिए आमेलन-रोधी जांच शुरू की कि क्या शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड द्वारा शुल्कों का आमेलन किया जा रहा था। जांच करने के बाद प्राधिकारी ने पाया कि उत्पादक ने उपायों को आमेलित कर लिया था और अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 7/05/2025-डीजीटीआर दिनांक 11 अगस्त 2025 के माध्यम से लगाए गए शुल्क की मात्रा में संशोधन की सिफारिश की तथा वित्त मंत्रालय द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 30/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 27 अक्टूबर 2025 के माध्यम से इसे लागू किया गया। पाटनरोधी शुल्क को अधिसूचना संख्या 19/2026-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा 10 फरवरी 2027 तक और विस्तारित किया गया।

5. अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, उसके अंतर्गत लगाया गया कोई भी पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले प्रतिसंहृत न कर दिया जाए, लगाए जाने की तारीख से पांच (5) वर्ष से अनधिक अवधि तक प्रवृत्त रहेगा। अधिनियम की धारा 9क(5) का परंतुक आगे ऐसे शुल्क को पांच (5) वर्ष तक की और अवधि के लिए विस्तारित करने का प्रावधान करता है, जहां उसकी समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना हो, और वह निम्नानुसार है:

> *"परंतु यदि केंद्र सरकार, किसी समीक्षा में, इस मत की है कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है, तो वह समय-समय पर ऐसे शुल्क को लगाए जाने की अवधि को पांच वर्ष तक की और अवधि के लिए विस्तारित कर सकती है और ऐसी और अवधि ऐसे विस्तार के आदेश की तारीख से प्रारंभ होगी।"*

6. इसके अतिरिक्त, नियमावली का नियम 23(1ख) निम्नानुसार प्रावधान करता है:

> *"अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई भी निश्चित पाटनरोधी शुल्क, उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रभावी रहेगा, जब तक कि निर्दिष्ट प्राधिकारी, उस अवधि से पहले स्वप्रेरणा से या घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत समर्थित अनुरोध पर, उस अवधि की समाप्ति से पूर्व युक्तियुक्त समय के भीतर शुरू की गई समीक्षा में, इस निष्कर्ष पर न पहुंचें कि उक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है"*

7. चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क प्रवृत्त हैं। आवेदन केवल चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के संबंध में दायर किया गया था। तदनुसार, चूंकि कोरिया गणराज्य से पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में कोई विधिवत समर्थित आवेदन नहीं था, इसलिए वर्तमान समीक्षा कोरिया गणराज्य से आयात के संबंध में शुरू नहीं की गई।

8. उपर्युक्त के अनुसार, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत समर्थित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करें कि क्या विद्यमान पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है।

B. प्रक्रिया

9. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

शुरुआत।

i. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत करने से पहले भारत में संबद्ध देश के दूतावास को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में सूचित किया

ii. आवेदन की जांच करने पर, प्राधिकारी ने पाटन और परिणामी क्षति का प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाया। अतः, भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं. 7/09/2026-डीजीटीआर दिनांक 20 मार्च 2026 के माध्यम से प्राधिकारी ने वर्तमान कार्यवाही की शुरुआत की।

9.2 जांच अवधि और क्षति अवधि

iii. जांच अवधि ("जांच अवधि") 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 मानी गई। क्षति अवधि में 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि और जांच अवधि को शामिल किया गया

9.3 आयात आंकड़े

iv. महानिदेशालय (प्रणाली एवं डेटा प्रबंधन) ("डीजी सिस्टम्स") से क्षति अवधि के लिए विचाराधीन उत्पाद के लेन-देन-वार आयात आंकड़ों हेतु अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी को आंकड़े प्राप्त हुए और लेन-देनों की विधिवत जांच के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए इन आंकड़ों पर भरोसा किया गया है।

9.4 आवेदन के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन।

v. नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में संबद्ध सामान के ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को शुरुआत अधिसूचना की प्रति साझा करके जांच की शुरुआत के बारे में हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया।

vi. नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, संबद्ध आयात के ज्ञात निर्यातकों और उन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जिन्होंने आवेदन की प्रति के लिए लिखित में अनुरोध किया था, आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।

vii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार को प्रश्नावली भेजी। संबद्ध देश की सरकार से अनुरोध किया गया कि वह शुरुआत अधिसूचना और प्रश्नावलियों को अपने देश में विचाराधीन उत्पाद के

उत्पादकों को अग्रेषित करे और उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दे।

9.5 संबद्ध देश के निर्यातकों और भारत में विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं/आयातकों को सूचना और उनकी भागीदारी।

viii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी मांगते हुए संबद्ध सामान के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी

ix. संबद्ध देश के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकरण कराया है:

क्र.सं.	**संबद्ध देश में निर्यातकों / उत्पादकों का नाम**
1	वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड
2	वैकर केमिकल्स (चीन) कंपनी लिमिटेड
3	वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड
4	शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड

x. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी मांगते हुए भारत में संबद्ध सामान के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी

xi. भारत के निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकरण कराया है:

क्र.सं.	**भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं का नाम**
1	वैकर मेट्रोआर्क केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2	जय केम मार्केटिंग

xii. शुरुआत अधिसूचना के उत्तर में, वर्तमान जांच में किसी भी एसोसिएशन ने भाग नहीं लिया है या अभ्यावेदन नहीं दिया है।

xiii. संबद्ध देश के उन उत्पादकों/निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है या इस जांच से संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की है, असहयोगी माना गया है।

9.6 सार्वजनिक फाइल

xiv. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर अभ्यावेदनों के अगोपनीय रूपांतर सेतु पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराए।

9.7 आर्थिक हित प्रश्नावली

xv. प्राधिकारी ने लोकहित तथा व्यापक अर्थव्यवस्था पर शुल्कों के प्रभाव का आकलन करने के लिए आर्थिक हित प्रश्नावली ("ईआईक्यू") जारी की। ईआईक्यू की एक प्रति संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को भेजी गई। ईआईक्यू को प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया।

9.8 मौखिक सुनवाई

xvi. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 7 जुलाई 2026 को आयोजित सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करें, जिसके बाद प्रत्युत्तर अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाएं।

9.9 आगे की प्रक्रिया।

xvii. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई जानकारी की जांच ऐसे गोपनीयता दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर, गोपनीयता के दावों को जहां उचित था वहां स्वीकार किया गया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव था, गोपनीय आधार पर जानकारी

देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर दायर जानकारी का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करें।

xviii. जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने जानकारी को गोपनीय होने का दावा किया है, प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों में उसे प्रकट नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई गोपनीय जानकारी से प्राधिकारी द्वारा संसाधित की गई किसी भी जानकारी को भी इन अंतिम जांच परिणामों में गोपनीय माना गया है और वास्तविक आधार पर प्रकट नहीं किया गया है, क्योंकि इन अंतिम जांच परिणामों में ऐसी जानकारी के वास्तविक आधार पर प्रकटन से उस जानकारी का प्रकटन हो जाएगा जिसकी गोपनीयता नियमावली द्वारा संरक्षित की गई है।

xix. नियम 8 के अनुसार, घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई जानकारी और आंकड़ों की सटीकता का सत्यापन प्राधिकारी द्वारा जांच के दौरान उस सीमा तक किया गया जिसे प्रासंगिक, व्यवहार्य और आवश्यक समझा गया। प्रस्तुत आंकड़ों और दस्तावेजों का सत्यापन इन अंतिम जांच परिणामों का आधार है, और प्राधिकारी ने वर्तमान कार्यवाही में अपने विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों पर भरोसा किया है।

xx. क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए और नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, भारत में घरेलू समान वस्तु की उत्पादन लागत तथा उसे बनाने और बेचने की लागत के आधार पर किया गया है।

xxi. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और दी गई जानकारी पर, उस सीमा तक जहां तक वे साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक समझे गए हैं, विचार किया गया है।

xxii. नियमावली के नियम 16 के अनुसार, विचाराधीन आवश्यक तथ्यों को प्रकटन विवरण दिनांक 29 अक्टूबर 2026 के माध्यम से ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया, और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर अपनी टिप्पणियां देने के लिए पांच दिन का समय दिया गया। प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड, वैकर समूह (वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड, वैकर केमिकल्स (चीन) कंपनी लिमिटेड

और वैकर मेट्रोआर्क केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड), जय केम मार्केटिंग और घरेलू उद्योग से प्राप्त हुईं। प्राप्त टिप्पणियों की, उस सीमा तक जहां तक उन्हें प्रासंगिक समझा गया, जांच की गई है और इन अंतिम जांच परिणामों में उनका समाधान किया गया है।

xxiii. इन अंतिम जांच परिणामों में "***" किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई जानकारी को दर्शाता है और नियमावली के अंतर्गत उसे इसी रूप में माना गया है।

xxiv. वर्तमान जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹86.76 है, जैसा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा अधिसूचित किया गया है, जो आयातित माल के मूल्य के रूपांतरण के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा अधिसूचित, जांच अवधि के दौरान प्रवृत्त विनिमय दरों का औसत है। इन अंतिम जांच परिणामों में सर्वत्र यही दर लागू की गई है।
स्रोत: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate

C. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

C.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अभ्यावेदन।

10. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन दिए हैं:

i. अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका एक समान या समरूप उत्पाद नहीं है।

ii. इसका विनिर्माण और विक्रय इसके अंतिम उपयोग और विनियामक अपेक्षाओं के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में किया जाता है।

iii. फार्मास्युटिकल ग्रेड सामग्री और गैर-फार्मास्युटिकल ग्रेड सामग्री के बीच एक बुनियादी अंतर है। ये दोनों श्रेणियां विनिर्देशों, विनियामक अनुपालन, ग्राहक अपेक्षाओं और कार्यात्मक उपयोग के संदर्भ में भिन्न हैं।

iv. फार्मास्युटिकल ग्रेड सामग्री को काफी उच्च शुद्धता मानकों का अनुपालन करना होता है और इसका विनिर्माण, रखरखाव और कुछ मामलों में पुनः पैकेजिंग नियंत्रित वातावरण में किया जाना अपेक्षित है।

v. फार्मास्युटिकल ग्रेड उत्पादों में व्यापक परीक्षण, वैधीकरण और प्रमाणन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जिनमें बैच-वार परीक्षण, स्थिरता अध्ययन और विनियामक फाइलिंग का रखरखाव शामिल है।

vi. उत्पाद की ये दोनों श्रेणियां पूर्णतः भिन्न बाजार खंडों में कार्य करती हैं और अलग-अलग मूल्य निर्धारण तंत्र के अधीन हैं।

vii. ग्रेड-आधारित विभेदन को प्राथमिक मानदंड के रूप में शामिल करने के लिए पीसीएन पद्धति अपनाई जानी चाहिए।

viii. शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड मुख्यतः औद्योगिक ग्रेड अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका का विनिर्माण और निर्यात करती है। वैकर फार्मास्युटिकल और विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए उच्च-मूल्य वाले उत्पादों की आपूर्ति करती है। यदि फार्मास्युटिकल और गैर-फार्मास्युटिकल ग्रेडों के बीच कोई अंतर नहीं है, तो दोनों उत्पादकों की कीमतों के बीच इतने बड़े अंतर का कोई कारण नहीं है।

ix. अलग-अलग पीसीएन का विरोध करते हुए भी, इसने फार्मास्युटिकल और गैर-फार्मास्युटिकल ग्रेडों का अलग-अलग विश्लेषण किया है और स्वीकार किया है कि फार्मास्युटिकल खंड काफी अधिक लाभप्रद है। इसका अपना विश्लेषण यह स्थापित करता है कि दोनों ग्रेड वाणिज्यिक रूप से भिन्न हैं

C.2 घरेलू उद्योग के अभ्यावेदन।

11. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन दिए हैं।

i. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका है।

ii. उत्पाद का क्षेत्र वही है जो प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में परिभाषित किया गया था।

iii. फार्मा और गैर-फार्मा के लिए अलग-अलग पीसीएन के मुद्दे की जांच मूल जांच में की गई थी और प्राधिकारी ने माना था कि दोनों को अलग-अलग पीसीएन के रूप में मानने की आवश्यकता नहीं है।

iv. दोनों ग्रेडों के लिए अलग-अलग पीसीएन केवल तभी उपयुक्त हैं जब उत्पाद की उत्पादन लागत में सारवान अंतर हो।

v. फार्मा और गैर-फार्मा अनुप्रयोगों के लिए आपूर्ति किए गए उत्पाद की उत्पादन लागत में कोई अंतर नहीं है।

vi. जब तक संबद्ध देश का उत्पादक यह दावा नहीं करता कि वह बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति में कार्य कर रहा है, कीमत में अंतर का पाटन मार्जिन के निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

vii. संबद्ध देश के उत्पादक द्वारा लागत और कीमत में अंतर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

C.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

12. वर्तमान जांच एक सूर्यास्त समीक्षा जांच है, और विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया था। मूल जांच में परिभाषित और शुरुआत के चरण में विचार किया गया विचाराधीन उत्पाद नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है -

"3. आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका" है। सिलेन यौगिक के वाष्प-चरण ज्वाला हाइड्रोलिसिस से विनिर्मित सिंथेटिक सिलिका को सामान्यतः फ्यूम्ड सिलिका के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की सिंथेटिक सिलिका अपनी कार्यात्मकता, विनिर्माण प्रक्रिया और आवश्यक कच्चे माल के कारण अन्य सिलिका से भिन्न है। जबकि अन्य सिंथेटिक सिलिका द्रव चरण में सिलिकेट विलयन से बनाई जाती हैं, फ्यूम्ड सिलिका का विनिर्माण गैस चरण में बहुत उच्च तापमान पर किया जाता है।

4. फ्यूम्ड सिलिका को अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका और ट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका क्लोरोसिलेन फीडस्टॉक के ऑक्सीजन-हाइड्रोजन ज्वाला में 1800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ज्वाला हाइड्रोलिसिस द्वारा बनाई जाती है। यह प्रक्रिया श्रृंखला जैसे एग्रीगेट और एग्लोमरेट से युक्त विशिष्ट संरचना वाली सिलिका के उत्पादन को संभव बनाती है।

5. अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका का विशिष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा होता है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के मानों, जैसे 150 या 200 या 300 या 380 वर्ग मीटर/ग्राम, के आधार पर अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका को विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त

विभिन्न ग्रेडों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे प्रचलित ग्रेड 200 वर्ग मीटर/ग्राम है, जिसका उपयोग विविध अनुप्रयोगों में किया जाता है।

6. यह एक मुक्त-प्रवाही चूर्ण उत्पाद है, जिसका उपयोग व्यापक अनुप्रयोगों में किया जाता है। अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका ठोस प्रणालियों में मुक्त-प्रवाह गुणों में सुधार करती है और फार्मास्युटिकल्स में मुक्त-प्रवाह और टैबलेटिंग एजेंट के रूप में तथा खाद्य पदार्थों और कृषि रसायनों में एंटी-केकिंग एजेंट के रूप में प्रयुक्त होती है। इसका उपयोग द्रव फ्लेवर और सुगंधों के वाहक के रूप में भी किया जाता है। संबंधित उत्पाद ठोस है जिसका शुद्ध भार किलोग्राम या एमटी में व्यक्त किया जाता है।

7. फ्यूम्ड सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड को अध्याय 28, उपशीर्ष 2811 2200 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। भारत में आयात की जा रही अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के उपशीर्ष 28112190, 2839100 और अध्याय 34 के 34049090 जैसे विभिन्न एचएस कोडों के अंतर्गत भी आयात की जा रही है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक प्रकृति का है और जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।"

13. विचाराधीन उत्पाद के आयात पर चीन से आयात के लिए एशिया-प्रशांत व्यापार करार, 1975 के अंतर्गत 4.13% की मूल सीमा शुल्क रियायत प्राप्त है।

14. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से किसी बहिष्करण या उसमें संशोधन की मांग नहीं की है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अभ्यावेदन पीसीएन पद्धति अपनाने तक सीमित हैं, जिसकी जांच नीचे की गई है। तदनुसार, प्राधिकारी मूल जांच में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को यथावत बनाए रखते हैं।

➢ <u>पीसीएन पर टिप्पणियां</u>

15. प्राधिकारी ने पीसीएन पद्धति अपनाने की आवश्यकता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों की जांच की है।

16. पीसीएन पद्धति अपनाने के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अंतिम उपयोग, विनियामक अपेक्षाओं और मूल्य निर्धारण में

अंतर के आधार पर उत्पाद को फार्मास्युटिकल और गैर-फार्मास्युटिकल ग्रेडों में पृथक करने का प्रस्ताव किया है। यह देखा गया है कि यद्यपि फार्मा और गैर-फार्मा ग्रेडों की कीमत में अंतर स्वीकार किया गया है (घरेलू उद्योग द्वारा तथा शेडोंग द्वारा भी), किसी भी पक्षकार ने दोनों ग्रेडों की उत्पादन लागत में किसी अंतर को न तो मात्राबद्ध किया है और न ही सत्यापन योग्य साक्ष्य से समर्थित किया है। दोनों ग्रेडों के बीच कथित अंतर फार्मास्युटिकल ग्रेड उत्पादों में व्यापक परीक्षण, वैधीकरण और प्रमाणन प्रक्रियाओं, जिनमें बैच-वार परीक्षण, स्थिरता अध्ययन और विनियामक फाइलिंग का रखरखाव शामिल है, से उत्पन्न होना बताया गया है। तथापि, इन प्रक्रियाओं के लागत प्रभाव को प्रदर्शित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि विभिन्न ग्रेडों की उत्पादन लागत में कोई सारवान अंतर नहीं है। शेडोंग के इस तर्क के संबंध में कि फार्मास्युटिकल और गैर-फार्मास्युटिकल ग्रेडों के लिए अलग-अलग पीसीएन की आवश्यकता वैकर और शेडोंग के निर्यातों की कीमत में अंतर से समर्थित होती है, क्योंकि वैकर विशेष रूप से फार्मास्युटिकल ग्रेड उत्पाद का निर्यात करती है और उसकी कीमत अधिक है, वैकर ने इस दावे का प्रतिवाद किया है और स्पष्ट किया है कि वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड फार्मास्युटिकल ग्रेड संबद्ध सामान का विनिर्माण नहीं करती है, और वैकर केमिकल्स (चीन) कंपनी लिमिटेड भारत को उसका निर्यात नहीं करती है। दोनों प्रतिभागी उत्पादक भारत को गैर-फार्मास्युटिकल ग्रेड उत्पाद का निर्यात करते हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि दो निर्यातकों के निर्यात मूल्यों की तुलना अपने आप में ग्रेडों के बीच अंतर स्थापित नहीं कर सकती, क्योंकि प्रत्येक निर्यातक की कीमत उसके अपने वाणिज्यिक विचारों को दर्शाती है।

17. प्राधिकारी देखते हैं कि यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं रखे गए हैं कि उत्पाद विशेषताओं में ऐसे अंतरों के परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में सारवान भिन्नता होती है, जिससे अलग-अलग पीसीएन की आवश्यकता हो। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीसीएन पद्धति का उद्देश्य उन उत्पाद प्रकारों के बीच उचित तुलना सुनिश्चित करना है जिनकी भौतिक या तकनीकी विशेषताओं से लागत और कीमत में सारवान अंतर उत्पन्न होता है। केवल बिक्री कीमत में अंतर अलग-अलग पीसीएन की आवश्यकता का निर्णायक नहीं होता, क्योंकि कीमतें विभिन्न कारकों से निर्धारित होती हैं, जिनमें से कुछ का उत्पादन लागत से संबंध नहीं भी हो सकता है। अन्यथा भी,

परीक्षण, वैधीकरण, प्रमाणन और विनियामक फाइलिंग की लागतें गुणवत्ता-नियंत्रण और अनुपालन उपरिव्यय की प्रकृति की हैं। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह नहीं दर्शाया है कि ये लागतें कुल उत्पादन लागत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, या ये दोनों ग्रेडों के बीच लागत में सारवान अंतर उत्पन्न करती हैं। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि फार्मास्युटिकल और गैर-फार्मास्युटिकल ग्रेडों के बीच पृथक्करण के मुद्दे की जांच मूल जांच में की गई थी, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि ऐसा भेद अलग-अलग पीसीएन की आवश्यकता नहीं दर्शाता। वर्तमान जांच में, पूर्व दृष्टिकोण से विचलन को न्यायोचित ठहराने के लिए कोई नया साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है। प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि क्षतिरहित कीमत घरेलू उद्योग की लागत संरचनाओं पर आधारित है। ऐसी स्थिति में जहां घरेलू उद्योग ने विभिन्न ग्रेडों की उत्पादन लागत में कोई सारवान अंतर नहीं बताया है, क्षतिरहित कीमत विभिन्न ग्रेडों के लिए समान रहेगी, विशेषकर तब जब अलग पीसीएन का अनुरोध करने वाले पक्षकार ने यह दावा नहीं किया है कि उसने दोनों ग्रेडों का निर्यात किया है। अतः, विभिन्न ग्रेडों के आयात मूल्यों को पृथक करने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा और उत्पादों को एक या अलग-अलग पीसीएन के रूप में माने जाने पर परिणामी क्षति मार्जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपर्युक्त के आलोक में, प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि यद्यपि फार्मास्युटिकल और गैर-फार्मास्युटिकल ग्रेडों के बीच बाजार मूल्य निर्धारण सहित भिन्न वाणिज्यिक और विनियामक विशेषताएं विद्यमान हैं, हितबद्ध पक्षकार संबंधित ग्रेडों के बीच वास्तविक उत्पादन लागत में भिन्नता प्रदर्शित करने वाली सत्यापन योग्य और मात्राबद्ध सामग्री रिकॉर्ड पर रखकर अपेक्षित प्रमाण-भार का निर्वहन करने में विफल रहे हैं।

18. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान जांच में कोई पीसीएन पद्धति अपनाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

19. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देश से आयातित सामान भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन तथा माल के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। तदनुसार, यह माना जाता है कि

घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की 'समान वस्तु' है।

D. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और स्थिति

D.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अभ्यावेदन

20. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग और स्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन नहीं दिया है।

D.2 घरेलू उद्योग के अभ्यावेदन

21. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग और स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन दिए हैं:

i. आवेदन कैबट सनमार लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है, जो भारत में संबद्ध सामान की एकमात्र उत्पादक है।

ii. आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध सामान का आयात नहीं किया है और वह न तो संबद्ध देश के किसी निर्यातक से और न ही भारत के किसी आयातक से संबद्ध है।

D.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

22. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

> *"(ख) "घरेलू उद्योग" से समान वस्तु के विनिर्माण और उससे संबंधित किसी कार्यकलाप में लगे समग्र रूप से घरेलू उत्पादक या वे उत्पादक अभिप्रेत हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात है, सिवाय उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबद्ध हों या स्वयं उसके आयातक हों, ऐसी स्थिति में 'घरेलू उद्योग' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"*

23. वर्तमान आवेदन कैबट सनमार लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध सामान की एकमात्र उत्पादक है।

24. आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध सामान का आयात नहीं किया है और वह न तो संबद्ध देश में संबद्ध सामान के किसी निर्यातक उत्पादक से और न ही भारत में उत्पाद के किसी आयातक से संबद्ध है। डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों की जांच की गई है, और यह पाया गया है कि आवेदक ने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

25. उपर्युक्त को देखते हुए, यह माना जाता है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के नियम 23 के साथ पठित नियम 5(3) के अनुसार स्थिति (स्टैंडिंग) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

E. विविध मुद्दे और गोपनीयता।

E.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अभ्यावेदन

26. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता और अन्य मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं: -

i. घरेलू उद्योग ने संभावना का दावा करने के लिए अप्रमाणित बाजार अनुसंधान रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

ii. घरेलू उद्योग ने आयात की मात्रा और आयात के मूल्य का पता लगाने के लिए अप्रमाणित आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है।

iii. पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य स्थायी संरक्षण प्रदान करना नहीं है और इसे नियम 23 के अंतर्गत केवल तभी जारी रखा जा सकता है जब सकारात्मक साक्ष्य से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना स्थापित होती हो। चूंकि ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः विद्यमान शुल्क को समाप्त हो जाने दिया जाना चाहिए।

E.2 घरेलू उद्योग के अभ्यावेदन

27. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता और अन्य मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं: -

i. हितबद्ध पक्षकारों के इस अभ्यावेदन पर कि घरेलू उद्योग ने अप्रमाणित आंकड़ों पर भरोसा किया है, व्यापार उपचार महानिदेशालय महानिदेशालय (प्रणाली एवं डेटा प्रबंधन) (डीजी सिस्टम्स) या डीजीसीआईएंडएस से सूचना मंगाता है और निर्धारण के प्रयोजन के लिए उसी को अपनाता है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तावित निर्धारण के लिए केवल अपने ही आंकड़ों के उपयोग पर जोर नहीं दिया है।

ii. हितबद्ध पक्षकारों के इस अभ्यावेदन पर कि घरेलू उद्योग ने अप्रमाणित आंकड़ों पर भरोसा किया है, घरेलू उद्योग ने बीजिंग साइनो एडवांस्ड केमिकल मटेरियल्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन (एसीएमआई) की रिपोर्टों पर भरोसा किया है, जो नए रासायनिक पदार्थ उद्योग के अनुसंधान और विकास में विशेषज्ञता रखने वाला एक पेशेवर सेवा संगठन है।

E.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

28. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल अभ्यावेदनों के अगोपनीय रूपांतर सेतु पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराए। सूचना की गोपनीयता के संबंध में, नियमावली के नियम 7 में निम्नानुसार प्रावधान है:

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) और नियम 17 के उप-नियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां, या जांच के दौरान किसी पक्षकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर दी गई कोई अन्य सूचना, निर्दिष्ट प्राधिकारी के उसकी गोपनीयता के संबंध में संतुष्ट हो जाने पर, उनके द्वारा गोपनीय मानी जाएगी और ऐसी कोई सूचना, ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकते हैं और यदि, ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार की राय में, ऐसी सूचना का सारांश बनाया जाना संभव नहीं है, तो ऐसा पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांश बनाना क्यों संभव नहीं है।

(3) उप-नियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक करने के लिए या सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।"

29. घरेलू उद्योग और प्रतिभागी निर्यातकों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए अभ्यावेदनों की, जिस सीमा तक उन्हें प्रासंगिक माना गया, प्राधिकारी द्वारा जांच की गई और तदनुसार उनका समाधान किया गया। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, बाजार हिस्सा, स्टॉक, बिक्री कीमत, लागत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर प्रतिफल, क्षतिरहित कीमत, उत्पादन लागत से संबंधित सूचना, सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन, मूल्य समायोजन, लाभ से संबंधित सूचना, बिक्री माध्यम, बिक्री और क्रय दस्तावेज, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के नाम आदि जैसी सूचना पर गोपनीयता का दावा किया है। यह भी देखा गया है कि जहां कहीं सूचना क्षति अवधि के लिए है, वही सूचकांकित आधार पर दी गई है। क्षतिरहित कीमत और मूल्य कटौती जैसी सूचना आवेदक द्वारा सीमा (रेंज) में प्रकट की गई है।

30. हितबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न सहायक दस्तावेजों और सूचना में, जहां कहीं ऐसी सूचना उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की गई है, गोपनीयता का दावा किया है। उन मामलों में जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किए हैं, उन्हें गोपनीय होने का दावा किया गया है। जहां कहीं हितबद्ध पक्षकारों ने किसी दस्तावेज को गोपनीय होने का दावा किया है, यह नोट किया जाता है कि इन हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि इन दस्तावेजों

का सारांश बनाया जाना संभव नहीं है और उन्होंने कारण दिए हैं कि सारांश बनाना क्यों संभव नहीं है।

31. प्राधिकारी ने सूचना की प्रकृति और प्रत्येक दावे के समर्थन में दिए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता दावों की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यवसाय-संबंधी संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहां कहीं उचित था, गोपनीयता दावों को स्वीकार किया है, और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है।

32. आयातों की जांच के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रयुक्त आंकड़ों की विश्वसनीयता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों पर, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से लेन-देन-वार आयात आंकड़े मंगाए और उनकी तुलना आवेदक द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़ों से की, और पाया कि आयात मात्रा और कीमत तुलनीय थीं। किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी ने शुरुआत, वर्तमान जांच और प्रस्तावित निर्धारण के प्रयोजन के लिए डीजी सिस्टम्स के लेन-देन-वार आंकड़ों पर भरोसा किया है।

33. आवेदक द्वारा भरोसा की गई बाजार अनुसंधान रिपोर्टों की विश्वसनीयता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने उद्योग-विशिष्ट स्रोतों से प्राप्त सूचना पर भरोसा किया है। विशेष रूप से, घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा की गई रिपोर्ट बीजिंग साइनो एडवांस्ड केमिकल मटेरियल्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन और साइनो अलायंस ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट ऑफ सिलिकॉन इंडस्ट्री द्वारा प्रकाशित की गई है, जो सिलिकॉन उद्योग से संबंधित अनुसंधान और विकास में संलग्न संस्थान हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने यह स्थापित करने के लिए कोई सामग्री या साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं रखा है कि उक्त रिपोर्टें अविश्वसनीय हैं या उनमें विश्वसनीयता का अभाव है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी के विचारार्थ कोई विपरीत साक्ष्य या सूचना प्रदान नहीं की गई है। प्राधिकारी ने विद्यमान उपायों की समाप्ति की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना का आकलन करते समय चीन के प्रतिभागी उत्पादक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर भी विचार किया है। उपर्युक्त

को देखते हुए, प्राधिकारी को उक्त रिपोर्टों में अंतर्विष्ट सूचना की अनदेखी करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं मिलता है और तदनुसार, उन्होंने वर्तमान प्रयोजन के लिए उसी को ध्यान में लिया है।

34. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अभ्यावेदन के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने को उचित ठहराने के लिए सारवान साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, यह नोट किया जाता है कि जांच की शुरुआत को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सूचना और प्रथम दृष्टया साक्ष्य रिकॉर्ड पर रखे गए थे। प्राधिकारी, उपलब्ध सूचना की जांच करने पर, संतुष्ट थे कि यह जांचने के लिए कि क्या पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है, जांच की शुरुआत के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया आधार विद्यमान थे। अंतिम निष्कर्ष सभी तथ्यों की जांच पर आधारित होगा।

<u>पाटन का आकलन - पद्धति और मानदंड</u>

F. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण

F.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अभ्यावेदन

35. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं।

i. चीन जन.गण. के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था होने की धारणा और बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) का दावा दाखिल करने की अपेक्षा 11 दिसंबर 2016 को चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के प्रावधानों की समाप्ति के साथ समाप्त हो गई। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण प्रतिभागी चीनी उत्पादकों की वास्तविक घरेलू कीमतों और लागतों के आधार पर किया जाना चाहिए, और 2016 के पश्चात प्रतिनिधि देश पद्धति पर भरोसा करना विश्व व्यापार संगठन के दायित्वों से असंगत है

ii. चीन के लिए सामान्य मूल्य चीन के उत्पादकों द्वारा दी गई लागत और कीमत संबंधी सूचना के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।

iii. शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड की वास्तविक निर्यात मूल्य प्रवृत्ति इस आरोप का समर्थन नहीं करती कि उत्पादक/निर्यातक द्वारा भारतीय बाजार में पाटन जारी रखने या पुनः आरंभ करने की संभावना है।

iv. वैकर समूह समूह के भीतर अंतरणों के लिए यूरोपीय बिक्री कीमतों के संदर्भ में एक वैश्विक संदर्भ मूल्य निर्धारण मॉडल पर कार्य करता है, और वैकर के मूल्य निर्धारण पर भरोसा करने से सामान्य मूल्य का निर्धारण विकृत हो जाएगा।

v. घरेलू उद्योग ने यह स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं रखा है कि जापानी निर्यात कीमतें एक उपयुक्त बेंचमार्क हैं या कि उत्पाद विनिर्देशों, ग्रेड, बाजार स्थितियों या लागत संरचना की दृष्टि से तुलनीय हैं।

F.2 घरेलू उद्योग के अभ्यावेदन

36. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

i. परिग्रहण प्रोटोकॉल और प्राधिकारी की पद्धति के अनुसार, चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार केवल तभी अनुमत किया जा सकता है जब उसका दावा किया जाए और उसकी उपयुक्तता प्रदर्शित की जाए।

ii. किसी भी उत्पादक ने गैर-बाजार अर्थव्यवस्था (एनएमई) प्रश्नावली दाखिल नहीं की है।

iii. चूंकि किसी भी उत्पादक ने यह नहीं दर्शाया है कि उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, अतः प्राधिकारी के लिए चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना अपेक्षित नहीं है।

iv. सामान्य मूल्य जापान से आयात मूल्य पर आधारित होना चाहिए, जिसे शुद्ध कारखाना-स्तर (एक्स-फैक्टरी) पर पहुंचने के लिए समायोजित किया गया हो।

F.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

37. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

i. समान वस्तु के लिए, जब वह निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, व्यापार के सामान्य अनुक्रम में तुलनीय कीमत, जो उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित की गई हो, या

ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार के सामान्य अनुक्रम में समान वस्तु की कोई बिक्री न हो, या जब विशेष बाजार स्थिति या निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्री की कम मात्रा के कारण, ऐसी बिक्री उचित तुलना की अनुमति न देती हो, तो सामान्य मूल्य निम्न में से कोई एक होगा:

a. समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधि कीमत, जब वह निर्यातक देश या क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को निर्यात की जाती है, जो उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित की गई हो; या

b. मूल देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत, साथ में प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों के लिए, और लाभ के लिए, उचित जोड़, जो उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित की गई हो;

परंतु मूल देश से भिन्न किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में और जहां वस्तु को निर्यात के देश के माध्यम से मात्र पारेषित (ट्रांसशिप) किया गया हो या ऐसी वस्तु निर्यात के देश में उत्पादित न होती हो या निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत न हो, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण मूल देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

38. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी गईं, जिनमें उन्हें निर्धारित प्रपत्र और रीति में सूचना देने की सलाह दी गई। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए हैं: (क) शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड (उत्पादक और निर्यातक); और (ख) वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड (उत्पादक), अपने संबद्ध निर्यातक वैकर केमिकल्स (चीन) कंपनी लिमिटेड के साथ।

F.3.1 <u>चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण।</u>

39. प्राधिकारी चीन जन.गण. के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और पैरा 8 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों को नोट करते हैं:

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर, या जहां यह संभव न हो, किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में अदा की गई या देय कीमत शामिल है, जिसे यदि आवश्यक हो तो उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए सम्यक रूप से समायोजित किया गया हो, किया जाएगा। एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उचित रीति से [संबंधित देश के विकास के स्तर और प्रश्नगत उत्पाद को ध्यान में रखते हुए] किया जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना को सम्यक रूप से ध्यान में रखा जाएगा। समय-सीमा के भीतर, जहां उपयुक्त हो, किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में किसी समान मामले में की गई जांच, यदि कोई हो, को भी ध्यान में रखा जाएगा। जांच के पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त चयन की सूचना अनुचित विलंब के बिना दी जाएगी और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित समयावधि दी जाएगी।

"8. (1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" पद का अर्थ ऐसे किसी देश से है जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार, लागत या मूल्य निर्धारण संरचनाओं के बाजार सिद्धांतों पर कार्य न करने वाला निर्धारित करते हैं, जिससे ऐसे देश में माल की बिक्री माल के उचित मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करती।

(2) यह धारणा होगी कि कोई भी देश जिसे जांच से पूर्व की तीन वर्ष की अवधि के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा या विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनों के लिए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित किया गया है, या ऐसा माना गया है, वह गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। परंतु, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश की संबंधित फर्में निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी सूचना और साक्ष्य प्रदान करके

ऐसी धारणा का खंडन कर सकती हैं जो यह स्थापित करते हों कि उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर ऐसा देश गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में संबंधित फर्मों के कीमतों, लागतों और निविष्टियों, जिनमें कच्चा माल, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन, बिक्री और निवेश शामिल हैं, के संबंध में निर्णय आपूर्ति और मांग को प्रतिबिंबित करने वाले बाजार संकेतों के अनुसार और इस संबंध में महत्वपूर्ण राज्य हस्तक्षेप के बिना लिए जाते हैं, और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागतें सारभूत रूप से बाजार मूल्यों को प्रतिबिंबित करती हैं; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतें और वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से आगे ले जाई गई महत्वपूर्ण विकृतियों के अधीन हैं, विशेष रूप से परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास, अन्य बट्टे खाते डालने, वस्तु-विनिमय व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संबंध में; (ग) ऐसी फर्में दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अधीन हैं जो फर्मों के परिचालन के लिए कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं, और (घ) विनिमय दर रूपांतरण बाजार दर पर किए जाते हैं। परंतु, जहां इस पैरा में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य द्वारा यह दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक या अधिक ऐसी फर्मों के लिए बाजार स्थितियां विद्यमान हैं, वहां निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 और इस पैरा में निर्धारित सिद्धांतों के स्थान पर पैरा 1 से 6 में निर्धारित सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं।

(4) उप-पैरा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जिसे, प्रासंगिक मानदंडों के नवीनतम विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर, जिसमें उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंड शामिल हैं, ऐसे मूल्यांकन के किसी सार्वजनिक दस्तावेज में प्रकाशन द्वारा, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य किसी देश द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है या माना जाना निर्धारित किया गया है।"

40. शुरुआत के चरण में, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानने की धारणा के साथ कार्यवाही की। शुरुआत के उपरांत, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों को शुरुआत की सूचना का उत्तर देने और इस बारे में सूचना देने की सलाह दी कि क्या उनके आंकड़े/सूचना को सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को इस संबंध में प्रासंगिक सूचना देने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार/अनुपूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं।

41. विश्व व्यापार संगठन में चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार प्रावधान है:

"(क) गैट 1994 के अनुच्छेद VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत मूल्य तुलनीयता का निर्धारण करते समय, आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य निम्नलिखित नियमों के आधार पर या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीनी कीमतों या लागतों का उपयोग करेगा या ऐसी पद्धति का उपयोग करेगा जो चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के साथ कठोर तुलना पर आधारित न हो:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दर्शा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तो आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य मूल्य तुलनीयता के निर्धारण में जांचाधीन उद्योग के लिए चीनी कीमतों या लागतों का उपयोग करेगा;

(ii) आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के साथ कठोर तुलना पर आधारित न हो, यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह नहीं दर्शा सकते कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं।

(ख) एससीएम करार के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में, अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में वर्णित सब्सिडियों पर विचार करते समय, एससीएम करार के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे; तथापि, यदि उस प्रयोग में विशेष कठिनाइयां हों, तो आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य सब्सिडी लाभ

की पहचान और मापन के लिए ऐसी पद्धतियों का उपयोग कर सकता है जो इस संभावना को ध्यान में रखती हों कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें सदैव उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में उपलब्ध नहीं हो सकतीं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य को चीन के बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग पर विचार करने से पहले ऐसी प्रचलित निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी पद्धतियों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा और उप-पैरा (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी और प्रतिकारी उपाय समिति को अधिसूचित करेगा।

(घ) एक बार जब चीन आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत यह स्थापित कर ले कि वह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप-पैरा (क) के प्रावधान समाप्त हो जाएंगे, बशर्ते कि आयातक सदस्य के राष्ट्रीय कानून में परिग्रहण की तिथि के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था के मानदंड अंतर्विष्ट हों। किसी भी स्थिति में, उप-पैरा (क)(ii) के प्रावधान परिग्रहण की तिथि के 15 वर्ष बाद समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, यदि चीन आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसार यह स्थापित कर ले कि किसी विशेष उद्योग या क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तो उप-पैरा (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रावधान उस उद्योग या क्षेत्र पर आगे लागू नहीं होंगे।"

42. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि चीन जन.गण. के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(ii) के प्रावधान 11 दिसंबर 2016 से समाप्त हो गए हैं, तथापि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के प्रावधान, परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित, यह अपेक्षा करते हैं कि नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंडों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) का दर्जा प्राप्त करने के दावे के लिए अनुपूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाए।

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में उल्लिखित धारणाओं का खंडन करने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है। अतः पैरा 8(2) के अंतर्गत धारणा अखंडित बनी रहती है, और अन्य हितबद्ध पक्षकारों का यह अनुरोध कि सामान्य मूल्य प्रतिभागी उत्पादकों की घरेलू कीमतों और लागतों के आधार पर निर्धारित किया जाए, स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन परिस्थितियों में, प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।

44. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I का पैरा 7 गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य की गणना के लिए अनेक संभाव्य पद्धतियां निर्धारित करता है, जिनमें शामिल हैं (क) किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर; (ख) किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात मूल्य; और (ग) किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में अदा की गई या देय कीमत शामिल है, जिसे यदि आवश्यक हो तो उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए सम्यक रूप से समायोजित किया गया हो। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अंतर्गत, सामान्य मूल्य का निर्धारण पहले किसी प्रतिनिधि देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर, या ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यातों की कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए।

45. आवेदन दाखिल करने के चरण में, आवेदक ने अभ्यावेदन किया कि चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य जापान से आयात मूल्य पर आधारित होना चाहिए, जिसे शुद्ध कारखाना-स्तर (एक्स-फैक्टरी) पर पहुंचने के लिए समायोजित किया गया हो। शुरुआत के प्रयोजन के लिए, सामान्य मूल्य का निर्धारण जापान से आयात मूल्य के आधार पर किया गया, जिसे शुद्ध कारखाना-स्तर (एक्स-फैक्टरी) पर पहुंचने के लिए समायोजित किया गया।

46. नियमावली के अंतर्गत पहला विकल्प किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करना है। इसमें ऐसे तीसरे देश में विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री कीमत शामिल हो सकती है, चाहे

वह किसी घरेलू उत्पादक द्वारा ली गई हो या किसी उपभोक्ता द्वारा अदा की गई कीमत में प्रतिबिंबित हो, जिसमें वह स्थिति भी शामिल है जहां उत्पाद किसी अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता से प्राप्त किया गया हो, या किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में उत्पादन लागत, जिसमें लाभ के लिए उचित जोड़ किया गया हो। जांच के किसी भी पक्षकार ने किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत से संबंधित सूचना प्रदान नहीं की है। तदनुसार, इस पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सका।

47. अगला विकल्प किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को निर्यात मूल्य है। पाटनरोधी उपायों के अधीन न आने वाले किसी देश से भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात की सर्वाधिक मात्रा जापान से थी। जापान से संबद्ध उत्पाद के आयात न केवल जांच अवधि के दौरान बल्कि संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान भी दर्ज किए गए हैं।

48. नीचे दी गई तालिका जांच अवधि के दौरान जापान और चीन से आयातों को, फार्मास्युटिकल और गैर-फार्मास्युटिकल क्षेत्रों के बीच उनके पृथक्करण सहित, दर्शाती है।

विवरण	**मात्रा एमटी में**	**सीआईएफ मूल्य रु. लाख में**	**सीआईएफ कीमत** रु. प्रति एमटी
जापान से आयात	762	3,587	4,70,394
फार्मा ग्रेड	-	-	-
गैर-फार्मा ग्रेड	762	3,587	4,70,394
चीन जन.गण. से आयात	1,381	4,409	3,19,361
फार्मा ग्रेड	199	754	3,78,424
गैर-फार्मा ग्रेड	1,181	3,655	3,09,403

49. यह देखा गया है कि जांच अवधि के दौरान जापान से आयात पूर्णतः गैर-फार्मास्युटिकल ग्रेड के हैं, जो वह ग्रेड है जिसका चीन जन.गण. से आयातों में लगभग 86% हिस्सा

है। अतः जापान से आयात संबद्ध देश से मुख्यतः आयातित ग्रेड के तुलनीय हैं। यह भी नोट किया जाता है कि मूल जांच और आमेलन-रोधी जांच में, सामान्य मूल्य का निर्धारण जापान से गैर-फार्मा ग्रेड के आयात मूल्य के आधार पर किया गया था, और वर्तमान समीक्षा की शुरुआत के चरण में भी वही आधार अपनाया गया था। शुरुआत अधिसूचना में, हितबद्ध पक्षकारों को सामान्य मूल्य के निर्धारण की पद्धति के संबंध में टिप्पणियां और सुप्रमाणित दावे प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। तथापि, वे मूल जांच में स्थापित पद्धति से विचलन की आवश्यकता को प्रदर्शित करने वाला कोई सारवान औचित्य प्रदान करने में विफल रहे हैं।

50. इसे देखते हुए, प्राधिकारी मानते हैं कि चीन के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण जापान से भारत को औसत निर्यात मूल्य के आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जा सकता है। चूंकि यह सीआईएफ निर्यात मूल्य है, अतः इसे सीआईएफ से कारखाना-स्तर (एक्स-फैक्टरी) तक के व्ययों के लिए समायोजित किया गया है। इस प्रकार सामान्य मूल्य का निर्धारण जापान से भारत को सीआईएफ निर्यात मूल्य में से समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, बंदरगाह व्यय और अंतर्देशीय भाड़ा जैसे व्ययों को घटाकर कारखाना-स्तर (एक्स-फैक्टरी) पर किया गया है। निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

F.3.2 <u>चीन के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण।</u>

i. <u>शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड</u>

51. शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड ने चीन से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक के रूप में भाग लिया है। उत्पादक ने मूल जांच में भी भाग लिया था और उसे शुल्क की व्यक्तिगत दर प्रदान की गई थी। वर्तमान जांच में, उत्पादक ने सूचित किया है कि उसने विचाराधीन उत्पाद का भारत को सीधे निर्यात किया है और इसमें कोई संबद्ध या असंबद्ध व्यापारी शामिल नहीं है।

52. उत्पादक ने *** यूएसडॉ. के बीजक मूल्य पर उत्पाद के *** एमटी का निर्यात किया है। उत्पादक ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और संबंधित व्यय, उधार लागत और बैंक प्रभार के मद में समायोजनों का दावा किया है, और उन्हें

स्वीकार किया गया है। कारखाना-स्तर (एक्स-फैक्टरी) पर निर्यात मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ii. <u>वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड</u>

53. वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड ने चीन से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक के रूप में भाग लिया है। उत्पादक ने मूल जांच में भी भाग लिया था और यह पाया गया था कि उत्पादक के भारत को निर्यातों का पहुंच मूल्य क्षतिरहित कीमत से अधिक था और तदनुसार, उत्पादक के निर्यातों पर किसी शुल्क की सिफारिश नहीं की गई थी। वर्तमान जांच में, उत्पादक ने सूचित किया है कि उसने विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात वैकर केमिकल्स (चीन) कंपनी लिमिटेड के माध्यम से किया है, जिसने भी प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है। वैकर केमिकल्स (चीन) कंपनी लिमिटेड ने भारत में असंबद्ध ग्राहकों के साथ-साथ वैकर मेट्रोआर्क केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को भी बिक्री की है। वैकर मेट्रोआर्क केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने विचाराधीन उत्पाद का उपभोग अनुप्रवाह उत्पाद बनाने के लिए किया है।

54. उत्पादक ने *** यूएसडॉ. के बीजक मूल्य पर उत्पाद के *** एमटी का निर्यात किया है। उत्पादक ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और संबंधित व्यय, उधार लागत, बैंक प्रभार और कमीशन के मद में समायोजनों का दावा किया है, और उन्हें स्वीकार किया गया है। यह देखा गया है कि मूल जांच में उत्पादक का क्षति मार्जिन ऋणात्मक था। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि वर्तमान जांच की जांच अवधि में भी उत्पादक का क्षति मार्जिन ऋणात्मक बना हुआ है। निर्यात मूल्य का निर्धारण दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तर के आधार पर किया गया है। चूंकि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं है जो यह दर्शाए कि सीमा शुल्क को सूचित निर्यात मूल्य विश्वसनीय नहीं है, अतः प्राधिकारी मानते हैं कि शुद्ध निर्यात मूल्य के निर्धारण से उस कीमत को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है जिस पर उत्पादक ने भारत में संबद्ध प्रयोक्ता को निर्यात किया है। कारखाना-स्तर (एक्स-फैक्टरी) पर निर्यात मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

iii. <u>चीन से कोई अन्य उत्पादक/निर्यातक</u>

55. चीन जन.गण. के अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

F.3.3 <u>चीन के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

56. उपर्युक्त रूप से निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के आधार पर, संबद्ध देश के सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन की गणना की गई है और इसे नीचे दर्शाया गया है।

विवरण	**सामान्य मूल्य**	**शुद्ध निर्यात मूल्य**	**पाटन मार्जिन**		
	डॉ./एमटी	**डॉ./एमटी**	**डॉ./एमटी**	**%**	**सीमा**
शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	130-140%
वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड (उत्पादक), वैकर केमिकल्स (चीन) कंपनी लिमिटेड (निर्यातक) के माध्यम से	***	***	***	***	50-60%
अन्य सभी उत्पादक / निर्यातक	***	***	***	***	150-160%

57. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन धनात्मक है और न्यूनतम सीमा (डी-मिनिमिस) से अधिक है। उत्पाद का पाटन जारी रहा है।

<u>क्षति, क्षति की संभावना, कारणात्मक संबंध और लोकहित का आकलन</u>

G. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

G.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अभ्यावेदन

58. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

i. आंकड़ों से यह स्थापित नहीं होता कि चीन जन.गण. से आयातों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है।

ii. यद्यपि क्षति अवधि के दौरान चीन जन.गण. से आयात बढ़े हैं, घरेलू उद्योग ने साथ ही साथ अपने निष्पादन में सुधार किया है।

iii. घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान अपनी घरेलू बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग और उत्पादकता में लगातार वृद्धि की है।

iv. स्थापित क्षमता में 15% की वृद्धि हुई है, उत्पादन में 26% की वृद्धि हुई है और क्षमता उपयोग में 8% का सुधार हुआ है, जो उत्पादन सुविधाओं के निरंतर विस्तार और कुशल उपयोग को दर्शाता है।

v. यद्यपि लाभप्रदता के कुछ मानदंडों में मामूली गिरावट देखी गई है, घरेलू उद्योग पूरी क्षति अवधि के दौरान लाभप्रद बना रहा है।

vi. पाटन का दावा भ्रामक है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद की आयातित कीमत में कोई भी कमी सिलिकॉन धातु की विद्यमान वैश्विक कीमत पर निर्भर करती है।

vii. प्राधिकारी को वैकर को छोड़कर उत्पादक-वार आयात मात्रा की जांच करनी चाहिए।

viii. शुल्क प्रतिसंहृत किए जाने के बाद भविष्य में क्षति की संभावना पाटनरोधी नियमावली के नियम 11(2) को अनुबंध-II (vii) के साथ पढ़ने पर अनुमेय नहीं है।

ix. घरेलू उद्योग के सभी प्रमुख वित्तीय संकेतक धनात्मक बने हुए हैं और नियोजित पूंजी पर घटते प्रतिफल पर निर्भरता भ्रामक है।

x. वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड के उत्पाद मूल्य पर निर्भरता एक गलत मानक है क्योंकि यह समूह के भीतर अंतरण के लिए वैश्विक संदर्भ मूल्य निर्धारण मॉडल पर कार्य करती है, न कि खुले चीनी बाजार के मूल्य निर्धारण का प्रतिनिधित्व करती है;

xi. वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड की पहुंच कीमत आवेदक द्वारा अनुमानित क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) से अधिक है और इसलिए वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड के निर्यात घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा सकते।

xii. मूल्यह्रास और बिक्री व्यय में वृद्धि यह दर्शाती है कि वित्तीय निष्पादन घरेलू उद्योग के स्वयं के निवेश निर्णयों से भी प्रभावित हुआ है।

xiii. नियोजित पूंजी के दोनों घटकों पर एकसमान रूप से 22% अपनाकर नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की गणना पूर्णतः गलत है और इसकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

xiv. घरेलू उद्योग ने स्वयं स्वीकार किया है कि वैकर समूह क्षति नहीं पहुंचा रहा है क्योंकि उसकी कीमतें बहुत अधिक हैं।

xv. घरेलू उद्योग ने केवल चीन जन.गण. से आयातों में वृद्धि पर निर्भरता रखी है, जबकि इस तथ्य की उपेक्षा की है कि क्षति अवधि के दौरान कुल मांग में 124% की वृद्धि हुई और उसकी स्वयं की घरेलू बिक्री में 40% की वृद्धि हुई।

G.2 घरेलू उद्योग के अभ्यावेदन

59. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

i. प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है।

ii. निष्पादन में मात्र सुधार का यह अर्थ नहीं हो सकता कि शुल्क प्रतिसंहृत कर दिया जाना चाहिए।

iii. घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में मूल्य निर्धारक नहीं है और अपनी कीमतें आयात कीमतों के अनुसार तय कर रहा है। गैर-फार्मा क्षेत्र के मामले में, घरेलू उद्योग अपनी कीमतें चीनी आपूर्तिकर्ताओं के अनुसार तय करता है। गैर-फार्मा क्षेत्र में, चीन से पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की कीमतों से उल्लेखनीय रूप से कम है।

iv. शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड की पहुंच कीमत वैकर केमिकल्स (चीन) कंपनी लिमिटेड की पहुंच कीमत से उल्लेखनीय रूप से कम है, जिस पर वर्तमान में शून्य शुल्क है।

v. आयातों की मात्रा अवधि के दौरान बढ़ी और जांच अवधि में सर्वाधिक थी।

vi. आधार वर्ष से आयातों में 377% की वृद्धि हुई है।

vii. जांच अवधि के दौरान भारत में खपत और उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयात सर्वाधिक थे।

viii. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों से सारवान रूप से कम कीमत पर बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।

ix. धनात्मक मूल्य कटौती यह दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्क के अभाव में आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों के अवनमित होने की संभावना है।

x. पाटनरोधी शुल्क के बिना पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत कम है।

xi. आयात कीमत उत्पाद को बनाने और बेचने की लागत से सारवान रूप से कम है।

xii. यदि घरेलू उद्योग को कीमतें कम करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो घरेलू उद्योग को उल्लेखनीय वित्तीय हानि, नकद हानि और निवेश पर ऋणात्मक प्रतिफल का सामना करना पड़ेगा।

xiii. क्षति अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग ने डी-बॉटलनेकिंग के माध्यम से अपनी क्षमता बढ़ाई है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है।

xiv. घरेलू उद्योग अपनी क्षमता के विस्तार के लिए उल्लेखनीय पूंजी निवेश कर रहा है और यदि शुल्क हटा दिए जाते हैं, तो इन निवेशों को गंभीर हानि होगी।

xv. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा घटा है, जबकि चीनी आयातों का हिस्सा धीरे-धीरे बढ़ा है और जांच अवधि में सर्वाधिक था।

xvi. चीन के आयात मात्रा और बाजार हिस्से में वृद्धि गैर-संबद्ध देशों के आयातों की वृद्धि दर की तुलना में अधिक दर से हुई है।

xvii. घरेलू उद्योग के लाभ 2023-24 में घटे और उसके बाद उनमें मामूली वृद्धि हुई।

xviii. घरेलू उद्योग प्रवृत्त शुल्क के कारण लाभ अर्जित करने में सक्षम रहा है।

xix. फार्मा क्षेत्र में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता गैर-फार्मा बाजार की तुलना में कहीं बेहतर है।

G.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

60. पाटनरोधी नियमावली का नियम 11, अनुबंध-II के साथ पठित, यह उपबंध करता है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति का

संकेत दे सकते हैं, "... सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का परिणामी प्रभाव शामिल है..."। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, यह जांच करना आवश्यक माना जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा उल्लेखनीय मूल्य कटौती हुई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को उल्लेखनीय सीमा तक अवनमित करना अथवा उन मूल्य वृद्धियों को, जो अन्यथा हुई होतीं, उल्लेखनीय सीमा तक रोकना है। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले सूचकांकों, जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, माल-सूची, लाभप्रदता, शुद्ध बिक्री प्राप्ति, पाटन का परिमाण और मार्जिन आदि, पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मानदंड गिरावट दर्शाएं। कुछ मानदंड गिरावट दर्शा सकते हैं, जबकि अन्य नहीं। प्राधिकारी ने यह जांच करने के लिए क्षति के सभी मानदंडों पर विचार किया है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति जारी रही है, और क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों पर विचार करते हुए क्षति मानदंडों की वस्तुनिष्ठ जांच की है।

62. प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संबंध पर घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अभ्यावेदनों को नोट किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण स्वतः ही घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों का समाधान करता है।

63. हितबद्ध पक्षकारों ने नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिफल अपनाए जाने पर आपत्ति की है और तर्क दिया है कि इसके स्थान पर पाटन-मुक्त अवधियों के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित नियोजित पूंजी पर वास्तविक प्रतिफल अपनाया जाना चाहिए। प्राधिकारी

नोट करते हैं कि नियमावली का अनुबंध-III नियोजित पूंजी पर उचित प्रतिफल (कर-पूर्व) का उल्लेख करता है और नियोजित पूंजी पर उचित प्रतिफल, जो 22% है, के आधार पर घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करना प्राधिकारी की सुसंगत प्रथा है। उक्त प्रतिफल को उचित माना जाता है क्योंकि इससे उधार पर ब्याज, निगम कर और इक्विटी पर प्रतिफल को पूरा करना अपेक्षित है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ब्रिजस्टोन टायर मैन्युफैक्चरिंग एवं अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (Bridge Stone Tyre Manufacturing & Others vs. Designated Authority) के संदर्भ के संबंध में, यह देखा गया है कि उस मामले में हितबद्ध पक्षकारों ने माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष उस विशेष मामले में प्राधिकारी की सुसंगत प्रथा से विचलन को न्यायोचित ठहराने वाले विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। तथापि, वर्तमान मामले में हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे विचलन को न्यायोचित ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा मैसर्स ह्योसंग कॉर्पोरेशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (M/s Hyosung Corporation vs. Designated Authority) के संदर्भ के संबंध में, यह देखा गया है कि 2011 में माननीय अपीलीय अधिकरण के इस निर्णय के पश्चात, तांगशान सान्यू ग्रुप हांगकांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ (Tangshan Sanyou Group Hong Kong International Trade Co. Limited v. Union of India), मेरिनो पैनल प्रोडक्ट्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (Merino Panel Products v. Designated Authority) और मैसर्स पर्स्टॉर्प केमिकल्स जीएमबीएच एवं अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य (M/s Perstorp Chemicals GmbH & Anr. v. Designated Authority & Ors.) सहित अनेक मामले हुए हैं, जिनमें माननीय अपीलीय अधिकरण ने क्षति विश्लेषण के लिए नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिफल अपनाने की प्राधिकारी की प्रथा को लगातार बरकरार रखा है। अतः प्राधिकारी वर्तमान जांच में नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिफल को उपयुक्त मानते हैं।

G.3.1 पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

a. मांग/खपत का आकलन

64. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग या प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से उत्पाद के आयातों के योग के रूप में किया है।

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
संबद्ध आयात	एमटी	770	960	1,300	1,381
अन्य आयात	एमटी	1,530	1,589	1,755	1,776
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	121	143	140
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	116	138	139

65. यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग क्षति अवधि के दौरान बढ़ी है और जांच अवधि में सर्वाधिक थी।

b. निरपेक्ष और सापेक्ष रूप में आयात

66. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में, या तो निरपेक्ष रूप में या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन से, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आयात आंकड़ों पर निर्भरता रखी है। सूचना निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
संबद्ध आयात	एमटी	770	960	1,300	1,381
अन्य आयात	एमटी	1,530	1,589	1,755	1,776
कुल आयात	एमटी	2,301	2,549	3,055	3,156
आयात निम्नलिखित के संबंध में:					
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	115	136	142
भारतीय खपत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	107	122	129
कुल आयात	%	33%	38%	43%	44%

67. यह देखा गया है कि:

i. संबद्ध आयातों की मात्रा क्षति अवधि के दौरान बढ़ी, जिसमें सबसे तीव्र वृद्धि 2024-25 में हुई। मात्रा जांच अवधि में सर्वाधिक थी।

ii. संबद्ध देश से आयातों में आधार वर्ष से जांच अवधि तक 79% की वृद्धि हुई है।

iii. आयात भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में भी बढ़े हैं। जांच अवधि के दौरान भारत में खपत और उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयात सर्वाधिक थे।

iv. भारतीय उत्पादन के संबंध में आयात आधार वर्ष में *** से बढ़कर जांच अवधि में *** हो गए, जो क्षति अवधि में 13 प्रतिशत अंकों की वृद्धि है।

v. भारतीय खपत के संबंध में आयात आधार वर्ष में *** से बढ़कर जांच अवधि में *** हो गए, जो क्षति अवधि में 4 प्रतिशत अंकों की वृद्धि है।

68. आवेदक ने फार्मा और गैर-फार्मा अनुप्रयोग में विचाराधीन उत्पाद के आयात आंकड़ों की सूचना प्रदान की है। यह कहा गया है कि संबद्ध देश से भारतीय बाजार में प्रवेश करने वाले अधिकांश आयात गैर-फार्मा ग्रेड में हैं, जबकि गैर-संबद्ध देशों से आयात फार्मा ग्रेड में हैं। नीचे दी गई तालिका डीजी सिस्टम्स के लेन-देन-वार आंकड़ों के अनुसार सूचना दर्शाती है। यह देखा गया है कि यद्यपि यह सही है कि चीन से आयात मुख्यतः गैर-फार्मा ग्रेड में हैं, अन्य देशों से आयात फार्मा और गैर-फार्मा दोनों ग्रेड में फैले हुए हैं। घरेलू उद्योग ने भी फार्मा और गैर-फार्मा दोनों ग्रेड में बिक्री की है।

विवरण	**इकाई**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**जांच अवधि**
चीन से आयात	**एमटी**	**770**	**960**	**1,300**	**1,381**
फार्मा	एमटी	190	214	274	199
गैर-फार्मा	एमटी	580	746	1,026	1,181
अन्य देशों से आयात	**एमटी**	**1,530**	**1,589**	**1,755**	**1,776**
फार्मा	एमटी	684	692	867	858

गैर-फार्मा	एमटी	846	897	888	918
घरेलू उद्योग की बिक्री	**एमटी**	***	***	***	***
फार्मा	एमटी	***	***	***	***
गैर-फार्मा	एमटी	***	***	***	***

69. नीचे दी गई तालिका क्षति अवधि के दौरान विभिन्न स्रोतों से गैर-फार्मा और फार्मा ग्रेड की कीमत दर्शाती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जहां फार्मा और गैर-फार्मा ग्रेड की उत्पादन लागत में कोई सारवान अंतर नहीं है, वहीं फार्मा और गैर-फार्मा ग्रेड की कीमत में सारवान अंतर है। यह कीमत अंतर चीनी उत्पादकों (जहां अंतर बहुत कम है) को छोड़कर प्रत्येक आपूर्तिकर्ता के संबंध में देखा गया है।

विवरण	**इकाई**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**जांच अवधि**
चीन से आयात					
फार्मा	रु./एमटी	5,05,983	4,21,447	4,05,416	3,78,424
गैर-फार्मा	रु./एमटी	4,31,300	2,82,076	3,22,299	3,09,403
अन्य देशों से आयात					
फार्मा	रु./एमटी	6,48,703	6,23,856	5,95,523	6,32,068
गैर-फार्मा	रु./एमटी	5,48,698	4,99,181	4,81,657	4,77,352
घरेलू उद्योग की बिक्री					
फार्मा	रु./एमटी	***	***	***	***
गैर-फार्मा	रु./एमटी	***	***	***	***

G.3.2 पाटित आयातों का मूल्य प्रभाव

70. नियमावली के अनुबंध-II (ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा उल्लेखनीय मूल्य कटौती हुई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को उल्लेखनीय सीमा तक अवनमित करना अथवा उन मूल्य वृद्धियों को, जो अन्यथा हुई होतीं, उल्लेखनीय सीमा तक रोकना है।

a. मूल्य कटौती

71. मूल्य कटौती का निर्धारण जांच अवधि के लिए घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री प्राप्ति की तुलना संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से करके किया गया है।

विवरण	इकाई	मूल्य
पहुंच कीमत	रु./एमटी	3,33,870
बिक्री कीमत	रु./एमटी	***
मूल्य कटौती	रु./एमटी	***
मूल्य कटौती	%	50-60%

72. यह देखा गया है कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमत में उल्लेखनीय रूप से कटौती कर रहे थे।

b. मूल्य दमन और अवनमन

73. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को अवनमित कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को उल्लेखनीय सीमा तक दबाना अथवा उन मूल्य वृद्धियों को रोकना है जो सामान्य क्रम में अन्यथा हुई होतीं, क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तनों की तुलना निम्नानुसार की गई:

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	90	81	78
शुद्ध बिक्री प्राप्ति	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	79	74	75

74. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों क्षति अवधि के दौरान घटीं, और बिक्री कीमत में गिरावट (25%) बिक्री लागत में तदनुरूपी गिरावट (20%) से अधिक थी। बिक्री कीमत में गिरावट मुख्यतः 2023-24 में हुई। उसके बाद, बिक्री कीमत में मामूली गिरावट हुई। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू

उद्योग की बिक्री कीमत पूरी क्षति अवधि के दौरान उसकी बिक्री लागत से ऊपर बनी रही है, जिसका कारण प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क हो सकता है। तदनुसार, घरेलू उद्योग उत्पाद को पर्याप्त और लाभकारी स्तर पर बेचने में सक्षम रहा है। अतः यह माना जाता है कि प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क के साथ, पाटित आयातों ने जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों को उल्लेखनीय सीमा तक दबाया या अवनमित नहीं किया है।

G.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

75. नियमावली का अनुबंध-II यह उपबंध करता है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन का परिमाण; नकदी प्रवाह, माल-सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों की चर्चा नीचे की गई है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने अभ्यावेदनों में प्रस्तुत विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मानदंडों की वस्तुनिष्ठ जांच की है।

a. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

76. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री पर विचार किया है।

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
स्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	100	111	115

कुल उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	107	122	124
विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	109	124	126
गैर-विचाराधीन उत्पाद (ट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	98	110	113
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	107	110	108
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	121	143	140
निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	-	-	-

77. यह देखा गया है:

a. संयंत्र विचाराधीन उत्पाद के लिए समर्पित नहीं है और इसका उपयोग ट्रीटेड और अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका दोनों बनाने के लिए किया जाता है। तथापि, क्षति अवधि के दौरान अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका कुल उत्पादन का *** रही।

b. घरेलू उद्योग की क्षमता *** एमटी थी और उसने क्षमता को *** एमटी बढ़ाकर *** एमटी करने के लिए *** करोड़ रुपये के निवेश से डी-बॉटलनेकिंग की।

c. घरेलू उद्योग ने बोर्ड संकल्प की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें कहा गया है कि घरेलू उद्योग *** करोड़ रुपये के निवेश से *** एमटी क्षमता का एक नया ग्रीनफील्ड संयंत्र स्थापित कर रहा है। संयंत्र *** तक परिचालन में आ जाएगा। वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने के बाद, घरेलू उद्योग की सकल क्षमता लगभग *** एमटी हो जाएगी।

d. घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास एक निश्चित स्तर की अनुपयोगित क्षमता अब भी विद्यमान है।

e. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में भी वृद्धि हुई है।

f. घरेलू उद्योग की 2022-23 के बाद कोई निर्यात बिक्री नहीं थी। घरेलू उद्योग केवल भारतीय बाजार में बिक्री कर रहा है।

b. बाजार हिस्सा

78. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग, संबद्ध देश और अन्य देशों के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच निम्नानुसार की है।

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	107	122	129
अन्य आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	90	83	84
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	104	104	101

79. यह देखा गया है कि:

a. **घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 2023-24 में बढ़ा और जांच अवधि में मामूली रूप से घटा।**

b. संबद्ध आयातों का हिस्सा क्षति अवधि के दौरान बढ़ा।

c. गैर-संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा क्षति अवधि के दौरान घटा है।

c. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

80. घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच लाभप्रदता, लाभ, नकद लाभ, ब्याज और कर-पूर्व लाभ तथा निवेश पर प्रतिफल के संबंध में की गई है।

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
शुद्ध बिक्री प्राप्ति	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	79	74	75
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	90	81	78
कर-पूर्व लाभ	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	63	64	70
कर-पूर्व लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	77	92	98
ब्याज-पूर्व लाभ	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	64	64	70

ब्याज-पूर्व लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	77	92	98
नकद लाभ / हानि	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	65	66	72
नकद लाभ / हानि	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	78	94	101
निवेश पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	64	129	71

81. यह देखा गया है कि:

a. घरेलू उद्योग के लाभ 2023-24 में घटे, निरपेक्ष रूप में 23% और प्रति इकाई आधार पर 37%, और उसके बाद आंशिक रूप से सुधरे।

b. प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क के साथ, घरेलू उद्योग पूरी क्षति अवधि के दौरान लाभप्रद बना रहा है।

c. नकद लाभ और ब्याज-पूर्व लाभ ने समान प्रवृत्ति दर्शाई है।

d. निवेश पर प्रतिफल 2024-25 में बढ़ा किंतु जांच अवधि में घटा। यह पूरी क्षति अवधि के दौरान धनात्मक बना रहा है।

e. घरेलू उद्योग क्षति अवधि के दौरान स्वस्थ बना रहा है।

82. घरेलू उद्योग ने फार्मा और गैर-फार्मा दोनों क्षेत्रों में घरेलू बाजार में अपनी लाभप्रदता की सूचना प्रदान की है, जो नीचे प्रस्तुत है।

विवरण	**इकाई**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**जांच अवधि**
कुल कर-पूर्व लाभ	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	63	64	70
फार्मा कर-पूर्व लाभ	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	79	86	92
गैर-फार्मा कर-पूर्व लाभ	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	53	49	56
निवेश पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	64	129	71

फार्मा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	74	154	83
गैर-फार्मा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	56	107	61

83. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर-फार्मास्युटिकल क्षेत्र में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता फार्मास्युटिकल क्षेत्र की तुलना में कम है। घरेलू उद्योग ने अभ्यावेदन किया है कि गैर-फार्मास्युटिकल क्षेत्र में वह मुख्यतः चीन के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करता है, जबकि फार्मास्युटिकल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा मुख्यतः चीन के अतिरिक्त अन्य देशों के निर्यातकों से है।

84. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि गैर-फार्मास्युटिकल क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से कम लाभप्रदता इस खंड में चीन से आयातों की उपस्थिति के साथ मेल खाती है। यद्यपि पाटनरोधी शुल्क ने घरेलू उद्योग को लाभकारी कीमतों पर प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ बनाया हो सकता है, शुल्क की समाप्ति की स्थिति में निरंतर पाटित आयातों के संभावित प्रभाव का आकलन प्रतिस्पर्धा के विद्यमान स्तर और ऐसे आयातों के संभावित मूल्य प्रभावों को ध्यान में रखते हुए करना होगा।

d. माल-सूची

85. घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच माल-सूची के संबंध में की गई है और इसे नीचे दर्शाया गया है।

विवरण	**इकाई**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**जांच अवधि**
आरंभिक माल-सूची	एमटी	***	***	***	***
अंतिम माल-सूची	एमटी	***	***	***	***

औसत माल-सूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	122	71	43

86. **यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की औसत माल-सूची क्षति अवधि के दौरान घटी है।**

e. वृद्धि

87. **नीचे दी गई तालिका वृद्धि संबंधी सूचना दर्शाती है।**

विवरण	**इकाई**	**2023-24**	**2024-25**	**जांच अवधि**
उत्पादन	वर्ष-दर-वर्ष	8.70%	14.51%	1.46%
घरेलू बिक्री	वर्ष-दर-वर्ष	20.93%	18.59%	-2.33%
माल-सूची	वर्ष-दर-वर्ष	22.18%	-42.29%	-38.55%
लाभ/(हानि) रु./एमटी	वर्ष-दर-वर्ष	-36.54%	1.32%	8.89%
लाभ/(हानि) रु. लाख	वर्ष-दर-वर्ष	-23.26%	20.15%	6.35%
ब्याज और कर-पूर्व लाभ- रु. लाख	वर्ष-दर-वर्ष	-22.72%	19.46%	6.35%
नकद लाभ- रु. लाख	वर्ष-दर-वर्ष	-21.59%	20.41%	6.49%
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	वर्ष-दर-वर्ष	-36.18%	102.77%	-45.11%

88. **यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के मात्रा मानदंडों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, यद्यपि जांच अवधि में घरेलू बिक्री मामूली रूप से घटी। लाभप्रदता मानदंड 2023-24 में घटे और उसके बाद बढ़े हैं, यद्यपि नियोजित पूंजी पर प्रतिफल जांच अवधि में घटा।**

f. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

89. **प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान अपनी उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि की है और *** एमटी क्षमता तथा *** करोड़ रुपये के निवेश वाला एक नया ग्रीनफील्ड संयंत्र स्थापित करके अपनी क्षमता का और विस्तार करने की दिशा में कार्य कर रहा है। घरेलू उद्योग क्षति अवधि के दौरान लाभप्रद रहा है। यह**

देखा गया है कि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रभावित नहीं हुआ है।

g. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

90. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता की जानकारी नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
वेतन और मजदूरी	रु. लाख	***	***	***	***
प्रति दिन उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***

91. यह नोट किया गया है कि कर्मचारियों की संख्या 2024-25 तक बढ़ी और जांच अवधि में घटी, किंतु आधार वर्ष के स्तर से ऊपर बनी रही। वेतन और मजदूरी में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की उत्पादकता, प्रति दिन और प्रति कर्मचारी दोनों, क्षति अवधि के दौरान बढ़ी है।

h. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

92. घरेलू उद्योग ने अभ्यावेदन किया है कि वह घरेलू बाजार में मूल्य निर्धारक नहीं है और अपनी कीमतों को आयात कीमतों के मानक पर तय करता है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत आयात कीमत के तुलनीय है। गैर-फार्मा क्षेत्र के मामले में, घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को चीन के आपूर्तिकर्ताओं की कीमतों के मानक पर तय करता है। फार्मा क्षेत्र में कीमत गैर-फार्मा क्षेत्र की तुलना में अधिक है, क्योंकि फार्मा क्षेत्र के उपभोक्ताओं द्वारा बेहतर उत्पाद विनिर्देशों की मांग की जाती है। फार्मा क्षेत्र में, घरेलू उद्योग चीन के अतिरिक्त अन्य देशों से आयात कीमत की प्रतिस्पर्धा में अपना उत्पाद बेच रहा है।

93. नीचे दी गई तालिका चीन से पाटनरोधी शुल्क के बिना और सहित पहुंच कीमत, अन्य देशों से पहुंच कीमत तथा घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत दर्शाती है।

विवरण	इकाई	कुल	गैर-फार्मा	फार्मा
चीन				
आयात मात्रा	एमटी	1,381	1,181	199
चीन से पहुंच कीमत, पाटनरोधी शुल्क के बिना	रु./एमटी	3,33,870	3,23,459	3,95,615
चीन से पहुंच कीमत, पाटनरोधी शुल्क सहित	रु./एमटी	4,22,195	4,11,784	4,83,940
अन्य देश				
आयात मात्रा	एमटी	1,776	918	858
अन्य देशों से पहुंच कीमत	रु./एमटी	6,20,303	5,78,563	6,32,068
शुद्ध बिक्री प्राप्ति	रु./एमटी	***	***	***

94. यह देखा गया है कि फार्मा क्षेत्र में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतें अन्य देशों से आयातों की पहुंच कीमतों से कम हैं, किंतु चीनी आयातों से बहुत अधिक हैं, जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अपने उत्पाद की कीमत गैर-चीनी आयातों की विद्यमान आयात कीमतों से अधिक स्तर पर निर्धारित नहीं कर रहा है। गैर-फार्मा क्षेत्र में, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत अन्य देशों से आयातों की पहुंच कीमत से कम है और लागू पाटनरोधी शुल्क को ध्यान में रखने के बाद संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से लगभग 8% अधिक है। उपर्युक्त से यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग की कीमतें आयातों की कीमतों के अनुरूप चलती हैं।

95. यह माना जाता है कि घरेलू उद्योग क्षति अवधि के दौरान लाभप्रद बना रहा है और पाटित आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क ने यह सुनिश्चित किया है कि पाटित आयातों का घरेलू उद्योग की कीमत पर कोई दमनकारी/अवनमनकारी प्रभाव न पड़े।

i. पाटन का परिमाण

96. जांच से यह दर्शित हुआ है कि पाटन मार्जिन धनात्मक है और न्यूनतम सीमा (डी-मिनिमिस) से अधिक है। यह देखा गया है कि संबद्ध देश से भारत में संबद्ध सामान का पाटन जारी है।

G.3.4 <u>निष्कर्ष</u>

97. उपर्युक्त के आधार पर, निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला जा सकता है: -

a. शुल्क प्रवृत्त रहने के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग बढ़ी और जांच अवधि में सर्वाधिक थी।

b. चीन जन.गण. से आयातों की मात्रा क्षति अवधि के दौरान बढ़ी है और जांच अवधि में सर्वाधिक थी।

c. संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत, पाटनरोधी शुल्क सहित और उसके बिना, दोनों ही स्थितियों में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है; शुल्क के बिना मूल्य कटौती 50-60% है।

d. लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का दमन या अवनमन नहीं किया है।

e. घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि में अपनी क्षमता बढ़ाई है। घरेलू उद्योग अपनी क्षमता में *** एमटी की और वृद्धि करने की प्रक्रिया में है।

f. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है।

g. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में मामूली गिरावट आई है।

h. लागू शुल्क के साथ, घरेलू उद्योग पूरी क्षति अवधि के दौरान लाभप्रद बना रहा है।

98. प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के परिणामस्वरूप निरंतर क्षति नहीं हुई है।

H. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

99. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी से, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों के अतिरिक्त ऐसे किसी भी ज्ञात कारक की जांच करना अपेक्षित है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं या क्षति पहुंचाने की संभावना रखते हैं, ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति को पाटित आयातों के कारण न माना जाए। यद्यपि वर्तमान जांच एक सूर्यास्त समीक्षा जांच है और कारणात्मक संबंध की जांच मूल जांच में पहले ही की जा चुकी है, फिर भी प्राधिकारी ने यह जांच की कि क्या सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है या पहुंचाने की संभावना है। यह जांच की गई कि क्या नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दिया हो सकता है या योगदान देने की संभावना है।

a. <u>तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत</u>

100. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आयातों के अतिरिक्त, कोरिया गणराज्य, बेल्जियम, जापान और जर्मनी से आयात हुए हैं। इन आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। तथापि, बेल्जियम, जापान और जर्मनी से निर्यात संबद्ध आयातों की तुलना में काफी अधिक कीमतों पर हैं और कोरिया गणराज्य से आयात नगण्य हैं। अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं कर रहे हैं और चीन की तुलना में सारवान रूप से अधिक कीमत पर हैं। घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान लाभ अर्जित किया है। संबद्ध आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में गैर-संबद्ध देशों से आयात क्षति का संभावित कारण नहीं हैं। नीचे दी गई तालिका क्षति अवधि में सभी स्रोतों से आयातों की जानकारी दर्शाती है।

देश	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
मात्रा एमटी में					
चीन	एमटी	770	960	1,300	1,381
कोरिया गणराज्य	एमटी	56	71	104	82
यूरोपीय संघ	एमटी	791	780	966	930
जापान	एमटी	683	737	680	762
सीआईएफ कीमत रु./एमटी में					

चीन	रु./एमटी	4,49,734	3,13,097	3,39,838	3,19,361
कोरिया गणराज्य	रु./एमटी	5,08,008	4,28,519	2,41,001	2,61,675
यूरोपीय संघ	रु./एमटी	6,57,434	6,35,661	6,13,253	6,42,431
जापान	रु./एमटी	5,20,979	4,76,069	4,65,133	4,70,394

b. <u>मांग में संकुचन</u>

101. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। मांग में संभावित गिरावट क्षति का संभावित कारण नहीं हो सकती।

c. <u>खपत के पैटर्न में परिवर्तन</u>

102. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई सारवान परिवर्तन नहीं हुआ है।

d. <u>व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं</u>

103. यह देखा गया है कि भारत में ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं नहीं हैं जो घरेलू उद्योग को संभावित क्षति में योगदान दे सकती थीं।

e. <u>उत्पादकता</u>

104. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में कोई गिरावट नहीं है।

f. <u>प्रौद्योगिकी का विकास</u>

105. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध सामान के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है। अतः, प्रौद्योगिकी में विकास घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

g. <u>निर्यात निष्पादन</u>

106. घरेलू उद्योग ने 2022-23 के बाद संबद्ध सामान का निर्यात नहीं किया है। 2022-23 में निर्यात भी घरेलू बिक्री की मात्रा की तुलना में काफी नगण्य थे। क्षति विश्लेषण केवल घरेलू उद्योग के घरेलू परिचालनों के संबंध में किया गया है। अतः, निर्यात निष्पादन क्षति का संभावित कारण नहीं है।

h. <u>कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन</u>

107. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध सामान के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। अतः, अन्य उत्पादों का निष्पादन क्षति का कारण नहीं हो सकता।

I. पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना

I.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अभ्यावेदन

108. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

i. प्राधिकारी को संभावना के संबंध में कोई निष्कर्ष निकालने से पहले जांच अवधि के पश्चात की अवधि के घटनाक्रमों और संशोधित पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की जांच करनी चाहिए।

ii. संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे निराधार हैं। संयुक्त अरब अमीरात से बीओपीपी फिल्म पर पाटनरोधी उपायों से संबंधित पाकिस्तान के विवाद (Pakistan-Anti-Dumping Measures on BOPP Film from UAE) में पैनल ने यह माना कि प्राधिकारी को "यह निर्धारित करना होगा कि क्षति का जारी रहना या पुनरावृत्ति संभावित है, न कि मात्र संभव, और यह निर्धारण सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर होना चाहिए, न कि अनुमान के आधार पर"।

I.2 घरेलू उद्योग के अभ्यावेदन

109. घरेलू उद्योग ने क्षति की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

i. यदि शुल्क प्रतिसंहृत कर दिए जाते हैं, तो चीन के निर्यातक एक बार फिर भारतीय बाजार को पाटित आयातों से भर देंगे।

ii. पाटन और क्षति मार्जिन निरंतर सकारात्मक और महत्वपूर्ण बने हुए हैं।

iii. चीन जन.गण. के निर्यातकों ने लागू शुल्क को आमेलित करके भारतीय बाजार में उत्पाद का निरंतर निर्यात किया है।

iv. यह तथ्य कि निर्यातक ऐसी प्रथाओं का सहारा ले रहे हैं, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारतीय बाजार चीनी उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण है।

v. यदि शुल्क प्रतिसंहृत कर दिए जाते हैं, तो चीनी निर्यातक आवेदक की बिक्री लागत से बहुत कम कीमतों पर आक्रामक रूप से पाटन शुरू कर देंगे, जिससे आवेदक को क्षति होगी।

vi. यदि आवेदक को इन कीमतों की बराबरी करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो उसका लाभ गिरकर हानि में बदल जाएगा।

vii. संबद्ध सामान की वैश्विक क्षमता का लगभग 43% चीन में है।

viii. वैकर केमी (झांगजियागांग साइट) कंपनी लिमिटेड 20 केटी प्रति वर्ष की क्षमता के साथ विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है और शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड की क्षमता 2022 में 19 केटी थी।

ix. चीन फ्यूम्ड सिलिका का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है, जिसके बाद जर्मनी का स्थान है। भारत, अमेरिका और वियतनाम के साथ, फ्यूम्ड सिलिका के शीर्ष आयातकों में से एक है।

x. चीन के उत्पादक अल्प-उपयोगित क्षमताओं से ग्रस्त हैं।

xi. यह अनुमान है कि 2027 से पहले चीन में लगभग 137.8 केटी प्रति वर्ष की क्षमता वृद्धि होगी।

xii. संबद्ध देश में मांग उत्पादकों के पास उपलब्ध क्षमताओं की तुलना में बहुत कम होने से यह स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि चीनी उत्पादक/निर्यातक अत्यधिक निर्यातोन्मुख हैं।

xiii. संबद्ध देश में क्षमता चीन की मांग से लगभग दोगुनी होगी, और निर्यात योग्य क्षमता भारत की मांग से 25 गुना से अधिक होगी।

xiv. संबद्ध देश के उत्पादक महत्वपूर्ण निष्क्रिय क्षमताओं से भी ग्रस्त हैं। निष्क्रिय क्षमताएं भारत की मांग की 19 गुना हैं।

xv. लागू शुल्क के बावजूद, चीन जन.गण. से कुल निर्यातों में भारत का हिस्सा महत्वपूर्ण है।

I.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

110. प्राधिकारी ने धारा 9क(5), नियम 23 के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षा तथा नियमावली के अनुबंध-II (vii) के अनुसार सारवान क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों, और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना की जांच की है। नियमावली के

अंतर्गत, प्राधिकारी से यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या विद्यमान शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है।

111. क्षति की संभावना संबंधी अभ्यावेदन के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिनियम की धारा 9क(5) के साथ पठित नियमावली के नियम 23 के अंतर्गत सूर्यास्त समीक्षा, अपनी प्रकृति से ही, इस बात की भविष्योन्मुखी जांच है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है, और यह मूल जांच में क्षति के निर्धारण से भिन्न है। अनुबंध-II(vii) में सूचीबद्ध कारकों को इस प्रयोजन के लिए प्रासंगिक मार्गदर्शन के रूप में माना गया है। तथापि, ये प्राधिकारी द्वारा जांचे गए मानदंडों की संपूर्ण सूची नहीं हैं।

112. जांच अवधि के पश्चात की अवधि के आंकड़ों की जांच से संबंधित हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि बारह महीने की जांच अवधि, पूर्ववर्ती तीन वर्षों से संबंधित आंकड़ों के साथ पठित, ऐसा आकलन करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करती है। हितबद्ध पक्षकारों ने जांच अवधि के पश्चात की अवधि का ऐसा कोई विशिष्ट आंकड़ा या घटनाक्रम भी रिकॉर्ड पर नहीं रखा है जिसका संभावना विश्लेषण पर कोई प्रभाव पड़ता हो।

113. ऐसा संभावना विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धतियां उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, नियमावली के अनुबंध-II के खंड (vii) में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे कारकों का प्रावधान है जिन पर विचार किया जा सकता है, अर्थात् निम्नलिखित। प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि ये मानदंड ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग को सारवान क्षति के खतरे का विश्लेषण करने के लिए हैं जहां कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है और घरेलू उद्योग को क्षति अवधि के दौरान सारवान क्षति नहीं हुई है। अतः, इन मार्गदर्शक कारकों पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचार करना और उन्हें लागू करना अपेक्षित है कि क्षति अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्क लागू था और जांच का प्रयोजन उस संभावित स्थिति का पता लगाना है जहां पाटनरोधी शुल्क को आगे नहीं बढ़ाया जाता।

i. भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की महत्वपूर्ण दर, जो आयात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना दर्शाती है।

ii. निर्यातक की पर्याप्त स्वतंत्र रूप से उपलब्ध क्षमता, या क्षमता में आसन्न, पर्याप्त वृद्धि, जो अतिरिक्त निर्यातों को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय बाजारों को पर्याप्त रूप से बढ़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना दर्शाती है।

iii. क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर महत्वपूर्ण अवनमनकारी या दमनकारी प्रभाव पड़ेगा और जिनसे और अधिक आयातों की मांग बढ़ने की संभावना होगी; और

iv. जांच के अधीन वस्तु की माल-सूची।

114. प्राधिकारी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित करने के लिए उपर्युक्त कारकों पर विचार किया है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन की संभावना है, और यदि हां, तो क्या उससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। इस प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध देश के प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अपने प्रश्नावली उत्तरों में प्रस्तुत जानकारी, तथा घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई प्रासंगिक जानकारी की जांच की है।

a. <u>पाटन का जारी रहना</u>

115. यह नोट किया जाता है कि पाटन मार्जिन निरंतर सकारात्मक और महत्वपूर्ण बना हुआ है। वर्तमान समीक्षा में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मार्जिन से अधिक है। लागू उपाय के बावजूद बढ़े हुए मार्जिन पर पाटन का जारी रहना यह दर्शाता है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन के जारी रहने की संभावना है।

उत्पादक	**मूल**	**सूर्यास्त समीक्षा**
वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड	10-20%	50-60%
शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड	50-60%	130-140%

b. <u>उत्पाद के आयातों में वृद्धि</u>

116. नीचे दी गई तालिका क्षति अवधि के दौरान आयातों की प्रवृत्ति दर्शाती है।

विवरण	**इकाई**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**जांच अवधि**
चीन	एमटी	770	960	1,300	1,381

117. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात क्षति अवधि के दौरान बढ़े हैं और जांच अवधि में सर्वाधिक थे। लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि यह दर्शाती है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में आयातों की मात्रा में और वृद्धि होने की संभावना है।

c. <u>विद्यमान पाटनरोधी शुल्क का आमेलन</u>

118. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अंतिम जांच परिणाम सं. 7/05/2025-डीजीटीआर दिनांक 11 अगस्त 2025 के माध्यम से संपन्न आमेलन-रोधी जांच में यह पाया गया था कि शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड ने लागू पाटनरोधी शुल्क को आमेलित कर लिया था, जिसके अनुसरण में शुल्क की मात्रा बढ़ाई गई थी। भारत में अपनी बिक्री बनाए रखने और बढ़ाने के लिए निर्यातक द्वारा शुल्क का आमेलन, निर्यातक के लिए भारतीय बाजार के महत्व और शुल्क की समाप्ति की स्थिति में उसके संभावित मूल्य-निर्धारण व्यवहार का संकेतक है।

d. <u>क्या आयात कीमत से घरेलू उद्योग की कीमतों के दमन/अवनमन की संभावना है।</u>

119. नीचे दी गई तालिका जांच अवधि में चीन से आयातों की पहुंच कीमत तथा घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत दर्शाती है।

उत्पादक	**इकाई**	**मूल्य**
वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड	रु./एमटी	***
शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड	रु./एमटी	***

आयातों की औसत पहुंच कीमत	रु./एमटी	3,33,870
घरेलू उद्योग की बिक्री लागत	रु./एमटी	***
घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत	रु./एमटी	***

120. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों की औसत पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से अधिक है। तथापि, दोनों प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा दाखिल प्रश्नावली उत्तर वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड और शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड से आयातों की कीमतों में महत्वपूर्ण अंतर दर्शाते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड से आयात वर्तमान में शून्य पाटनरोधी शुल्क के अधीन हैं। इसके विपरीत, शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत, दोनों से कम है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति पर, ऐसे निम्न मूल्य स्तरों पर आयात घरेलू उद्योग की कीमतों पर नीचे की ओर दबाव डाल सकते हैं और उसकी मूल्य प्राप्ति और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

121. नीचे दी गई तालिका शुल्क के बिना पहुंच कीमत और घरेलू उद्योग की कीमतों पर उसके संभावित प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाती है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, केवल गैर-फार्मा क्षेत्र में घरेलू उद्योग के निष्पादन पर विचार किया गया है, क्योंकि संबद्ध आयात मुख्यतः गैर-फार्मा ग्रेड के हैं। वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड से आयातों की पहुंच कीमत को अपवर्जित किया गया है, क्योंकि ऐसे आयात वर्तमान में शून्य पाटनरोधी शुल्क के अधीन हैं और शुल्क की समाप्ति पर उनकी पहुंच कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

विवरण	**इकाई**	**वास्तविक निष्पादन**	**संभावित निष्पादन**
पहुंच कीमत (वैकर को छोड़कर)	रु./एमटी	2,71,267	2,71,267
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***
बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***
लाभ/हानि	रु./एमटी	***	***
लाभ/हानि	रु. लाख	***	***
नकद लाभ/हानि	रु. लाख	***	***
ब्याज और कर-पूर्व लाभ	रु. लाख	***	***

122. यह देखा गया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क के अभाव में घरेलू उद्योग को ऐसे आयातों की पहुंच कीमत की बराबरी करनी पड़े, तो गैर-फार्मा क्षेत्र में उसका रु. *** लाख का लाभ रु. *** लाख की हानि में बदल जाएगा। समग्र रूप से घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में महत्वपूर्ण गिरावट आएगी।

e. <u>चीन में अल्प-उपयोगित क्षमता</u>

123. घरेलू उद्योग ने चीनी बाजार के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो दर्शाती है कि 2022 में संबद्ध देश में फ्यूम्ड सिलिका की क्षमता 211 केटी प्रति वर्ष थी जबकि उत्पादन केवल 140 केटी था, जिससे पता चलता है कि संबद्ध देश के उत्पादकों के पास बड़ी, अल्प-उपयोगित क्षमताएं हैं जिनका उपयोग भारत को निर्यात बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। नीचे दी गई तालिका बाजार अनुसंधान रिपोर्ट में दी गई जानकारी दर्शाती है।

इकाई: केटी

विवरण	मात्रा
क्षमता	211
वास्तविक उत्पादन	140
क्षमता उपयोग	66%
चीन में मांग	121
निर्यात	18
भारत में क्षमता उपयोग को ध्यान में रखते हुए संभावित उत्पादन	190
वर्तमान क्षमता से अतिरिक्त संभव उत्पादन	50
भारतीय मांग	6.44

124. यह देखा गया है कि चीन में महत्वपूर्ण निष्क्रिय क्षमताएं हैं। यह भी देखा गया है कि इस अवधि के दौरान चीन से फ्यूम्ड सिलिका का कुल निर्यात 18.6 केटी था जबकि घरेलू खपत केवल 121 केटी थी और चीन की निष्क्रिय क्षमताएं अतिरिक्त 50 केटी तक उत्पादन कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार, चीन जन.गण. में क्षमता 2027 से पहले 137.8 केटी प्रति वर्ष बढ़ने की आशा है।

125. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, फ्यूम्ड सिलिका की वैश्विक क्षमता 491 केटी थी, जिसमें से 211 केटी चीन में थी। फ्यूम्ड सिलिका की वैश्विक क्षमता का लगभग 43% चीन में है, जहां लगभग 21 उत्पादक हैं।

इकाई: केटी

विवरण	क्षमता
वैश्विक क्षमता	**491**
अमेरिका में क्षमता	73
यूरोप में क्षमता	105
चीन में क्षमता	211
एशिया में क्षमता (चीन को छोड़कर)	102

126. घरेलू उद्योग द्वारा दी गई जानकारी की तुलना चीन के प्रतिभागी उत्पादकों से भी की गई है।

विवरण	**इकाई**	**शेडोंग**	**वैकर**
क्षमता	एमटी	***	***
उत्पादन	एमटी	***	***
निष्क्रिय क्षमता	एमटी	***	***
निष्क्रिय क्षमता	%	***	***
निष्क्रिय क्षमता	सीमा	15-25%	5-10%

127. यह देखा गया है कि दोनों उत्पादक महत्वपूर्ण निष्क्रिय क्षमताओं के साथ परिचालन कर रहे हैं।

f. <u>चीन में अधिशेष क्षमताएं।</u>

128. घरेलू उद्योग द्वारा यह कहा गया है कि संबद्ध देश में मांग उपलब्ध क्षमताओं की तुलना में बहुत कम है। चीनी उत्पादक/निर्यातक निर्यातोन्मुख हैं और यदि शुल्क प्रतिसंहृत कर दिए जाते हैं, तो वे अपनी अधिशेष क्षमताओं का उपयोग भारत को

निर्यात करने के लिए करेंगे। नीचे दी गई तालिका घरेलू उद्योग द्वारा दी गई जानकारी दर्शाती है।

इकाई: केटी

विवरण	मात्रा
क्षमता	349
चीन जन.गण. में मांग	187
निर्यात के लिए अभिप्रेत क्षमता	162
भारत में मांग (2025 में)	6.44
भारतीय मांग के सापेक्ष निर्यात योग्य क्षमता	2516%

129. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, संबद्ध देश में क्षमता चीन की मांग से लगभग दोगुनी होगी, और निर्यात योग्य क्षमता भारत की मांग से 25 गुना से अधिक होगी।

130. घरेलू उद्योग द्वारा दी गई जानकारी की तुलना चीन के प्रतिभागी उत्पादकों से भी की गई है।

विवरण	**इकाई**	**शेडोंग**	**वैकर**
क्षमता	एमटी	***	***
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***
निर्यात बिक्री (कुल)	एमटी	***	***
अधिशेष क्षमता (क्षमता-घरेलू बिक्री)	एमटी	***	***
अधिशेष क्षमता (क्षमता-घरेलू बिक्री)	%	***	***
निर्यातोन्मुखता (निर्यात/उत्पादन)	%	***	***
निर्यातोन्मुखता (निर्यात/उत्पादन)	सीमा	10-20	10-20%

131. यह देखा गया है कि दोनों प्रतिभागी उत्पादकों के मामले में, उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्यात परिचालनों के लिए उपयोग किया जा रहा है।

g. <u>तीसरे देश विश्लेषण</u>

132. प्राधिकारी ने प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा दी गई तीसरे देशों को निर्यात संबंधी जानकारी की जांच की है। तीसरे देशों को निर्यात की कीमतों, सामान्य मूल्य, क्षतिरहित कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के बीच तुलना की गई है। इस संबंध में निम्नलिखित देखा गया है:

<u>सामान्य मूल्य से कम पर निर्यात</u>

133. प्राधिकारी ने यह जांच करने के लिए तीसरे देशों को निर्यातों का विश्लेषण किया है कि क्या तीसरे देशों को निर्यात सामान्य मूल्य से कम हैं। नीचे दी गई तालिका इसका सारांश प्रस्तुत करती है।

विवरण	**इकाई**	**शेडोंग**	**वैकर**
तीसरे देशों को कुल निर्यात	एमटी	***	***
तीसरे देशों को पाटित निर्यात	एमटी	***	***
तीसरे देशों को पाटित निर्यात	%	95-100%	95-100%

134. यह देखा गया है कि शेडोंग द्वारा तीसरे देशों को कुल निर्यातों में से 95-100% सामान्य मूल्य से कम है। वैकर के मामले में, लगभग पूरी मात्रा (लगभग 100%) सामान्य मूल्य से कम है।

<u>मूल्य आकर्षण</u>

135. प्राधिकारी ने यह जांच करने के लिए तीसरे देशों को निर्यातों का विश्लेषण किया है कि क्या तीसरे देशों को निर्यात भारत को निर्यात की कीमतों से कम कीमत पर हैं और क्या उपायों की समाप्ति की स्थिति में उत्पादकों के पास तीसरे देशों को इन निर्यातों को भारतीय बाजार की ओर विचलित (डायवर्ट) करने का कोई प्रोत्साहन होगा। नीचे दी गई तालिका इसका सारांश प्रस्तुत करती है।

विवरण	इकाई	शेडोंग	वैकर
तीसरे देशों को कुल निर्यात	एमटी	***	***
भारत की कीमत से कम पर अन्य देशों को निर्यात	एमटी	***	***
भारत की कीमत से कम पर अन्य देशों को निर्यात	%	45-55%	55-65%

136. यह देखा गया है कि शेडोंग द्वारा तीसरे देशों को कुल निर्यातों में से 45-55% भारत को निर्यात मूल्य से कम है। वैकर के मामले में, यह देखा गया है कि 55-65% भारत को निर्यात मूल्य से कम है। अतः यह माना जाता है कि उपायों की समाप्ति की स्थिति में भारत की ओर निर्यातों के विचलन (डायवर्जन) की संभावना है।

<u>क्षतिरहित कीमत से कम पर निर्यात</u>

137. प्राधिकारी ने यह जांच करने के लिए तीसरे देशों को निर्यातों का विश्लेषण किया है कि क्या तीसरे देशों को निर्यात क्षतिरहित कीमत से कम हैं और क्या उनका विचलन घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारक होगा। नीचे दी गई तालिका इसका सारांश प्रस्तुत करती है।

विवरण	इकाई	शेडोंग	वैकर
तीसरे देशों को कुल निर्यात	एमटी	***	***
तीसरे देशों को कुल क्षतिकारक निर्यात	एमटी	***	***
तीसरे देशों को क्षतिकारक निर्यात	%	95-100%	35-40%

138. यह देखा गया है कि शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड द्वारा तीसरे देशों को कुल निर्यातों में से मात्रा के अनुसार लगभग 95-100% ऐसी कीमतों पर है जो लागू सीमा शुल्क जोड़ने के बाद घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम हैं। वैकर समूह के मामले में, तीसरे देशों को निर्यातों का मात्रा के अनुसार लगभग 35-40% ऐसी कीमतों पर है। यह देखा गया है कि यदि तीसरे देशों को निर्यात भारत की ओर विचलित (डायवर्ट) किए जाते हैं, तो इनका एक पर्याप्त भाग क्षतिकारक कीमतों पर होगा।

J. क्षति मार्जिन का परिमाण

139. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के साथ पठित अनुबंध-III, यथासंशोधित, में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई उत्पादन लागत से संबंधित जानकारी/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने हेतु क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए, क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल और उपयोगिताओं के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण या गैर-आवर्ती व्ययों को उत्पादन लागत से अपवर्जित किया गया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित अनुसार क्षतिरहित कीमत पर पहुंचने के लिए विचाराधीन उत्पाद हेतु औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत शुद्ध अचल परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित प्रतिफल (कर-पूर्व @ 22%) को कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमत किया गया।

140. उपर्युक्त अनुसार निर्धारित पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत की तुलना विचाराधीन उत्पाद के लिए की गई है। उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

विवरण	**एनआईपी**	**पहुंच कीमत**	**क्षति मार्जिन**		
	डॉ./एमटी	**डॉ./एमटी**	**डॉ./एमटी**	**%**	**सीमा**
शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	40-50%
वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) के माध्यम से वैकर केमिकल्स (चीन) कंपनी लिमिटेड (निर्यातक)	***	***	***	***	ऋणात्मक
अन्य सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	50-60%

K. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

K.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अभ्यावेदन।

141. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

i. जांच अवधि के दौरान आयातों में गिरावट और आयात कीमत में वृद्धि से केवल अनुप्रवाह प्रयोक्ताओं और एमएसएमई की लागत में वृद्धि होगी।

ii. घरेलू उद्योग की प्रभाव गणना गलत है और इसमें प्रमुख प्रयोक्ता खंड छूट गए हैं। जांच अवधि के पश्चात की अवधि में, जब कीमतें बढ़ गई हैं, शुल्क के जारी रहने से लागत में 24.37% की वृद्धि होगी।

iii. घरेलू उद्योग वर्तमान में एकमात्र उत्पादक है। पाटनरोधी संरक्षण के जारी रहने से घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धी दबाव कम होगा और एकल घरेलू आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता बढ़ेगी।

iv. संबद्ध सामान एक महत्वपूर्ण इनपुट है जिसका उपयोग फार्मास्युटिकल्स, खाद्य उत्पाद, पेंट, कोटिंग, स्याही, एडहेसिव, सीलेंट, सिलिकॉन पॉलिमर, पॉलिएस्टर रेजिन, सौंदर्य प्रसाधन, बैटरी जेल और निर्माण रसायन सहित अनुप्रवाह उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जाता है।

v. विचाराधीन उत्पाद के आयात पहले से ही विद्यमान पाटनरोधी शुल्क के अतिरिक्त 4.13% के मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) और समाज कल्याण अधिभार (मूल सीमा शुल्क का 10%) के अधीन हैं।

vi. विद्यमान पाटनरोधी शुल्क का जारी रहना व्यापक लोकहित में नहीं होगा।

vii. घरेलू उद्योग के भविष्य के निवेश निर्णयों की रक्षा के लिए मात्र पाटनरोधी शुल्क जारी नहीं रखा जा सकता।

viii. एकमात्र घरेलू उत्पादक होने के नाते, संरक्षण के जारी रहने से प्रतिस्पर्धा कम होगी और एकल आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता बढ़ेगी। तदनुसार, विद्यमान पाटनरोधी शुल्क ने अपना उपचारात्मक प्रयोजन पूरा कर लिया है और उसे समाप्त हो जाने दिया जाना चाहिए।

K.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अभ्यावेदन।

142. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

i. अंतिम उत्पाद में विचाराधीन उत्पाद की लागत बहुत न्यूनतम है और इसका अंतिम प्रयोक्ताओं पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ii. इन अंतिम उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने का प्रभाव 1% से कम है।

iii. शुल्क पिछले पांच वर्षों से लागू हैं और उपायों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

iv. आवेदक द्वारा स्थापित संयंत्र का उद्देश्य आयातों पर निर्भरता समाप्त करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना है।

v. लागू शुल्क ने घरेलू उद्योग को बढ़ने और भारतीय बाजार में लाभप्रद कीमतों पर उत्पाद बेचने में सक्षम बनाया है। घरेलू उद्योग देश में मांग-आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए अर्जित लाभ का उपयोग अपनी क्षमता बढ़ाने में कर रहा है।

vi. घरेलू उद्योग देश में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डी-बॉटलनेकिंग कर रहा है और क्षमता वृद्धि के लिए 200 करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है।

vii. यदि शुल्क प्रतिसंहृत कर दिए जाते हैं, तो आवेदक द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण निवेशों को गंभीर हानि होगी।

viii. शुल्क के जारी रहने से बाजार में उचित स्थिति बनेगी, और बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा का संरक्षण होगा।

ix. यदि शुल्क जारी भी रखे जाते हैं, तो भी प्रयोक्ताओं के पास आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत हैं।

K.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

143. यह जांच की गई कि क्या पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण को जारी रखने की सिफारिश लोकहित के विरुद्ध होगी। यह निर्धारण रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी तथा घरेलू उद्योग, विदेशी उत्पादकों और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों पर विचार करने पर आधारित है।

144. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए शुरुआत अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान जांच के संबंध में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने हेतु एक प्रश्नावली भी निर्धारित की, जिसमें उनके परिचालनों पर पाटनरोधी शुल्क

का प्रभाव भी शामिल है। प्राधिकारी ने विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की अंतर-विनिमेयता, उपभोक्ताओं की स्रोत बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, तथा पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण से उत्पन्न नई स्थिति के अनुकूलन को त्वरित या विलंबित करने की संभावना वाले कारकों के बारे में जानकारी मांगी।

145. पाटनरोधी उपायों का प्रयोजन, सामान्यतः, पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। मूल जांच में घरेलू उद्योग वित्तीय रूप से कठिनाई में था, और पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण ने घरेलू उद्योग को अस्तित्व बनाए रखने और बढ़ने में सक्षम बनाया था। अतः, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण घरेलू उद्योग के हित में था। उपर्युक्त जांच दर्शाती है कि लागू शुल्क के साथ घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है और शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना है। अतः, पाटनरोधी शुल्क का निरंतर अधिरोपण घरेलू उद्योग के हित में होगा।

146. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होते। आयात उचित कीमतों पर जारी रहेंगे। पाटनरोधी शुल्क यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं और विदेशी निर्यातकों तथा घरेलू उद्योग के बीच समान अवसर बनाए रखा जाता है।

147. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी, जो इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजी गई थी। घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क का निम्नलिखित प्रभाव प्रस्तुत किया है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने शुल्क के प्रभाव की अपनी गणना में 50 रु. प्रति किग्रा के पाटनरोधी शुल्क का दावा किया था। तथापि, चूंकि प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क 1,296 यूएसडॉ. प्रति एमटी (या 112 रु. प्रति किग्रा) है, इसलिए प्रभाव का पुनः मात्राकरण किया गया है और इसे नीचे दर्शाया गया है।

क्र. सं.	उत्पाद		फार्मा	यूपीआर	पेंट	खाद्य - एंटी-केकिंग एजेंट
1	मान लिया गया उत्पाद		पैरासिटामोल (डोलो-650 मिग्रा) 1 टैबलेट का भार 10 ग्राम	रेजिन - जेल कोट	इनेमल पेंट (हाई ग्लॉस)	गरम मसाला / करी पाउडर
2	औसत एफएस खपत	A	1%	3%	2%	2%
3	उत्पाद की इकाई, किग्रा	B	0.01	1.00	1.00	1.00
4	उत्पाद की कीमत रु./किग्रा	C	2.00	168.00	350.00	450.00
5	औसत एफएस कीमत रु./किग्रा	D	378.00	309.00	309.00	309.00
6	फ्यूम्ड सिलिका लागत रु./किग्रा	E = A∗B∗D	0.04	9.27	6.18	6.18
7	उत्पाद की कुल कीमत में फ्यूम्ड सिलिका लागत	F = E/C	2%	6%	2%	1%
8	एडीडी रु./किग्रा (अनुमानित)	G	112.00	112.00	112.00	112.00
9	एडीडी का प्रभाव रु./किग्रा	H =A∗B∗G	0.01	3.36	2.24	2.24
10	एडीडी का प्रभाव %	I = H/C	1%	2%	1%	0%

148. यह देखा गया है कि अनुप्रवाह उद्योगों पर पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने का प्रभाव नगण्य है। वैकर मेट्रोआर्क केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो संबद्ध देश के एक प्रतिभागी उत्पादक/निर्यातक से संबद्ध है, के अतिरिक्त संबद्ध सामान के किसी प्रयोक्ता ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, और किसी प्रयोक्ता ने पाटनरोधी शुल्क के किसी प्रतिकूल प्रभाव को मात्राकृत करने वाली सत्यापन योग्य सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

149. इन अभ्यावेदनों के संबंध में कि घरेलू उद्योग एकमात्र उत्पादक है और शुल्क के जारी रहने से एकल घरेलू आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता बढ़ेगी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क आयात को प्रतिबंधित नहीं करता और केवल पाटित कीमतों का

समाधान करता है। अन्य देशों से आयात भारत में मांग के एक महत्वपूर्ण हिस्से की पूर्ति करते हैं, और प्रवृत्त शुल्क के बावजूद संबद्ध आयात भारतीय बाजार में निरंतर प्रवेश करते रहे हैं और बढ़े हैं। घरेलू उद्योग की क्षमता भारत में मांग से कम है, और इसलिए प्रयोक्ताओं को अनेक स्रोतों से आयात की पहुंच निरंतर उपलब्ध रहेगी। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा मोटे तौर पर स्थिर रहा है, और शेष की पूर्ति आयातों से की जाती रही है।

150. यह भी माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने ने भारत में घरेलू उत्पादन क्षमता के विकास और विस्तार में योगदान दिया है। घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान पहले ही लगभग *** एमटी का क्षमता विस्तार किया है, अक्टूबर 2026 में लगभग *** एमटी की एक और डी-बॉटलनेकिंग चालू की है, और लगभग *** एमटी का एक ग्रीनफील्ड संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है, जिसके *** तक परिचालन में आने की आशा है। ऐसी क्षमता वृद्धियों से घरेलू स्रोतों से उत्पाद की उपलब्धता बढ़ने और आयात पर निर्भरता कम होने की आशा है। परिणामस्वरूप, बढ़ी हुई घरेलू उपलब्धता ने संबद्ध सामान के आयात से जुड़े विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह में कमी लाने में भी योगदान दिया है। इसलिए प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा की गई क्षमता वृद्धियां घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता कम करने में पाटनरोधी उपाय के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा की गई और नियोजित क्षमता वृद्धियों से देश में मांग-आपूर्ति के अंतर में कमी आने की आशा है।

L. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

151. जांच के आवश्यक तथ्य दिनांक 29 अक्टूबर 2026 के प्रकटन विवरण के माध्यम से हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किए गए थे। प्रकटन विवरण पर हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों की जांच की गई है और निम्नलिखित खंड में उनका समाधान किया गया है।

L.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां

152. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन विवरण पर निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:

i. प्राधिकारी ने दोनों ग्रेडों के बीच कीमतों में पर्याप्त अंतर को स्वीकार किया है और घरेलू उद्योग ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि फार्मास्युटिकल खंड में उसकी लाभप्रदता गैर-फार्मास्युटिकल खंड की तुलना में कहीं बेहतर है। जब ऐसे अंतर स्वीकार किए गए हैं, तो प्राधिकारी ने फार्मास्युटिकल और गैर-फार्मास्युटिकल ग्रेडों के लिए अलग-अलग पीसीएन के अनुरोध को अस्वीकार करने में भूल की है।

ii. प्राधिकारी ने जांच अवधि के पश्चात के घटनाक्रमों की पर्याप्त जांच नहीं की है। शेडोंग ने अभ्यावेदन किया था कि आमेलन-रोधी जांच में जांची गई अवधि के बाद उसके निर्यात मूल्यों में बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई दी है। यह टिप्पणी कि जांच अवधि के पश्चात की कोई विशिष्ट सूचना या घटनाक्रम रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया, सही नहीं है।

iii. निरपेक्ष आयात मात्रा में मात्र वृद्धि यह स्थापित नहीं कर सकती कि ऐसे आयात मौजूदा शुल्कों की समाप्ति पर क्षति पहुंचाने की संभावना रखते हैं। तदनुसार, आयात में वृद्धि को क्षति की संभावना के निर्णायक साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

iv. निर्यातक देश में अधिशेष क्षमता का मात्र अस्तित्व यह स्थापित नहीं करता कि ऐसी क्षमता अनिवार्य रूप से भारत की ओर निर्देशित होगी। प्राधिकारी से अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता, प्रचलित अंतरराष्ट्रीय मांग, वास्तविक निर्यात प्रवृत्तियों और भारत की ओर निर्यातों के विचलन (डायवर्जन) की वाणिज्यिक व्यवहार्यता की जांच करना भी अपेक्षित है।

v. घरेलू उद्योग नवंबर 2021 से पाटनरोधी संरक्षण का लाभ उठा रहा है और उसने अपने उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में पर्याप्त सुधार किया है। घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के परिणामस्वरूप निरंतर क्षति नहीं हुई है। पाटनरोधी शुल्क पाटित आयातों से हुई क्षति के उपचार के लिए अभिप्रेत हैं और इनका उद्देश्य स्थायी संरक्षण प्रदान करना या घरेलू उद्योग के भावी निवेशों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता की गारंटी देना नहीं है।

vi. अनुप्रवाह प्रयोक्ताओं की गैर-भागीदारी को इस बात के साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता कि शुल्कों के जारी रहने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। प्रयोक्ताओं की भागीदारी का अभाव प्राधिकारी को अनुप्रवाह उद्योगों पर शुल्कों के प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच करने के दायित्व से मुक्त नहीं करता।

vii. जय केम मार्केटिंग ने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश न्यूनतम आयात मूल्य के स्वरूप में की जाए। व्यापारी ने दावा किया है कि चूंकि उपायों का जारी रहना संभावना पर आधारित है, इसलिए पाटनरोधी शुल्क के स्वरूप को संशोधित कर संदर्भ मूल्य किया जा सकता है, जिससे उचित कीमत वाले आयात शुल्क-मुक्त रहेंगे और यह सुनिश्चित होगा कि एमएसएमई को हानि न हो।

viii. प्राधिकारी ने टिप्पणी की है कि वैकर ने गैर-फार्मा ग्रेड सामग्री का निर्यात किया है और उसकी कीमतें दोनों ग्रेडों में अधिक हैं। तथापि, वैकर ने भारत को केवल गैर-फार्मा ग्रेड का ही निर्यात किया है।

L.2 घरेलू उद्योग की टिप्पणियां

153. घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण पर निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं: -

i. संभावना का निर्णय देश-व्यापी स्तर पर किया जाना चाहिए, न कि उत्पादक-दर-उत्पादक। उत्पाद की आपूर्ति कर सकने वाले 10 से अधिक उत्पादकों में से केवल 2 चीनी उत्पादकों ने भाग लिया है। अपीलीय निकाय ने अमेरिका - संक्षारण-रोधी इस्पात सूर्यास्त समीक्षा (US - Corrosion-Resistant Steel Sunset Review, WT/DS244/AB/R, पैरा 149) में यह अभिनिर्धारित किया कि पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 11.3 कंपनी-विशिष्ट संभावना निष्कर्षों की अपेक्षा नहीं करता।

ii. फार्मा और गैर-फार्मा दोनों ग्रेड एक ही प्रक्रिया से निकलते हैं; फार्मा ग्रेड केवल वह उत्पादन है जिसका परीक्षण कर उसे अशुद्धि सीमाओं के भीतर पाया गया है। प्राधिकारी अलग-अलग पीसीएन केवल वहीं निर्धारित करते हैं जहां लागत में अंतर होता है (सामान्यतः 5% से अधिक)। फार्मास्युटिकल कंपनियों के लिए अशुद्धि सीमाएं अपरिवर्तनीय हैं, उत्पाद एक मामूली लागत मद है, और क्रेता मुख्यतः अर्हताप्राप्त यूरोपीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीद करते हैं, इसलिए फार्मा कीमतें यूरोपीय कीमतों का अनुसरण करती हैं।

iii. पीसीएन निर्धारित करने का जांच के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि शेडोंग ने दोनों ग्रेडों का निर्यात नहीं किया है, अतः उसका निर्यात मूल्य अप्रभावित है। सामान्य मूल्य जापान से आयातों पर आधारित है, जिनमें कोई फार्मा ग्रेड नहीं था। घरेलू उद्योग कोई लागत अंतर नहीं दर्शाता, अतः एनआईपी अप्रभावित है।

iv. जांच अवधि में मांग *** एमटी की क्षमता के मुकाबले *** एमटी थी; वैकर और गैर-चीनी आयातों को छोड़कर घरेलू उद्योग के लिए खुला बाजार *** एमटी है। विस्तार के साथ, भारत शुल्क-भुगतान वाले और गैर-संबद्ध आयातों का स्थान ले सकता है, निर्यात कर सकता है, और उत्पाद में आत्मनिर्भर बन सकता है।

v. यदि घरेलू उद्योग को वैकर को छोड़कर 2,71,267 रु./एमटी की पहुंच कीमत की बराबरी करनी पड़े, तो वह लाभ से हानि और नकद हानि की स्थिति में चला जाएगा। नया संयंत्र भी उत्पादन शुरू होने के दिन से ही हानि का सामना करेगा।

vi. घरेलू उद्योग ने शुल्क का उपयोग अधिक कीमत वसूलने के लिए नहीं किया है और उसने दोनों खंडों में अपने उत्पाद की कीमत गैर-संबद्ध आयातों से कम रखी है। घरेलू उद्योग गैर-फार्मा में चीन के और फार्मा में गैर-संबद्ध आयातों के बेंचमार्क के अनुसार कीमत निर्धारित करता है।

L.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

154. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण पर हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों की जांच की है। अधिकांश टिप्पणियां जांच में पहले किए गए अभ्यावेदनों की पुनरावृत्ति हैं, जिनकी जांच और समाधान इन अंतिम जांच परिणामों के संबंधित खंडों में पहले ही किया जा चुका है। नए सिरे से उठाए गए या आगे जांच की अपेक्षा रखने वाले मुद्दों का समाधान नीचे किया गया है। वैकर समूह की टिप्पणी के संबंध में, पैरा 16 की टिप्पणी को सुधार दिया गया है, और पाटन मार्जिन तालिका, क्षति मार्जिन तालिका और शुल्क तालिका में उत्पादक और निर्यातक के नाम सही कर दिए गए हैं।

155. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने टिप्पणी की है कि दोनों ग्रेडों के बीच कीमतों और लाभप्रदता में पर्याप्त अंतर के बावजूद, प्राधिकारी ने फार्मास्युटिकल और गैर-फार्मास्युटिकल ग्रेडों के लिए अलग-अलग पीसीएन के अनुरोध को गलत रूप से अस्वीकार कर दिया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल कीमत का अंतर पीसीएन पद्धति को उचित नहीं ठहराता, क्योंकि ग्रेडों के बीच कीमत में भिन्नता उत्पादन लागत से परे कारकों पर निर्भर करती है। तकनीकी और फार्मा ग्रेड बिल्कुल एक ही विनिर्माण प्रक्रिया साझा करते हैं और उत्पादन के बाद कोई अतिरिक्त परिशोधन नहीं होता; ग्रेड केवल उत्पादन के बाद अशुद्धि स्तरों के परीक्षण और मात्राकरण द्वारा

निर्धारित किए जाते हैं (फार्मा ग्रेड के लिए कम अशुद्धियां अपेक्षित हैं)। इसके अतिरिक्त, रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि अधिकांश फार्मा ग्रेड आयात यूरोपीय संघ से आते हैं। चीन के उत्तरदाता उत्पादकों ने यह नहीं बताया है कि उन्होंने फार्मा और गैर-फार्मा दोनों ग्रेडों का निर्यात किया है। यह भी नोट किया जाता है कि पीसीएन पद्धति अपनाने से वर्तमान मामले में परिणाम नहीं बदलेगा। प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि दोनों ग्रेडों की उत्पादन लागत में कोई सारवान अंतर नहीं है। प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि क्षतिरहित कीमत घरेलू उद्योग की लागत संरचना पर आधारित है और इसलिए पीसीएन पद्धति निर्धारित करने का क्षति मार्जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, सामान्य मूल्य जापान से आयातों पर आधारित है जो केवल गैर-फार्मास्युटिकल ग्रेड के हैं और इसलिए पीसीएन पद्धति निर्धारित करने का पाटन मार्जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः विभिन्न ग्रेडों के निर्यात मूल्य को अलग-अलग करने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा और उत्पादों को एक या अलग-अलग पीसीएन के रूप में माने जाने पर परिणामी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

156. शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड की इन टिप्पणियों के संबंध में कि आमेलन-रोधी जांच की जांच अवधि (1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024) के बाद उसके निर्यात मूल्यों में वृद्धि हुई, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच की जांच अवधि (1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025) आमेलन-रोधी जांच की अवधि के बाद की है, और वर्तमान जांच की क्षति अवधि बीच की अवधि को कवर करती है। इसलिए आमेलन-रोधी जांच के बाद निर्यातक के मूल्य निर्धारण को पहले ही ध्यान में रखा जा चुका है। इसके अतिरिक्त, यह देखते हुए कि वर्तमान जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति नहीं पाई गई, निर्यातक ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि जांच अवधि के पश्चात के आंकड़ों के विश्लेषण से जांच के किसी सारवान तथ्य या निष्कर्ष में किस प्रकार परिवर्तन होगा।

157. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की इस टिप्पणी के संबंध में कि निरपेक्ष आयात मात्रा में वृद्धि और अधिशेष क्षमता क्षति की संभावना या निर्यात विचलन के अपर्याप्त साक्ष्य हैं, प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि इन मापदंडों का मूल्यांकन अलग-थलग नहीं किया गया था। घरेलू उत्पादन और कुल भारतीय खपत दोनों के सापेक्ष आयात बढ़े हैं।

उत्तरदाता उत्पादकों के पास निष्क्रिय उत्पादन क्षमताएं हैं, और तीसरे देशों को निर्यात के आंकड़े दर्शाते हैं कि शेडोंग के तीसरे देशों को 95-100% निर्यात सामान्य मूल्य से कम हैं, जिनमें से 45-55% की कीमत भारत को उसके निर्यात से भी कम है। चूंकि शेडोंग से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है, इसलिए उपायों की समाप्ति की स्थिति में निरंतर कम कीमत वाले आयात घरेलू बाजार में मूल्य स्थिरता के लिए प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न करते हैं। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में भारत की ओर निर्यात विचलन की स्पष्ट संभावना है।

158. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने टिप्पणी की है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के परिणामस्वरूप निरंतर क्षति नहीं हुई है और घरेलू उद्योग नवंबर 2021 से पाटनरोधी संरक्षण का लाभ उठा रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने भी घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति के अभाव का निष्कर्ष निकाला है। तथापि, निरंतर क्षति का अभाव स्वयं पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का ही परिणाम हो सकता है और यह अपने आप में यह स्थापित नहीं करता कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति की कोई संभावना नहीं है। मात्र यह तथ्य कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन मानदंडों में सुधार दर्ज हुआ, शुल्क हटाने का औचित्य नहीं है। यह माना जाता है कि यह सुधार प्रवृत्त उपायों के कारण है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत दोनों से कम है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति पर, ऐसे निम्न कीमत स्तरों पर आयात घरेलू उद्योग की कीमतों पर नीचे की ओर दबाव डालेंगे और उसकी मूल्य प्राप्ति तथा लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। प्राधिकारी ने ऊपर घरेलू उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के प्रतिकूल प्रभाव की जांच पहले ही कर ली है, जो दर्शाती है कि शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को वित्तीय और नकद हानि होने की संभावना है। घरेलू उद्योग ने अपनी पूर्ण, चालू और नियोजित क्षमता वृद्धियों के बारे में सूचना भी रिकॉर्ड पर रखी है, जिनकी व्यवहार्यता शुल्क की समाप्ति की स्थिति में प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी।

159. हितबद्ध पक्षकारों की इन टिप्पणियों पर कि उपायों को संशोधित कर संदर्भ मूल्य किया जा सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वे पाटन के जारी रहने और/या क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना के आधार पर उपायों के जारी रहने की सिफारिश कर रहे हैं। इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रवृत्त शुल्क की मात्रा का पुनः मात्राकरण करना या उसके स्वरूप में परिवर्तन करना उपयुक्त नहीं होगा।

160. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि अनुप्रवाह प्रयोक्ताओं की गैर-भागीदारी को इस बात के साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता कि शुल्कों के जारी रहने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर-भागीदारी को अलग-थलग नहीं देखा गया है। तथापि, यह तथ्य कि प्रयोक्ताओं ने भाग नहीं लिया है, घरेलू उद्योग के इस दावे को और पुष्ट करता है कि अंतिम उत्पाद में विचाराधीन उत्पाद की लागत न्यूनतम है और शुल्क का अंतिम प्रयोक्ताओं पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्तरदाता हितबद्ध पक्षकारों ने भी घरेलू उद्योग द्वारा बताए गए तथ्यों का खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। किसी भी स्थिति में, अनुप्रवाह उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की जांच की गई है और यह कम पाया गया है। यह भी माना जाता है कि लोकहित का विश्लेषण केवल प्रयोक्ता उद्योग तक सीमित नहीं है और इसमें घरेलू उत्पादकों को भी ध्यान में रखा जाता है। प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि प्रवृत्त शुल्कों ने घरेलू उद्योग को विकसित होने का अवसर दिया है। घरेलू उद्योग ने *** करोड़ रु. के पूंजी निवेश से अपनी क्षमता *** एमटी से बढ़ाकर *** एमटी करने के लिए पहले ही डी-बॉटलनेकिंग की है। घरेलू उद्योग ने हाल ही में एक और डी-बॉटलनेकिंग की है, जिससे उसकी क्षमता *** एमटी बढ़ी है और इस डी-बॉटलनेकिंग में लगभग *** करोड़ रु. का निवेश किया है। घरेलू उद्योग अब *** एमटी की क्षमता और *** करोड़ रु. के निवेश के साथ विचाराधीन उत्पाद के लिए एक नई उत्पादन लाइन स्थापित कर रहा है।

M. <u>निष्कर्ष</u>

161. उठाए गए तर्कों, प्रदान की गई सूचना, किए गए अभ्यावेदनों और ऊपर दर्ज किए गए अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, तथा पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि:

i. वर्तमान सूर्यास्त समीक्षा जांच अधिनियम की धारा 9क(5) को नियमावली के नियम 23 के साथ पढ़ते हुए यह जांच करने के लिए शुरू की गई थी कि क्या चीन जन.गण. में उत्पन्न या वहां से निर्यातित "अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका" के आयात पर प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है।

ii. प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान जांच में कोई पीसीएन पद्धति अपनाया जाना अपेक्षित नहीं था।

iii. चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने गैर-बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति की धारणा का खंडन करने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली दाखिल नहीं की। तदनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अंतर्गत जापान से आयात मूल्य के आधार पर किया गया है, जिसे शुद्ध कारखाना-स्तर (एक्स-फैक्टरी) पर पहुंचने के लिए समायोजित किया गया है। सामान्य मूल्य का निर्धारण जापान से आयात मूल्य पर विचार करते हुए किया गया है, जो वर्तमान जांच अवधि में गैर-फार्मा उपयोग के लिए उत्पाद के आयात से संबंधित था।

iv. जांच से चीन से महत्वपूर्ण पाटन का अस्तित्व प्रकट हुआ है। प्राधिकारी ने वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड के मामले में पाटन मार्जिन 50-60%, शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड के मामले में 130-140% और अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए 150-160% निर्धारित किया है।

v. शुल्क प्रवृत्त रहने के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग बढ़ी। मांग जांच अवधि में सर्वाधिक थी। चीन जन.गण. से आयात की मात्रा क्षति अवधि में बढ़ी है और जांच अवधि में सर्वाधिक थी।

vi. शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम है। यह देखा गया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क के अभाव में घरेलू उद्योग को ऐसे आयातों की पहुंच कीमत की बराबरी करनी पड़े, तो उसका लाभ हानि में बदल जाएगा, और घरेलू उद्योग को नकद हानि और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल का सामना करना पड़ेगा।

vii. घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री क्षति अवधि में बढ़े हैं। घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मानदंडों में भी क्षति अवधि में सुधार हुआ है। प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क को देखते हुए घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति नहीं हुई है।

viii. प्रवृत्त उपाय के बावजूद बढ़े हुए मार्जिन पर पाटन का जारी रहना यह स्थापित करता है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन के जारी रहने की संभावना है। मूल जांच की तुलना में वर्तमान जांच अवधि में आयात की मात्रा और पाटन मार्जिन दोनों बढ़े हैं।

ix. संबद्ध देश के उत्पादक महत्वपूर्ण निष्क्रिय क्षमताओं के साथ परिचालन कर रहे हैं, और उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्यात परिचालनों के लिए उपयोग किया जा रहा है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग स्तर पर, चीन जन.गण. में उसकी वर्तमान क्षमता से संभव अतिरिक्त उत्पादन भारत में मांग का लगभग 8 गुना है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में, और यदि घरेलू उद्योग ऐसी समाप्ति के बावजूद अपनी कीमतें बनाए रखने का विकल्प चुनता है, तो चीनी उत्पादक संपूर्ण भारतीय मांग को अपने कब्जे में लेने में समर्थ हैं।

x. शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड के मामले में, उसकी क्षमता का 15-25% निष्क्रिय है और उसके उत्पादन का 10-20% निर्यात किया जाता है। भारत में उत्पाद की मांग को देखते हुए यह मात्रा काफी महत्वपूर्ण है।

xi. दोनों प्रतिभागी उत्पादकों के तीसरे देशों को निर्यात बड़े पैमाने पर सामान्य मूल्य से कम हैं, और ऐसे निर्यातों का एक पर्याप्त भाग भारत को उनके निर्यात मूल्य से कम और घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम है।

xii. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि इस स्तर पर प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिए जाने की स्थिति में पाटन के जारी रहने की संभावना और घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना है।

xiii. अनुप्रवाह उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव 0% से 2% के स्तर पर न्यूनतम पाया गया है।

xiv. शुल्क ने घरेलू उद्योग को अपनी क्षमता बढ़ाने और देश में बढ़ती मांग को पूरा करने का अवसर दिया है। घरेलू उद्योग अपनी आय को कुल *** एमटी की तीन परियोजनाओं में पुनर्निवेशित कर रहा है। जहां घरेलू उद्योग ने पहले ही दो क्षमता डी-बॉटलनेकिंग की हैं, वहीं वह अब *** एमटी क्षमता के एक नए

ग्रीनफील्ड संयंत्र में निवेश कर रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्रतिबद्ध निवेश महत्वपूर्ण हैं और देश में इन नए तथा मौजूदा निवेशों की रक्षा के लिए अनुचित कीमत वाले पाटित आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क के रूप में समान अवसर आवश्यक है।

N. सिफारिश

162. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान कार्यवाही अधिनियम और नियमावली के अनुसार संचालित की गई थी। सभी हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत सूचित किया गया और उन्हें जांच के अधीन मामलों, जिनमें पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध, पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना तथा भारतीय उद्योग पर उपायों का प्रभाव शामिल हैं, पर सूचना प्रदान करने और अपने विचार प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। सूर्यास्त समीक्षा के अनुसरण में, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वर्तमान मामले में मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों का पांच वर्ष की और अवधि के लिए जारी रहना अपेक्षित है।

163. चूंकि प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना के आधार पर उपायों के जारी रहने की सिफारिश की है, इसलिए प्राधिकारी प्रवृत्त शुल्क की मात्रा का पुनः मात्राकरण करना उपयुक्त नहीं मानते। प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम सं. 6/40/2020-डीजीटीआर दिनांक 20 सितंबर 2021 द्वारा अनुशंसित और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 66/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 11 नवंबर 2021 द्वारा लगाए गए निश्चित पाटनरोधी शुल्क, जिसे अंतिम जांच परिणाम सं. 7/05/2025-डीजीटीआर दिनांक 11 अगस्त 2025 के अनुसरण में संशोधित किया गया और वित्त मंत्रालय द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 30/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 27 अक्टूबर 2025 द्वारा स्वीकार किया गया, के जारी रहने की सिफारिश करना उपयुक्त मानते हैं।

164. प्राधिकारी, वर्तमान जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों की जांच करने के बाद, संबद्ध देश में उत्पन्न या वहां से निर्यातित संबद्ध सामान के सभी आयातों पर, इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में

दर्शाए गए आंकड़े के बराबर निश्चित शुल्कों के जारी रहने की सिफारिश करना उपयुक्त और आवश्यक मानते हैं।

<u>शुल्क तालिका</u>

क्र. सं.	शीर्ष	विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूओ एम	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	28112200	अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	शेडोंग डोंग्यू सिलिकॉन मटेरियल कंपनी लिमिटेड	1,296	एमटी	यूएसडॉ.
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	वैकर केमिकल्स फ्यूम्ड सिलिका (झांगजियागांग) कंपनी लिमिटेड	शून्य	एमटी	यूएसडॉ.
3	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	क्र.सं. 1 और 2 को छोड़कर कोई उत्पादक	1,296	एमटी	यूएसडॉ.
4	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. को छोड़कर कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	1,296	एमटी	यूएसडॉ.

165. उपर्युक्त शुल्क तालिका के क्र.सं. 1 और 2 में उल्लिखित उत्पादक/निर्यातक के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दर का लागू होना सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर होगा, जिस पर ऐसा बीजक जारी करने वाली इकाई के एक अधिकारी द्वारा, जिसकी पहचान उसके नाम और पदनाम से की गई हो, दिनांकित और हस्ताक्षरित निम्नानुसार तैयार की गई घोषणा अंकित होगी:

'मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूं कि इस बीजक के अंतर्गत भारत को निर्यात के लिए बेची गई अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका की (मात्रा) का विनिर्माण चीन

जन.गण. में (कंपनी का नाम और पता) द्वारा किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूं कि इस बीजक में प्रदान की गई सूचना पूर्ण और सही है।'

166. यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो 'किसी अन्य उत्पादक' पर लागू अवशिष्ट शुल्क लागू होगा। यह अपेक्षा लागू सीमा शुल्क कानून और विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

O. आगे की प्रक्रिया

167. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9ग और नियमावली के संबंधित प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 6th November, 2026

Case No. AD (SSR)-05/2026

Sunset review investigation concerning anti-dumping duty imposed on the imports of "Untreated Fumed Silica" originating in or exported from China PR



F. No. 7/09/2026-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Anti-Dumping Rules" or "Rules") thereof:

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as "Authority") received an application from Cabot Sanmar Limited (hereinafter referred to as the "applicant" or the "domestic industry") seeking initiation of a sunset review for extension of the anti-dumping duty imposed on imports of "Untreated Fumed Silica" (hereinafter also referred to as "subject goods" or "product under consideration" or "PUC") originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as "subject country").

2. On the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicant, the Authority issued a public notice vide notification no. 7/09/2026-DGTR dated 20th March 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation on imports from China PR. The investigation was initiated in accordance with Section 9A (5) of the Act read with Rule 23 of the Rules to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry and whether there is a need for continued imposition of the anti-dumping duties.

A. BACKGROUND OF THE CASE

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of the product under consideration from China PR and Korea RP was initiated by the Authority vide notification dated 22nd September 2020. Pursuant to a duly substantiated application filed by the domestic industry and after detailed examination, the Authority concluded that the imports from these countries were at dumped prices and had caused material injury to the domestic industry. Accordingly vide Final Finding Notification No. 6/40/2020-DGTR dated 20th September 2021, the Authority recommended imposition of anti-dumping duties. The Ministry of Finance, thereafter, accepted the recommendation and imposed anti-dumping duties vide Customs Notification No. 66/2021- Customs (ADD) dated 11th November 2021.

4. Thereafter, the Authority initiated an anti-absorption investigation vide Notification No. 7/05/2024-DGTR dated 31st December 2024 to examine whether the duties were being absorbed by Shandong Dongyue Silicone Material Co., Ltd. The Authority after conducting the investigation found that the producer had absorbed the measures and recommended modification of the quantum of duty imposed vide Final Finding Notification No. 7/05/2025- DGTR dated 11th August 2025 and the same was imposed by the Ministry of Finance vide Customs Notification No. 30/2025- Customs (ADD) dated 27th October 2025. The anti-dumping duties were further extended by Notification No. 19/2026-Customs (ADD) till 10th February 2027.

5. In terms of Section 9A (5) of the Act, any anti-dumping duty imposed thereunder shall, unless revoked earlier, remain in force for a period not exceeding five (5) years from the date of imposition. The proviso to Section 9A (5) of the Act further provides for extension of such duty for a further period of up to five (5) years where its cessation is likely to result in the continuation or recurrence of dumping and injury, and reads as under:

> *"Provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period up to five years and such further period shall commence from the date of order of such extension."*

6. Further, Rule 23(1B) of the Rules provides as follows:

> *"any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated Authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry"*

7. Anti-dumping duties are in force on the imports of the product under consideration from China PR and Korea RP. The application was filed in respect of dumping of the product under consideration from China PR only. Accordingly, since there was no duly substantiated application with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duty from Korea RP, the present review was not initiated in respect of imports from Korea RP.

8. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, whether the expiry of existing anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

B. PROCEDURE

9. The procedure described hereinbelow has been followed with regard to the investigation:

Initiation.

i. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation

ii. Upon examination of the application, the Authority found prima facie evidence of dumping and consequent injury. Therefore, vide notification no. 7/09/2026- DGTR

dated 20th March 2026, published in the Gazette of India Extraordinary, the Authority initiated the present proceedings.

9.2 Period of investigation and injury period

iii. The period of investigation ("POI") was considered as 1st October 2024 to 30th September 2025. The injury period was set to cover the period 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024, 1st April 2024 to 31st March 2025 and the POI

9.3 Import data

iv. A request was made to the Directorate General for Systems and Data Management ("DG System") for transaction-wise import data of the product under consideration for the injury period. The Authority received the data and has relied upon this data for the necessary analysis after due examination of the transactions.

9.4 Circulation of non-confidential version of the application.

v. In accordance with Rule 6(2), the Authority informed interested parties of the initiation of the investigation by sharing a copy of the initiation notification with the embassy of the subject country in India, known producers and exporters of the product under consideration in the subject country, known importers of the subject goods in India and other interested parties, as per the information made available in the application.

vi. In accordance with Rule 6(3), the Authority provided a copy of the nonconfidential version of the application to the government of the subject country through their embassy in India, known exporters of the subject imports and to other interested parties who requested in writing for a copy of the application.

vii. The Authority sent questionnaire to the government of the subject country through their embassy in India. The government of the subject country was requested to forward the initiation notification and the questionnaires to the producers of the product under consideration in their country and advise them to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.

9.5 Intimation and participation by exporters of the subject country and users/importers of the product under consideration in India.

viii. The Authority sent exporter questionnaires to the known producers/exporters of the subject goods calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules

ix. The following exporters/producers from the subject country have registered as interested parties:

SN	Name of exporters / producers in subject country
1	Wacker Chemicals Fumed Silica ZJG Co Ltd
2	Wacker Chemicals China Co Ltd
3	Wacker Chemicals Fumed Silica Zhangjiagang Co Ltd
4	Shandong Dongyue Silicone Material Co Ltd

x. The Authority sent importer questionnaires to the known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules

xi. The following importers/users from India have registered as interested parties:

SN	Name of importers and users in India
1	Wacker Metroark Chemicals Pvt Ltd
2	Jay Chem Marketing

xii. In response to the initiation notification, no association has participated or made submissions in the present investigation.

xiii. Producers/exporters from the subject country and other interested parties who have not responded, or have not supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating.

9.6 Public file

xiv. The Authority made available the non-confidential versions of the submissions filed by various interested parties through the SETU portal, in the form of a public file.

9.7 Economic Interest Questionnaire

xv. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire ("EIQ") to assess public interest and impact of the duties on the wider economy. A copy of the EIQ was sent to the embassy of the subject country, all the known exporters, importers and users and the domestic industry. The EIQ was also shared with the administrative line ministry.

9.8 Oral hearing

xvi. In accordance with Rule 6(6), the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held on 7th July 2026. The parties presenting their views in the oral hearing were directed to make written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.

9.9 Further procedure.

xvii. In accordance with Rule 7, the information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such confidentiality claims. On being satisfied, the confidentiality claims have been accepted wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

xviii. Wherever an interested party has claimed information as confidential, the Authority has not disclosed the same in these final findings. Further, any information that has been processed by the Authority from confidential information provided by

interested parties has also been considered confidential in these final findings and has not been disclosed on actual basis, as, disclosure of such information on actual basis in these final findings shall lead to disclosure of information confidentiality of which has been protected by the rules.

xix. In accordance with Rule 8, the accuracy of information and data provided by the domestic industry and interested parties was verified by the Authority during the course of the investigation to an extent considered relevant, practicable, and necessary. The verification of submitted data and documents forms the basis of these final findings, and the Authority has relied on the verified data of the domestic industry for its analysis in the present proceedings.

xx. The non-injurious price (NIP) has been determined on the basis of the cost of production and the cost to make and sell the domestic like article in India, based on the information furnished by the applicant, having regard to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and in accordance with the principles laid down in Annexure III to the Rules.

xxi. All the arguments raised and information provided by all the interested parties to the extent that the same is supported with evidence and considered relevant to the present investigation have been considered.

xxii. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts under consideration were disclosed to the known interested parties through a disclosure statement dated 29th October 2026, and the interested parties were given five days to offer their comments thereon. Comments on the disclosure statement were received from Shandong Dongyue Silicone Material Co., Ltd., the Wacker group (Wacker Chemicals Fumed Silica (Zhangjiagang) Co., Ltd., Wacker Chemicals (China) Co., Ltd. and Wacker Metroark Chemicals Pvt. Ltd.), Jay Chem Marketing and the domestic industry. The comments received, to the extent considered relevant, have been examined and addressed in these final findings.

xxiii. "***" in these final findings represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered under the Rules.

xxiv. The exchange rate adopted for the present investigation is 1 US$ = ₹86.76, as notified by the Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC), being the average of the exchange rates notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) under Section 14 of the Customs Act, 1962 for conversion of the value of imported goods, in force during the period of investigation. The same rate has been applied throughout these final findings.
Source: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 Submission of the other interested parties.

10. The other interested parties have made the following submissions with regard to the product under consideration and like articles:

i. Untreated Fumed Silica is not a uniform or homogeneous product.

ii. It is manufactured and sold in distinct categories depending upon its end-use and regulatory requirements.

iii. There is a fundamental distinction between pharmaceutical grade material and non-pharmaceutical grade material. The two categories differ in terms of specifications, regulatory compliance, customer requirements, and functional use.

iv. Pharmaceutical grade material must comply with significantly higher purity standards and is required to be manufactured, handled, and in certain cases repackaged in controlled environments.

v. Pharmaceutical grade products involve extensive testing, validation, and certification processes, including batch-wise testing, stability studies, and maintenance of regulatory filings.

vi. The two categories of the product operate entirely in different market segments and are subject to distinct pricing mechanisms.

vii. PCN methodology should be adopted to incorporate grade-based differentiation as a primary parameter.

viii. Shandong Dongyue Silicone Material Co., Ltd., predominantly manufactures and exports industrial grade Untreated Fumed Silica. Wacker supplies higher-value products catering to pharmaceutical and specialised applications. If there is no distinction between pharmaceutical and non-pharmaceutical grades, there is no reason for such a substantial difference in prices between the two producers.

ix. While opposing separate PCNs, it has undertaken a separate analysis of pharmaceutical and non-pharmaceutical grades and admitted that the pharmaceutical segment is significantly more profitable. Its own analysis establishes that the two grades are commercially distinct

C.2 Submission of the domestic industry.

11. The domestic industry has made the following submissions with regard to the product under consideration and like articles.

i. The product under consideration in the present investigation is Untreated Fumed Silica.

ii. The scope of the product is same as defined by the Authority in the original investigation.

iii. The issue of separate PCN for pharma and non-pharma was examined in the original investigation and the Authority had held that the two are not required to be considered as separate PCNs.

iv. Separate PCNs for the two grades are appropriate only when the product has materially different cost of production.

v. The product supplied for pharma and non-pharma applications does not carry any different cost of production.

vi. Unless the producer from the subject country claims that it is operating in a market economy condition, difference in price has no impact on dumping margin determination.

vii. No information on differences in cost and price has been provided by the producer from the subject country.

C.3 Examination by Authority

12. The present investigation is a sunset review investigation, and the scope of the PUC remains the same as defined in the original investigation. The PUC as defined in the original investigation and considered at the stage of initiation is reproduced hereunder –

> *"3. The product under consideration in the application is "untreated fumed silica". Synthetic silica manufactured from a vapour phase flame hydrolysis of a silane compound, is popularly known as fumed silica. This type of synthetic silica is different from other silica by its functionality and manufacturing process and the raw materials needed. While other synthetic silicas are made from silicate solution in a liquid phase, fumed silica is manufactured in d gas phase at a very high temperature.*
> *4. Fumed silica is classified as untreated fumed silica and treated fumed silica. Untreated fumed silica is made by the flame hydrolysis of Chlorosilane feedstock in an oxygen hydrogen flame at temperatures of 1800 deg C. This process allows production of the silica with unique structure comprising of chain like aggregates and agglomerates.*
> *5. Untreated fumed silica has a large specific surface area. Depending upon its surface area values such as 150 or 200 or 300 or 380 m2/gm the untreated fumed silica is classified as different grades suitable for different applications. The most popular grade is 200m2/gm, used in variety of applications.*
> *6. It is free-flowing powered product, used for wide applications. Untreated Fumed Silica improves free flow properties in solid systems and used as free flow and tableting agent in pharmaceuticals and an anti-caking agent in foods and agrochemicals. It is also used as a carrier for liquid flavours and fragrances. Product concerned is solid in terms of net weight expressed in terms of kg or MT.*
> *7. Fumed Silica or Silicon di-oxide is classified under Chapter 28, subheading 2811 2200. The untreated fumed silica being imported into India under different HS codes also under subheading 28112190, 2839100 of Chapter 28 and 34049090 of Chapter 34 of the Customs Tariff Act, 1975. Customs classification is only indicative in nature and not binding on the scope of the investigation."*

13. The imports of the product under consideration attract concession on basic customs duty of 4.13% under the Asia-Pacific Trade Agreement, 1975 on imports from China.

14. No interested party has sought any exclusion from, or modification of, the scope of the product under consideration. The submissions of the other interested parties are confined to the adoption of a PCN methodology, which is examined below. Accordingly, the Authority retains the same scope of the product under consideration as defined in the original investigation.

➢ Comments on PCN

15. The Authority has examined the submissions made by the interested parties regarding the need for adoption of PCN methodology.

16. With regard to the request for adoption of PCN methodology, the Authority notes that the other interested parties have proposed segregation of the product into pharmaceutical and

non-pharmaceutical grades based on differences in end-use, regulatory requirements, and pricing. It is seen that while there is an admitted difference in the price between the pharma and non-pharma grades (by the domestic industry as well as by the Shandong), none of the parties have quantified, or substantiated with verifiable evidence, any difference in the cost of production of the two grades. The alleged differences between the two grades are stated to arise from pharmaceutical grade products involving extensive testing, validation, and certification processes, including batch-wise testing, stability studies, and maintenance of regulatory filings. However, the cost impact of these processes has not been demonstrated. Further, the domestic industry has contended that there is no material difference in the cost of production of different grades. As regards the contention of Shandong that the need for separate PCNs for pharmaceutical and non-pharmaceutical grades is substantiated by the difference in price between the exports of Wacker and Shandong, as Wacker exclusively exports pharmaceutical grade product and its price is higher, Wacker has contested this claim and has clarified that Wacker Chemicals Fumed Silica (Zhangjiagang) Co., Ltd. does not manufacture, and Wacker Chemicals (China) Co., Ltd. does not export, pharmaceutical grade subject goods to India. Both the participating producers export non-pharmaceutical grade product to India. The Authority considers that a comparison of export prices between two exporters cannot by itself establish a difference between grades, because each exporter's price reflects its own commercial considerations.

17. The Authority observes that sufficient evidence has not been put on record to demonstrate that such differences in product characteristics result in material variation in cost of production, warranting separate PCNs. The Authority notes that the purpose of a PCN methodology is to ensure a fair comparison between product types whose physical or technical characteristics cause material differences in cost and price. A difference in selling price alone does not decide the need for separate PCNs, since prices are shaped by various factors, some of which may not relate to the cost of production. Even otherwise, the costs of testing, validation, certification and regulatory filings are in the nature of quality-control and compliance overheads. No interested party has shown that these costs form a significant share of the total cost of production, or that they cause a material difference in cost between the two grades. The Authority further notes that the issue of segregation between pharmaceutical and non-pharmaceutical grades was examined in the original investigation, wherein it was concluded that such distinction does not warrant separate PCNs. In the present investigation, no new evidence has been placed on record to justify a departure from the earlier approach. The Authority also considers that the non- injurious price is based on cost structures of the domestic industry. In a situation where the domestic industry has reported no material difference in the cost of production of different grades, the non-injurious price shall remain the same for different grades, particularly when the party requesting separate PCN has not claimed that it has exported both the grades. Therefore, no useful purpose shall be served by segregating import prices of different grades and there shall be no impact on resultant injury margin whether the products are treated as one or different PCNs. In light of the foregoing, the Authority concludes that while distinct commercial and regulatory attributes including market pricing exist between pharmaceutical and non-pharmaceutical grades, the interested parties have failed to discharge the requisite burden of proof by placing on record verifiable and quantified

material demonstrating a variance in the actual cost of production between the respective grades.

18. In view of the above, the Authority considers that no PCN methodology is required to be adopted in the present investigation.

19. It is noted that the subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. Accordingly, it is held that the product produced by the domestic industry is 'like article' to the product under consideration imported from the subject country in terms of Rule 2(d) of the Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submission of the other interested parties

20. The other interested parties have made no submissions with respect to the domestic industry and standing.

D.2 Submission of the domestic industry

21. The domestic industry has made the following submissions with respect to the domestic industry and standing:

i. The application has been filed by Cabot Sanmar Limited which is the sole producer of the subject goods in India.

ii. The applicant has not imported the subject goods from the subject country and is not related to any exporter in the subject country nor to any importers in India.

D.3. Examination by the Authority

22. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as below:

> *"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers."*

23. The present application has been filed by Cabot Sanmar Limited. The applicant is the sole producer of the subject goods in India.

24. The applicant has certified that it has not imported the subject goods from the subject country during the period of investigation and that it is neither related to any exporting

producer of the subject goods in the subject country nor to any importer of the product in India. The DG Systems data has been examined, and it is found that the applicant has not imported the product under consideration from the subject country.

25. In view of the above, it is held that the applicant constitutes eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and that the application satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3) read with Rule 23 of the Rules.

E. MISCELLANEOUS ISSUES AND CONFIDENTIALITY.

E.1 Submission of the other interested parties

26. The other interested parties have made the following submissions with regard to confidentiality and other issues: -

i. The domestic industry has relied upon unauthenticated market research report to claim likelihood.

ii. The domestic industry has relied upon unauthenticated import data to ascertain import volume and value of imports.

iii. Anti-dumping duties are not intended to provide perpetual protection and can be continued under Rule 23 only where positive evidence establishes likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. Since no such evidence has been produced, the existing duties should be allowed to lapse.

E.2 Submission of the domestic industry

27. The domestic industry has made the following submissions with regard to confidentiality and other issues: -

i. On the submission of the interested parties that domestic industry has relied on unauthenticated data, DGTR calls information from DG Systems or DGCI&S and adopts the same for the purpose of determination. The domestic industry has not insisted on using only their data for proposed determination.

ii. On the submission of the interested parties that domestic industry has relied on unauthenticated data, the domestic industry has relied upon reports by Beijing Sino Advanced Chemical Materials Technology Institution (ACMI), which is a professional service organization specializing in the research and development of new chemical materials industry.

E.3 Examination by the Authority

28. The Authority made available the non-confidential versions of the submissions filed by various interested parties through the SETU portal, in the form of a public file. With regard to the confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated

authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on a confidential basis to furnish a non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible to summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

29. The submissions made by the domestic industry and the participating exporters concerning confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. It is seen that the domestic industry and interested parties have claimed confidentiality on information, such as production, capacity, capacity utilization, sales volumes, market share, stocks, selling price, costs, profits, cash profits, return on investment, non-injurious price, cost of production related information, normal value, export price, dumping margin, injury margin, price adjustments, profit related information, sales channels, sales & purchase documents, customers and suppliers names, etc. It is also seen that wherever information is for injury period, the same has been provided on an indexed basis. Information such as non-injurious price and price undercutting has been disclosed in the range by the applicant.

30. The interested parties have claimed confidentiality in various supporting documents & information, wherever such information has not been publicly disclosed by them. In those cases where an interested party has not publicly disclosed its annual reports and financial statements, the same has been claimed confidential. Wherever the interested parties have claimed a document as confidential, it is noted that these interested parties have claimed that these documents are not susceptible to summary and have given reasons why summarization is not possible.

31. The Authority has examined the confidentiality claims of the interested parties having regard to the nature of the information and the reasons furnished in support of each claim. The Authority notes that all the interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties.

32. On the submissions made by the interested parties concerning the reliability of the data used by the domestic industry for the examination of imports, it is clarified that the Authority called for transaction-wise import data from DG Systems and compared it with the import data furnished by the applicant, and found that the import volume and price were comparable. In any event, the Authority has relied upon the DG Systems transaction-

wise data for the purpose of initiation, the present investigation and proposed determination.

33. On the submissions made by the interested parties concerning the reliability of the market research reports relied upon by the applicant, the Authority notes that the applicant has relied upon information sourced from industry-specific sources. In particular, the report relied upon by the domestic industry has been published by Beijing Sino Advanced Chemical Materials Technology Institution and Sino Alliance of Green Development of Silicon Industry, which are institutions engaged in research and development relating to the silicon industry. The interested parties have not placed on record any material or evidence to establish that the said reports are unreliable or lack credibility. Further, no contrary evidence or information has been provided by the interested parties for the Authority's consideration. The Authority has also considered the information furnished by the participating producer from China while assessing the likelihood of dumping and injury in the event of cessation of the existing measures. In view of the above, the Authority finds no sufficient basis to disregard the information contained in the said reports and has, accordingly, taken the same into consideration for the present purpose.

34. With regard to the submissions of the other interested parties that the domestic industry has not furnished substantive evidence to justify the continued imposition of anti-dumping duty, it is noted that sufficient information and prima facie evidence had been placed on record to warrant initiation of the investigation. The Authority, upon examination of the information available, was satisfied that sufficient prima facie grounds existed for initiation of the investigation to examine if there is a need for continued imposition of anti-dumping duty. The final conclusion will be based on examination of all the facts.

Assessment of Dumping – Methodology and Parameters

F. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

F.1 Submission of the other interested parties

35. The other interested parties have made the following submissions concerning normal value, export price and dumping margin.

i. The presumption of China PR as a non-market economy and the requirement to file MET ceased on 11th December 2016 with the expiry of China's Accession Protocol provisions. Accordingly, normal value must be determined on the basis of actual domestic prices and costs of participating Chinese producers, and reliance on surrogate country methodology post-2016 is inconsistent with WTO obligations

ii. Normal value for China may be determined based on cost and price information provided by the producers from China.

iii. The actual export price trend of Shandong Dongyue Silicone Material Co., Ltd. does not support the allegation that the producer/exporter is likely to continue or resume dumping in the Indian market.

iv. The Wacker group operates on a global reference pricing model for intra-group transfers benchmarked to European sale prices, and reliance on Wacker's pricing would distort the determination of normal value.

v. Domestic Industry has not placed any evidence on record to establish that Japanese export prices are an appropriate benchmark or that the products are comparable in terms of specifications, grades, market conditions or cost structure.

F.2 Submission of the domestic industry

36. The domestic industry has made the following submissions concerning normal value, export price and dumping margin:

i. As per the Accession Protocol and practice of Authority, China should be treated as a non-market economy. Market economy treatment can be allowed only when the same is claimed and appropriateness thereof is demonstrated.

ii. None of the producers have filed the NME questionnaire.

iii. Since none of the producers have shown that market economy conditions prevail in their industry, the Authority is not required to determine the normal value based on domestic prices or costs in China.

iv. The normal value should be based on the import price from Japan adjusted to arrive at net ex-factory level.

F.3 Examination by the Authority

37. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

i. The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii. When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

a. comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

b. the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

38. The questionnaires were sent to the known producers/exporters from the subject country, advising them to provide information in the prescribed form and manner. The following producers/exporters have filed questionnaire responses: (a) Shandong Dongyue Silicone Material Co., Ltd. (producer and exporter); and (b) Wacker Chemicals Fumed Silica

(Zhangjiagang) Co., Ltd. (producer), together with its related exporter, Wacker Chemicals (China) Co., Ltd.

F.3.1 <u>Normal value determination for China.</u>

39. The Authority notes the following provisions under Para 7 and Para 8 of Annexure-I to the Rules with regard to the determination of normal value for producers in China PR:

"7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question] and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in a similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay of the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

"8. (1) The term "non-market economy country" means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in subparagraph (3).

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an antidumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three-year period preceding the investigation is a non-market economy country. Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3)

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values; (b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts; (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by

sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.

(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a Member of the World Trade Organization."

40. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption of treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers / exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information on whether their data/information could be adopted for normal value determination. The Authority sent copies of the market economy treatment / supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters in China PR to provide relevant information in this regard.

41. Article 15 of China's Protocol of Accession to the WTO provides as follows:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:
(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;
(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.
(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), l4(c) and l4(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.
(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

42. The Authority notes that while the provisions of Article 15 (a)(ii) of China PR's Accession Protocol have expired with effect from 11th December 2016, the provisions of Article 2.2.1.1 of the Anti-Dumping Agreement read with the obligation under Article 15(a)(i) of the Accession Protocol require the criteria stipulated in para 8 of Annexure I to the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming MET status.

43. The Authority notes that none of the producers/exporters from China PR has filed market economy questionnaire response to rebut the presumptions as mentioned in para 8 of Annexure – I of the Rules. The presumption under para 8(2) therefore stands unrebutted, and the request of the other interested parties that normal value be determined on the basis of the domestic prices and costs of the participating producers cannot be accepted. Under these circumstances, the Authority has to proceed in accordance with para 7 of Annexure – I of the Rules.

44. It is noted that paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules stipulates multiple plausible methods for calculating the normal value for producers in non-market economy, including (a) on the basis of price or constructed value in a market economy third country; (b) export price from a third country to other countries, including India; and (c) on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. The Authority notes that under the provisions of paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules, the normal value must first be determined on the basis of the price or constructed value in a surrogate country, or the price of the exports from such country to other countries, including India.

45. At the stage of filing the application, the applicant submitted that the normal value for China PR should be based on the import price from Japan adjusted to arrive at net ex-factory level. For the purpose of initiation, the normal value was determined based on the import price from Japan adjusted to arrive at net ex-factory level.

46. The first option under the Rules is to determine normal value on the basis of the price or cost in an appropriate market economy third country. This may include the domestic selling price of the product under consideration in such third country, whether charged by a domestic producer or reflected in the price paid by a consumer, including where the product has been procured from an international supplier or the cost of production in an appropriate market economy third country, with a reasonable addition for profit. None of the parties to the investigation have provided information relating to the cost of

production of the product under consideration in an appropriate market economy third country. Accordingly, normal value could not be determined based on this method.

47. The next alternative is the export price from a market economy third country to another country, including India. The highest volume of imports of the product under consideration into India from a country not subject to anti-dumping measures was from Japan. Imports of the subject product from Japan have been recorded not only during the Period of Investigation but also throughout the injury period.

48. The table below shows the imports from Japan and China during the period of investigation, along with their segregation between the pharmaceutical and non-pharmaceutical sectors.

Particulars	**Volume in MT**	**CIF Value in Rs lakhs**	**CIF price** Rs per MT
Imports from Japan	762	3,587	4,70,394
Pharma grade	-	-	-
Non-pharma grade	762	3,587	4,70,394
Imports from China PR	1,381	4,409	3,19,361
Pharma grade	199	754	3,78,424
Non-pharma grade	1,181	3,655	3,09,403

49. It is observed that the imports from Japan during the period of investigation are entirely of non-pharmaceutical grade, which is the grade that accounts for about 86% of the imports from China PR. The imports from Japan are, therefore, comparable to the grade predominantly imported from the subject country. It is also noted that in the original investigation and the anti-absorption investigation, the normal value had been determined on the basis of the import price of non-pharma grade from Japan, and the same basis was adopted at the stage of initiation of the present review. In the initiation notification, the interested parties were invited to submit comments and well-substantiated claims regarding the methodology for determining normal value. However, they have failed to provide any substantial justification demonstrating the necessity of departing from the methodology established in the original investigation.

50. In view of the same, the Authority considers that the normal value in respect of China can be most appropriately determined on the basis of average export price from Japan to India. Since this is a CIF export price, the same has been adjusted for the expenses from CIF to ex- factory. The normal value has thus been determined at ex-factory level, by deducting expenses such as ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight from the CIF export price from Japan to India. The normal value determined is shown in the dumping margin table below.

F.3.2 Export price determination for China.

i. Shandong Dongyue Silicone Material Co Ltd

51. Shandong Dongyue Silicone Material Co Ltd has participated as a producer of the product under consideration from China. The producer had participated in the original investigation as well and was granted an individual rate of duty. In the present investigation, the producer has reported that it has directly exported the product under consideration to India and that there are no related or unrelated traders involved.

52. The producer has exported *** MT of the product at an invoice value of *** USD. The producer has claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, port and related expenses, credit cost and bank charges, and the same have been accepted. The export price at ex-factory level is shown in the dumping margin table below.

ii. Wacker Chemicals Fumed Silica Zhangjiagang Co Ltd

53. Wacker Chemicals Fumed Silica (Zhangjiagang) Co., Ltd. has participated as a producer of the product under consideration from China. The producer had participated in the original investigation as well and it was found that the landed value of the exports of the producer to India was above the non-injurious price and, accordingly, no duty was recommended on the exports of the producer. In the present investigation, the producer has reported that it has exported the product under consideration to India through Wacker Chemicals China Co Ltd, which too has filed a questionnaire response. Wacker Chemicals China Co Ltd has sold to unrelated customers in India as well as Wacker Metroark Chemicals Pvt Ltd. Wacker Metroark Chemicals Pvt Ltd has consumed the product under consideration for making downstream products.

54. The producer has exported *** MT of the product at an invoice value of *** USD. The producer has claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, port and related expenses, credit cost, bank charges and commission, and the same have been accepted. It is seen that the producer had a negative injury margin in the original investigation. Further, the domestic industry has mentioned that the injury margin for the producer continues to remain negative in the period of investigation of the present investigation. The export price has been determined on the basis of the questionnaire response as filed. Since there is nothing on record to show that the export price reported to customs is not reliable, the Authority considers that there is no reason to reject the price at which the producer has exported to related user in India from the determination of net export price. The export price at ex-factory level is shown in the dumping margin table below.

iii. Any other producer/exporter from China

55. The export price for other non-cooperative producers/exporters from China PR has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules.

F.3.3 Dumping margin determination for China.

56. Based on normal value and export price as determined above, the dumping margin for all producers and exporters from the subject country has been calculated and is shown below.

Particulars	Normal value	Net Export Price	Dumping Margin		
	$/MT	$/MT	$/MT	%	Range
Shandong Dongyue Silicone Material Co Ltd	***	***	***	***	130-140%
Wacker Chemicals Fumed Silica (Zhangjiagang) Co., Ltd. (producer) through Wacker Chemicals (China) Co., Ltd. (exporter)	***	***	***	***	50-60%
All other producers / exporters	***	***	***	***	150-160%

57. It is seen that the dumping margin is positive and above *de-minimis* level. The dumping of the product has continued.

Assessment of injury, likelihood of injury, causal link and public interest

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1 Submission of the other interested parties

58. The other interested parties have made the following submissions with regard to injury and causal link:

i. The data does not establish that imports from China PR have caused injury to the domestic industry.

ii. Although imports from China PR have increased during the injury period, the domestic industry has simultaneously improved its performance.

iii. Domestic industry has consistently increased its domestic sales, production, capacity utilisation and productivity during the injury period.

iv. Installed capacity has increased by 15%, production has increased by 26%, and capacity utilisation has improved by 8%, demonstrating continued expansion and efficient utilisation of production facilities.

v. Although certain profitability parameters have shown a marginal decline, the domestic industry has remained profitable throughout the injury period.

vi. The claim of dumping is misleading since any reduction in imported price of PUC depends on the existing global price of silicon metal.

vii. The Authority should examine the producer wise import volume excluding Wacker.

viii. The possibility of future injury after the duties are revoked is impermissible under Rule 11(2) read with Annexure II (vii) of the AD Rules.

ix. All of key financial indicators of the domestic industry remain positive and reliance on declining return on capital employed is misleading.

x. Reliance on Wacker Chemicals Fumed Silica (Zhangjiagang) Co. Ltd. product price is an incorrect benchmark since it operates on global referencing pricing model for intra-group transfer, rather than representing open Chinese market pricing;

xi. Wacker Chemicals Fumed Silica (Zhangjiagang) Co. Ltd. landed price is higher than the NIP projected by the applicant and therefore exports of Wacker Chemicals Fumed Silica (Zhangjiagang) Co. Ltd. cannot cause injury to the domestic industry.

xii. Increase in depreciation and selling expenses indicates that the financial performance has also been influenced by the Domestic Industry's own investment decisions.

xiii. Calculation of return on capital employed by adopting 22% uniformly on both the components of capital employed is totally incorrect and needs to be reviewed.

xiv. Domestic industry has itself acknowledged that the Wacker group is not causing injury as the prices are very high.

xv. The Domestic Industry has relied solely on the increase in imports from China PR while ignoring that total demand increased by 124% and its own domestic sales increased by 40% during the injury period.

G.2 Submission of the domestic industry

59. The domestic industry has made the following submissions with regard to injury and causal link:

i. The performance of the domestic industry has improved owing to the anti-dumping duty in force.

ii. Mere improvement in performance cannot mean that the duties should be revoked.

iii. The domestic industry is not the price setter in the domestic market and is fixing its prices to the import prices. In case of non-pharma sector, the domestic industry fixes its prices to Chinese suppliers. In the non-pharma sector, the landed price from China is significantly below the prices of the domestic industry.

iv. The landed price of Shandong Dongyue Silicone Material Co. Ltd. is significantly lower than the landed price of Wacker Chemicals (China) Co. Ltd, which currently has NIL duty.

v. The volume of imports increased over the period and was the highest in the period of investigation.

vi. The imports have increased by 377% from the base year.

vii. The subject imports were the highest in relation to the consumption and production in India during the period of investigation.

viii. The subject imports are entering the market at a price materially lower than the domestic industry prices.

ix. The positive price undercutting shows that the imports are likely to depress the prices of the domestic industry in the absence of anti-dumping duty.

x. The landed price without the anti-dumping duty is much below the selling price of the domestic industry.

xi. The import price is materially below the cost to make and sell the product.

xii. If the domestic industry is forced to reduce the prices, the domestic industry would suffer significant financial losses, cash losses and negative return on investment.

xiii. During the injury period, the domestic industry has increased its capacity through de-bottlenecking which resulted in increase in production and capacity utilization.

xiv. Domestic industry is undertaking significant capital investment for expanding its capacity and if duties are removed, these investments will severely suffer

xv. The market share of the domestic industry has decreased over the injury period while the share of the Chinese imports has gradually increased and was the highest in the period of investigation.

xvi. The increase in the import volume and market share of China has been at a higher rate than the increase in the rate of non-subject countries imports.

xvii. The profits of the domestic industry declined in 2023-24, increasing slightly thereafter.

xviii. The domestic industry has been able to earn profits due to the duties in place.

xix. The profitability of the domestic industry in pharma sector is far better as compared to the non-pharma market.

G.3 Examination by the Authority

60. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "… *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles…".* In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.

61. The Authority notes that it is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while others may not. The Authority has considered all injury parameters in order to examine whether injury to the domestic industry has continued, and whether injury is likely to continue or recur in the event of cessation of the anti-dumping duty. The Authority has examined the injury parameters objectively considering the facts and arguments submitted by the domestic industry and other interested parties.

62. The Authority has taken note of various submissions made by the domestic industry and other interested parties on injury and causal link and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis carried out by the

Authority *ipso facto* addresses submissions made by the domestic industry and other interested parties.

63. The interested parties have disputed the adoption of a 22% return on capital employed and have contended that the actual return on capital employed earned by the domestic industry during periods free from dumping should be adopted instead. The Authority notes that Annexure III of the Rules refers to reasonable return (pre-tax) on the capital employed and it is a consistent practice of the Authority to determine the non-injurious price of the domestic industry based on a reasonable return on capital employed, which is 22%. The said return is considered reasonable as it is required to cover interest on borrowings, corporate tax and a return on equity. With regard to the interested parties' reference to Bridge Stone Tyre Manufacturing & Others vs. Designated Authority, it is seen that the interested parties in this case had produced specific evidence before the Hon'ble CESTAT justifying a departure from the Authority's consistent practice in this particular case. However, interested parties in the present case have not placed any evidence on record to justify such departure. With regard to the interested parties' reference to M/s Hyosung Corporation vs. Designated Authority, it is seen that post this decision by the Hon'ble CESTAT in 2011, there have been multiple cases including Tangshan Sanyou Group Hong Kong International Trade Co. Limited v. Union of India, Merino Panel Products v. Designated Authority and M/s Perstorp Chemicals GmbH & Anr. v. Designated Authority & Ors. wherein the Hon'ble CESTAT has consistently upheld the Authority's practice of adopting a 22% ROCE for injury analysis. Therefore, the Authority considers a 22% return on capital employed to be appropriate in the present investigation.

G.3.1 Volume effect of the dumped imports

a. Assessment of demand/consumption

64. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and imports of the product from all sources.

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Subject imports	MT	770	960	1,300	1,381
Other imports	MT	1,530	1,589	1,755	1,776
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	121	143	140
Total demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	138	139

65. It is seen that the demand for the product under consideration has increased over the injury period and was the highest in the period of investigation.

b. Imports in absolute and relative terms

66. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied on the DG Systems import data. The information is as below:

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Subject imports	MT	770	960	1,300	1,381
Other imports	MT	1,530	1,589	1,755	1,776
Total imports	MT	2,301	2,549	3,055	3,156
Imports in relation to:					
Indian production	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	136	142
Indian consumption	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	122	129
Total imports	%	33%	38%	43%	44%

67. It is seen that:

i. The volume of subject imports increased over the injury period, with the sharpest increase in 2024-25. The volume was the highest in the period of investigation.

ii. The imports from the subject country have increased by 79% from the base year till the period of investigation.

iii. The imports have also increased in relation to production and consumption in India. The subject imports were the highest in relation to the consumption and production in India during the period of investigation.

iv. The imports in relation to Indian production increased from *** in the base year to *** in the period of investigation, an increase of 13 percentage points over the injury period.

v. The imports in relation to Indian consumption increased from *** in the base year to *** in the period of investigation, an increase of 4 percentage points over the injury period.

68. The applicant has provided information on import data for the product under consideration in pharma and non-pharma application. It has been stated that majority of the imports that have entered the Indian market from the subject country are in the non-pharma grade whereas imports from non-subject countries are in the pharma grade. The table below shows the information as per DG Systems transaction-wise data. It is seen that while it is true that the imports from China are primarily in non-pharma grade, imports from other countries are spread in both pharma and non-pharma grade. The domestic industry too has sold in both pharma and non-pharma grade.

Particulars	Units	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Imports from China	**MT**	**770**	**960**	**1,300**	**1,381**
Pharma	MT	190	214	274	199
Non-Pharma	MT	580	746	1,026	1,181
Imports from other countries	**MT**	**1,530**	**1,589**	**1,755**	**1,776**
Pharma	MT	684	692	867	858
Non-Pharma	MT	846	897	888	918
Sale of domestic industry	**MT**	*******	*******	*******	*******
Pharma	MT	***	***	***	***
Non-Pharma	MT	***	***	***	***

69. The table below shows the price of non-pharma and pharma grade during the injury period from different sources. The Authority notes that whereas there is no material difference in the cost of production of pharma and non-pharma grade, there is a material difference in the price of pharma and non-pharma grade. The price difference is seen in respect of each of the suppliers, barring Chinese producers (where the difference is much lower).

Particulars	Units	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Imports from China					
Pharma	Rs/MT	5,05,983	4,21,447	4,05,416	3,78,424
Non-Pharma	Rs/MT	4,31,300	2,82,076	3,22,299	3,09,403
Imports from other countries					
Pharma	Rs/MT	6,48,703	6,23,856	5,95,523	6,32,068
Non-Pharma	Rs/MT	5,48,698	4,99,181	4,81,657	4,77,352
Sale of domestic industry					
Pharma	Rs/MT	***	***	***	***
Non-Pharma	Rs/MT	***	***	***	***

G.3.2 Price effect of the dumped imports

70. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a. Price undercutting

71. Price undercutting has been determined by comparing the net sales realization of the domestic industry with the landed price of the subject imports for the period of investigation.

Particulars	Unit	Value
Landed price	₹/MT	3,33,870
Selling price	₹/MT	***
Price undercutting	₹/MT	***
Price undercutting	%	50-60%

72. It is seen that the subject imports were significantly undercutting the price of the domestic industry during the period of investigation.

b. Price suppression and depression

73. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period were compared as below:

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	90	81	78
Net sales realization	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	79	74	75

74. It is observed that both the cost of sales and selling price of the domestic industry declined over the injury period, and that the decline in selling price (25%) was higher than the corresponding decline in cost of sales (20%). The decline in selling price occurred mainly in 2023-24. Thereafter, the selling price declined marginally. The Authority notes that the selling price of the domestic industry has remained above its cost of sales throughout the injury period, which may be attributable to the anti-dumping duty in force. The domestic industry has, accordingly, been able to sell the product at an adequate and remunerative level. Therefore, it is considered that, with the anti-dumping duty in force, the dumped imports have not suppressed or depressed the prices of the domestic industry to a significant degree during the period of investigation.

G.3.3 Economic parameters of the domestic industry

75. Annexure II to the Rules provides that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity,

return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

a. Production, capacity, capacity utilisation and domestic sales

76. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry over the injury period.

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Installed capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	111	115
Total production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	122	124
PUC production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	124	126
NPUC (treated fumed silica)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	110	113
Capacity utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	110	108
Domestic sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	121	143	140
Export sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	-	-	-

77. It is seen:

a. The plant is not dedicated to the product under consideration and is used to make both treated and untreated fumed silica. However, untreated fumed silica constituted *** of total production over the injury period.

b. The domestic industry had a capacity of *** MT and undertook debottlenecking with an investment of Rs *** crore to expand capacity by *** MT to *** MT.

c. The domestic industry has submitted copy of the Board Resolution which states that the domestic industry is installing a new green field plant with a capacity of *** MT at an investment of Rs *** crore. The plant will become operational by ***. Once commercialized, the domestic industry would have a gross capacity of around *** MT.

d. The production and capacity utilization of the domestic industry have increased over the injury period. However, the Authority notes that a certain level of unutilized capacity continues to exist with the domestic industry.

e. The domestic sales of the domestic industry have also increased.

f. The domestic industry did not have any export sales after 2022-23. The domestic industry is selling only in the Indian market.

b. Market share

78. The Authority has examined the effect of the dumped imports on the market share of the domestic industry, subject country and other countries as under.

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Subject imports	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	122	129
Other imports	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	90	83	84
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	104	101

79. It is seen that:

a. The market share of the domestic industry increased in 2023-24 and marginally declined in the period of investigation.

b. The share of the subject imports increased over the injury period.

c. The market share of non-subject countries has declined over the injury period.

c. Profitability, cash profit and return on capital employed

80. The performance of the domestic industry has been examined in respect of profitability, profits, cash profits, PBIT, and return on investment.

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Net sales realization	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	79	74	75
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	90	81	78
Profit before tax	₹ / MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	63	64	70
Profit before tax	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	77	92	98
Profit before interest	₹ / MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	64	64	70
Profit before interest	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	77	92	98
Cash profit / loss	₹ / MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	65	66	72
Cash profit / loss	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	78	94	101
Return on investment	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	64	129	71

81. It is seen that –

a. The profits of the domestic industry declined in 2023-24, by 23% in absolute terms and by 37% on a per unit basis, and partially recovered thereafter.

b. The domestic industry has remained profitable throughout the injury period, with the anti-dumping duties in place.

c. Cash profits and profits before interest have shown a similar trend.

d. The return on investment increased in 2024-25 but declined in the period of investigation. It has remained positive throughout the injury period.

e. The domestic industry has remained healthy over the injury period.

82. The domestic industry has provided information on its profitability in the domestic market in both pharma and non-pharma sector which is produced below.

Particulars	**Unit**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**POI**
Total profit before tax	₹ / MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	63	64	70
Pharma profit before tax	₹ / MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	79	86	92
Non-pharma profit before tax	₹ / MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	53	49	56
Return on investment	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	64	129	71
Pharma ROCE	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	74	154	83
Non-pharma ROCE	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	56	107	61

83. The Authority notes that the profitability of the domestic industry in the non-pharmaceutical sector is lower as compared to that in the pharmaceutical sector. The domestic industry has submitted that it primarily competes with producers from China in the non-pharmaceutical sector, whereas competition in the pharmaceutical sector is predominantly with exporters from countries other than China.

84. The Authority further notes that the comparatively lower profitability in the non-pharmaceutical sector coincides with the presence of imports from China in this segment. While the anti-dumping duty may have enabled the domestic industry to compete at remunerative prices, the likely impact of continued dumped imports, in the event of cessation of the duty, would need to be assessed having regard to the prevailing level of competition and the likely price effects of such imports.

d. Inventories

85. The performance of the domestic industry has been examined in respect of inventory and is shown below.

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Opening inventory	MT	***	***	***	***
Closing inventory	MT	***	***	***	***
Average inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	122	71	43

86. It is seen that the average inventories of the domestic industry have declined over the injury period.

e. Growth

87. The table below shows the information on growth.

Particulars	UOM	2023-24	2024-25	POI
Production	Y/Y	8.70%	14.51%	1.46%
Domestic Sales	Y/Y	20.93%	18.59%	-2.33%
Inventory	Y/Y	22.18%	-42.29%	-38.55%
Profit/(Loss) ₹/MT	Y/Y	-36.54%	1.32%	8.89%
Profit/(Loss) ₹ Lacs	Y/Y	-23.26%	20.15%	6.35%
PBIT- ₹ Lacs	Y/Y	-22.72%	19.46%	6.35%
Cash Profits- ₹ Lacs	Y/Y	-21.59%	20.41%	6.49%
Return on capital employed	Y/Y	-36.18%	102.77%	-45.11%

88. It is seen that the volume parameters of the domestic industry have grown over the injury period, although domestic sales declined marginally in the period of investigation. The profitability parameters declined in 2023-24 and have grown thereafter, although the return on capital employed declined in the period of investigation.

f. Ability to raise capital investment

89. The Authority notes that the domestic industry has increased its production capacities during the injury period and is further working to expand its capacity by installing a new green field plant with a capacity of *** MT and an investment of Rs *** crore. The domestic industry has been profitable over the injury period. It is seen that the performance of the domestic industry is not impacted in respect of its ability to raise capital investments.

g. Employment, wages and productivity

90. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
No of employees	Nos.	***	***	***	***
Salaries & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
Productivity Per day	MT	***	***	***	***
Productivity Per employee	MT	***	***	***	***

91. It is noted that the number of employees increased up to 2024-25 and declined in the period of investigation, while remaining above the base-year level. The salaries and wages have increased over the injury period. The productivity of the domestic industry, both per day and per employee, has increased over the injury period.

h. Factors affecting domestic prices

92. The domestic industry has submitted that it is not the price setter in the domestic market and benchmarks its prices to the import prices. The selling price of the domestic industry is comparable to the import price. In case of non-pharma sector, the domestic industry benchmarks its prices to those of suppliers from China. The price is higher in pharma sector as compared to the non-pharma sector, owing to better product specifications demanded by consumers in pharma sector. In the pharma sector, the domestic industry is selling its product in competition to the import price from countries other than China.

93. The table below shows the landed price from China without and with ADD and from other countries and the selling price of the domestic industry.

Particulars	Units	Total	Non-pharma	Pharma
China				
Import volume	MT	1,381	1,181	199
Landed price China without ADD	Rs/MT	3,33,870	3,23,459	3,95,615
Landed price China with ADD	Rs/MT	4,22,195	4,11,784	4,83,940
Other countries				
Import volume	MT	1,776	918	858
Landed price other countries	Rs/MT	6,20,303	5,78,563	6,32,068
Net sales realization	Rs/MT	***	***	***

94. It is observed that, in the pharma sector, the selling prices of the domestic industry are lower than the landed prices of imports from other countries, but much higher than the Chinese imports, indicating that the domestic industry is not pricing its product at a level higher than the prevailing import prices from non-Chinese imports. In the non-pharma sector, the selling price of the domestic industry is lower than the landed price of imports from other countries and is about 8% higher than the landed price of the subject imports after taking into account the applicable anti-dumping duty. The above indicates that the prices of the domestic industry move in line with the prices of imports.

95. It is considered that the domestic industry has remained profitable over the injury period and the dumped imports have not had any adverse effect on the prices of the domestic industry. The anti-dumping duties in place have ensured that the dumped imports do not have any suppressing/ depressing effect on the price of the domestic industry.

i. Magnitude of dumping

96. The investigation has shown that dumping margin is positive and above *de-minimis level*. It is seen that there is continued dumping of the subject goods in India from the subject country.

G.3.4 Conclusion

97. Based on the above, the following can be concluded: -

a. The demand for the product under consideration increased when duties were in place and were the highest in the period of investigation.
b. The volume of imports from China PR has increased over the injury period and was the highest in the period of investigation.
c. The landed price of the subject imports, both with and without the anti-dumping duty, is below the selling price of the domestic industry; price undercutting without the duty is 50-60%.
d. The subject imports have not suppressed or depressed the prices of the domestic industry because of anti-dumping duties in place.
e. The domestic industry has increased its capacity in the injury period. The domestic industry is in process of further increasing its capacity by *** MT.
f. The production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry have increased over the injury period.
g. The market share of the domestic industry has declined marginally.
h. The domestic industry has remained profitable throughout the injury period, with the duties in place.

98. The Authority concludes that the domestic industry has not suffered continued injury as a result of dumped imports.

H. CAUSAL LINK & NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

99. As per the Rules, the Authority is required to, inter alia, examine any known factors other than dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original investigation, the Authority examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. It was examined whether other factors listed under the Rules could have contributed or are likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry.

a. Volume and price of imports from third countries

100. It is noted that, other than the subject imports, imports have entered from Korea RP, Belgium, Japan and Germany. The volume of these imports has increased. However, the exports from Belgium, Japan and Germany are at prices significantly higher than the subject imports and the Imports from Korea RP are negligible. Imports from other countries are not undercutting the prices of the domestic industry and are at a price materially higher than China. The domestic industry has earned profits over the injury period. Imports from non subject countries are not a likely cause of injury in the event of cessation of the anti-dumping duty on the subject imports. The table below shows the information on imports from all sources in the injury period.

Country	UOM	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Volume in MT					
China	MT	770	960	1,300	1,381
Korea RP	MT	56	71	104	82
European Union	MT	791	780	966	930
Japan	MT	683	737	680	762
CIF Price in Rs/MT					
China	Rs/MT	4,49,734	3,13,097	3,39,838	3,19,361
Korea RP	Rs/MT	5,08,008	4,28,519	2,41,001	2,61,675
European Union	Rs/MT	6,57,434	6,35,661	6,13,253	6,42,431
Japan	Rs/MT	5,20,979	4,76,069	4,65,133	4,70,394

b. Contraction in demand

101. It is seen that the demand for the product under consideration has increased over the injury period. Possible decline in demand cannot be a likely cause of injury.

c. Change in the patterns of consumption

102. The pattern of consumption regarding the product under consideration has not undergone any material change.

d. Trade restrictive practices

103. It is seen that there are no trade restrictive practices in India which could have contributed to the likely injury to the domestic industry.

e. Productivity

104. There is no decline in the productivity of the domestic industry.

f. Development of technology

105. It is noted that there has not been any significant development in the technology to produce the subject goods. Hence, developments in technology are not a likely cause of injury to the domestic industry.

g. Export performance

106. The domestic industry has not exported the subject goods after 2022-23. Exports in 2022-23 were also quite negligible when compared with the volume of domestic sales. The injury analysis has been carried out with respect to the domestic operations of the domestic industry only. Export performance is, therefore, not a likely cause of injury.

h. Performance of other products of the company

107. The Authority has considered data relating to the performance of the subject goods only. Therefore, performance of other products cannot be a cause of injury.

I. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

I.1 Submission of the other interested parties

108. The other interested parties have made the following submissions with regard to likelihood of injury:

i. The Authority should examine the post-POI developments and the impact of the revised anti-dumping duty before arriving at any conclusion regarding likelihood.

ii. Domestic industry's claims of likelihood are unsubstantiated. The Panel in Pakistan-Anti-Dumping Measures on BOPP Film from UAE held that an authority "must determine that continuation or recurrence of injury is likely, and not merely possible based on positive evidence anti not assumption".

I.2 Submission of the domestic industry

109. The domestic industry has made the following submissions with regard to likelihood of injury:

i. If the duties are revoked, the exporters from China will once again flood the Indian market with dumped imports.

ii. The dumping and injury margin continues to remain positive and significant.

iii. The exporters from China PR have engaged in continued exports of the product in the Indian market, by absorbing the duty in force.

iv. The fact that the exporters are resorting to such practices clearly indicates that the Indian market is important for the Chinese producers.

v. In case the duties are revoked the Chinese exporters will aggressively start dumping at prices much below the cost of sales of the applicant, rendering the applicant injured.

vi. If the applicant is forced to match these prices, their profits will plunge down into losses.

vii. Nearly 43% of the global capacity for the subject goods is in China.

viii. Wacker Chemie (Zhangjiagang Site) Co., Ltd continues to be the largest producer in the world with a capacity of 20 KT per annum and Shandong Dongyue Silicone Material Co., Ltd had a capacity of 19 KT in 2022.

ix. China has been the largest exporter of fumed silica, followed and Germany. India is amongst the top importers of fumed silica, along with USA and Vietnam.

x. The producers in China are suffering from under-utilised capacities.
xi. It is estimated that China will see a capacity addition of about 137.8 KT per annum before 2027.
xii. With the demand in the subject country being very low in comparison to the capacities held by the producers, it clearly indicates that the Chinese producers/exporters are significantly export oriented.
xiii. The capacity in the subject country would be almost double the demand in China, and the exportable capacity will be more than 25 times the demand in India.
xiv. The producers in the subject country are also suffering from significant idle capacities. The idle capacities are 19 times the demand in India.
xv. Despite duties in place, India accounts for a significant share of the total exports from China PR.

I.3 Examination by the Authority

110. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury considering the requirement laid down under Section 9A (5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure - II (vii) of the Rules, and other relevant factors brought on record by the interested parties. Under the Rules, the Authority is required to determine whether cessation of existing duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

111. As regards the submission on likelihood of injury, the Authority notes that a sunset review under Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of the Rules is, by its very nature, a prospective enquiry into whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, and is distinct from a determination of injury in an original investigation. The factors listed in Annexure II(vii) have been considered as relevant guidance for this purpose. These are, however, not exhaustive parameters examined by the Authority.

112. With regard to the comments of the interested parties concerning the examination of post-period of investigation data, the Authority notes that the twelve-month period of investigation, read together with the data pertaining to the preceding three years, provides a sufficient basis for undertaking such an assessment. The interested parties have also not placed on record any specific post-period of investigation data or development that would have a bearing on the likelihood analysis.

113. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter alia, for factors which could be taken into consideration, viz the following. The Authority also considers that these are the parameters to analyse threat of material injury to the domestic industry in a situation where there is no anti-dumping duty in place and the domestic industry has not suffered material injury during the injury period. Therefore, these guiding factors are required to be considered and applied, having regard to the fact that anti-dumping duty was in place during the injury period and the purpose of examination is to ascertain likely situation where the anti-dumping duty is not extended further.

i. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.
ii. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.
iii. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices and would likely increase demand for further imports; and
iv. Inventories of the article being investigated.

114. The Authority has, *inter alia*, considered the above factors in order to determine whether dumping is likely in the event of cessation of anti-dumping duty, and if so, whether the same is likely to cause injury to the domestic industry. For this purpose, the Authority has examined the information furnished by the participating producers/ exporters from the subject country in their questionnaire responses, as well as the relevant information brought on record by the domestic industry and the other interested parties.

a. <u>Continued dumping</u>

115. It is noted that the dumping margin continues to remain positive and significant. The dumping margin determined by the Authority in the present review is higher than the margin determined by the Authority in the original investigation. Continued dumping at increased margins, despite the measure in force, indicates that dumping is likely to continue in the event of expiry of the duty.

Producer	**Original**	**Sunset review**
Wacker Chemicals Fumed Silica (Zhangjiagang) Co Ltd.	10-20%	50-60%
Shandong Dongyue Silicone Material Co., Ltd	50-60%	130-140%

b. <u>Increase in imports of the product</u>

116. The table below shows the trend of imports over the injury period.

Particulars	**Unit**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**POI**
China	MT	770	960	1,300	1,381

117. It is seen that the imports of the product under consideration from the subject country have increased over the injury period and were the highest in the period of investigation. The increase in the volume of subject imports despite the anti-dumping duty in force indicates that the volume of imports is likely to increase further in the event of expiry of the duty.

c. <u>Absorption of the existing anti-dumping duty</u>

118. The Authority notes that, in the anti-absorption investigation concluded vide Final Findings No. 7/05/2025-DGTR dated 11th August 2025, it was found that Shandong Dongyue Silicone Material Co., Ltd. had absorbed the anti-dumping duty in force, pursuant to which the quantum of duty was enhanced. The absorption of the duty by the exporter in order to retain and increase its sales in India is indicative of the importance of the Indian market for the exporter and of its likely pricing behaviour in the event of cessation of the duty.

d. <u>Whether import price is likely to suppress/depress the prices of domestic industry.</u>

119. The table below shows the landed price of imports from China and the selling price and cost of sales of the domestic industry in the period of investigation.

Producer	UOM	Value
Wacker Chemicals Fumed Silica (Zhangjiagang) Co Ltd.	Rs/MT	***
Shandong Dongyue Silicone Material Co., Ltd	Rs/MT	***
Average landed price of imports.	Rs/MT	3,33,870
Cost of sales of domestic industry	Rs/MT	***
Selling price of the domestic industry	Rs/MT	***

120. The Authority notes that the average landed price of imports is above the cost of sales of the domestic industry. However, the questionnaire responses filed by the two participating producers indicate a significant difference in the prices of imports from Wacker Chemicals Fumed Silica (Zhangjiagang) Co., Ltd. and Shandong Dongyue Silicone Material Co., Ltd. It is further noted that imports from Wacker Chemicals Fumed Silica (Zhangjiagang) Co., Ltd. are presently subject to nil anti-dumping duty. In contrast, the landed price of imports from Shandong Dongyue Silicone Material Co., Ltd. is below both the selling price and cost of sales of the domestic industry. The Authority considers that, upon cessation of the anti-dumping duty, imports at such lower price levels may exert downward pressure on the prices of the domestic industry and adversely affect its price realisation and profitability.

121. The table below shows the landed price without duty and the likely adverse effect of that on the prices of the domestic industry. For the purpose of this analysis, the performance of the domestic industry in the non-pharma sector alone has been considered, since the subject imports are predominantly of non-pharma grade. The landed price of imports from Wacker Chemicals Fumed Silica (Zhangjiagang) Co., Ltd. has been excluded, since such imports are presently subject to nil anti-dumping duty and their landed price would not change on cessation of the duty.

Particulars	Unit	Actual performance	Likely performance
Landed price (excluding Wacker)	₹/MT	2,71,267	2,71,267
Cost of sales	₹/MT	***	***

Selling price	₹/MT	***	***
Profit/ loss	₹/MT	***	***
Profit/ loss	₹ lakhs	***	***
Cash profit / loss	₹ lakhs	***	***
PBIT	₹ lakhs	***	***

122. It is seen that if the domestic industry is required to match the landed price of such imports in the absence of the anti-dumping duty, its profit of ₹*** lakhs in the non-pharma sector would turn into a loss of ₹*** lakhs. The profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry as a whole would decline significantly.

e. <u>Under-utilized capacity in China</u>

123. The domestic industry has provided report about Chinese market, which shows that in 2022, the fumed silica capacity in the subject country was 211 KT per annum with a production of only 140 KT which shows that producers in the subject country have large, under-utilized capacities which can be utilized for increasing exports to India. The table below shows the information provided in the market research report.

Unit: KT

Particular	Quantity
Capacity	211
Production actual	140
Capacity utilisation	66%
Demand in China	121
Export	18
Likely production, considering capacity utilization in India	190
Additional feasible production with current capacity	50
Indian demand	6.44

124. It is seen that there are significant idle capacities in China. It is also seen that during the period, total exports of fumed silica from China were 18.6 KT with a domestic consumption of only 121 KT and the idle capacities in China can produce to the extent of additional 50 KT. Further, as per the evidence submitted by the applicant, capacity in China PR is expected to increase by 137.8 KT per annum before 2027.

125. As per the information submitted by the domestic industry, the global capacity for fumed silica stood at 491 KT out of which 211 KT was in China. Nearly 43% of the global capacity for fumed silica is in China with approximately 21 producers in China.

Unit: KT

Particular	Capacity
Global Capacity	**491**
Capacity in US	73
Capacity in Europe	105
Capacity in China	211
Capacity in Asia (excluding China)	102

126. The information provided by the domestic industry has also been compared with the participating producers from China.

Particulars	**Unit**	**Shandong**	**Wacker**
Capacity	MT	***	***
Production	MT	***	***
Idle capacity	MT	***	***
Idle capacity	%	***	***
Idle capacity	Range	15-25%	5-10%

127. It is seen that both the producers are operating with significant idle capacities.

f. <u>Surplus capacities in China.</u>

128. It has been stated by the domestic industry that the demand in the subject country is very low in comparison to the capacities available. The Chinese producers/exporters are export oriented and in case the duties are revoked, they will use their surplus capacities to export to India. The table below shows the information provided by the domestic industry.

Unit: KT

Particular	Quantity
Capacity	349
Demand in China PR	187
Capacity meant for exports	162
Demand in India (in 2025)	6.44
Exportable capacity in relation to Indian demand	2516%

129. As per the information submitted by the domestic industry, the capacity in the subject country would be almost double the demand in China, and the exportable capacity will be more than 25 times the demand in India.

130. The information provided by the domestic industry has also been compared with the participating producers from China.

Particulars	Unit	Shandong	Wacker
Capacity	MT	***	***
Domestic sales	MT	***	***
Export sales (total)	MT	***	***
Surplus capacity (Capacity-domestic sales)	MT	***	***
Surplus capacity (Capacity-domestic sales)	%	***	***
Export orientation (Exports/ Production)	%	***	***
Export orientation (Exports/ Production)	Range	10-20	10-20%

131. It is seen that in case of both the participating producers, a significant share of production is being utilized for export operations.

g. <u>Third-country analysis</u>

132. The Authority has examined the information with regard to exports to third countries provided by the participating producers. A comparison has been made between the prices of exports to third countries, normal value, non-injurious price and selling price of the DI. The following is seen in this regard:

<u>Exports below normal value</u>

133. The Authority has analysed the third country exports to examine if the third country exports are below the normal value. The table below summarizes.

Particular	Unit	Shandong	Wacker
Total exports to third countries	MT	***	***
Dumped exports to third countries	MT	***	***
Dumped exports to third countries	%	95-100%	95-100%

134. It is seen that out of the total exports to third countries by Shandong, 95-100% is below normal value. In case of Wacker, almost the entire volume (about 100%) is below the normal value.

<u>Price Attractiveness</u>

135. The Authority has analysed the third country exports to examine if the third country exports are priced below the exports priced to India and if in cessation of measures, the producers will have any incentive to divert these third countries exports to the Indian market. The table below summarizes.

Particular	Unit	Shandong	Wacker
Total exports to third countries	MT	***	***
Exports to other countries below price in	MT	***	***

India			
Exports to other countries below price in India	%	45-55%	55-65%

136. It is seen that out of the total exports to third countries by Shandong, 45-55% is below the export price to India. In case of Wacker, it is seen that 55-65% is below the export price to India. It is therefore considered that there is a likelihood of diversion of exports to India in event of expiry of measures.

Exports below non-injurious price

137. The Authority has analysed the third country exports to examine if the third country exports are below the non-injurious price and if their diversion will be injurious to the domestic industry. The table below summarizes.

Particular	Unit	Shandong	Wacker
Total exports to third countries	MT	***	***
Total injurious exports to third countries	MT	***	***
Injurious exports to third countries	%	95-100%	35-40%

138. It is seen that out of the total exports to third countries by Shandong Dongyue Silicone Material Co., Ltd., about 95-100% by volume is at prices which, after addition of the applicable customs duty, are below the non-injurious price of the domestic industry. In the case of the Wacker group, about 35-40% by volume of the exports to third countries is at such prices. It is seen that if the exports to third countries are diverted to India, a substantial part of these would be at injurious prices.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

139. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in AD Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the PUC has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pretax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III to the AD Rules.

140. The landed price and non-injurious price determined as above have been compared for the PUC. The injury margin determined for the producers/exporters is provided in the table below:

Particulars	NIP	Landed price	Injury margin		
	$/MT	$/MT	$/MT	%	Range
Shandong Dongyue Silicone Material Co Ltd	***	***	***	***	40-50%
Wacker Chemicals Fumed Silica (Zhangjiagang) Co., Ltd. (producer) through Wacker Chemicals (China) Co., Ltd. (exporter)	***	***	***	***	Negative
All other producers / exporters	***	***	***	***	50-60%

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

K.1 Submission made by the other interested parties.

141. The other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

i. The fall in imports during the POI and rise in import price will only cause increasing costs for downstream users and MSMEs.

ii. The domestic industry's impact calculation is incorrect and omits key user segments. Continued duty in the post-POI period, when the prices have increased, would lead to a cost increase of 24.37%.

iii. Domestic industry is presently the sole producer. Continued anti-dumping protection would reduce competitive pressure in the domestic market and increase dependence on a single domestic supplier.

iv. Subject goods are an important input used in a wide range of downstream industries, including pharmaceuticals, food products, paints, coatings, inks, adhesives, sealants, silicone polymers, polyester resins, cosmetics, battery gels and construction chemicals.

v. Imports of the product under consideration are already subject to Basic Customs Duty (BCD) of 4.13%, social welfare surcharge (10% of the Basic Customs Duty), in addition to the existing anti-dumping duty.

vi. Continuation of the existing anti-dumping duties would not be in the larger public interest.

vii. Anti-dumping duties cannot be continued merely to protect future investment decisions of the Domestic Industry.

viii. As the sole domestic producer, continued protection would reduce competition and increase dependence on a single supplier. Accordingly, the existing anti-dumping duties have served their remedial purpose and should be allowed to lapse.

K.2 Submission made by the domestic industry.

142. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

i. The cost of the product under consideration in the final product is very minimal and will have almost no effect on the end-users.

ii. The impact of continuation of the anti-dumping on these end products is below 1%.

iii. The duties have been in force for last five years and there has been no adverse effect of the measures.

iv. The plant set up by the applicant is intended to eliminate the reliance on imports and make country AtmaNirbhar.

v. The duties in place have allowed the domestic industry to grow and sell the product in the Indian market at profitable prices. The domestic industry is further utilizing profits earned to increase its capacity to reduce the demand-supply gap in the country.

vi. The domestic industry is undertaking debottlenecking and investing Rs 200 crore for capacity addition in order to fulfil the growing demand in the country.

vii. The significant investments being made by the applicant will severely suffer, if the duties are revoked.

viii. Continuation of duties would result in a fair market situation, and outgoing foreign exchange would be conserved

ix. Even if the duties are continued, the users have alternate sources of supply.

K.3 Examination by the Authority

143. It was examined whether the recommendation for continuation of imposition of anti-dumping duty will be against public interest. This determination is based on consideration of information on records and interests of various parties including the domestic industry, foreign producers and consumers.

144. The Authority issued initiation notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and others. The Authority also prescribed a questionnaire for the users/consumers to provide relevant information with regard to the present investigations, including effect of an antidumping duty on their operations. The Authority sought information on interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the consumers to switch sources, effect of anti-dumping duty on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by the imposition of anti-dumping duty.

145. The purpose of anti-dumping measures, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The domestic industry was suffering financially in the original investigation, and the imposition of anti-dumping duty had allowed the domestic industry to survive and grow. Therefore, the imposition of anti-dumping duty was in the interest of the domestic industry. The examination above shows that the performance of the domestic industry has

improved with the duty in force and that injury to the domestic industry is likely to recur in the event of cessation of the duty. The continued imposition of anti-dumping duty would, therefore, be in the interest of the domestic industry.

146. It is noted that imposition of anti-dumping duty does not restrict imports. Imports will continue to happen at fair prices. Anti-dumping duty ensures that the imports are entering the Indian market at fair prices and a level playing field is maintained between the foreign exporters and the domestic industry.

147. The Authority had prescribed an economic interest questionnaire which was sent to all interested parties in this investigation. The domestic industry has provided the following impact of anti-dumping duty. It is seen that the domestic industry had claimed an anti-dumping duty of Rs 50 per KG in its calculation of impact of duty. However, since the anti-dumping duty in force is USD 1,296 per MT (or Rs 112 per KG), the impact has been re-quantified and is shown below.

SN	Product		Pharma	UPR	Paints	Food - Anti caking agent
1	Product assumed		Paracetamol (Dolo-650 mg) 1 tablets weights 10g	Resins - Gel coats	Enamel Paints (high gloss)	Garam masala / curry powders
2	Average FS consumption	A	1%	3%	2%	2%
3	Unit of product, Kg	B	0.01	1.00	1.00	1.00
4	Price product Rs/KG	C	2.00	168.00	350.00	450.00
5	Avg FS Price Rs/KG	D	378.00	309.00	309.00	309.00
6	Fumed silica cost Rs/KG	E = A*B*D	0.04	9.27	6.18	6.18
7	Fumed silica cost on total price of product	F = E/C	2%	6%	2%	1%
8	ADD Rs/KG (estimated)	G	112.00	112.00	112.00	112.00
9	Impact of ADD Rs/KG	H =A*B*G	0.01	3.36	2.24	2.24
10	Impact of ADD %	I = H/C	1%	2%	1%	0%

148. It is seen that the impact of continuation of anti-dumping duty on downstream industries is insignificant. Apart from Wacker Metroark Chemicals Pvt. Ltd., which is related to a participating producer/exporter from the subject country, no user of the subject goods has participated in the present investigation, and no user has furnished verifiable information quantifying any adverse effect of the anti-dumping duty.

149. As regards the submissions that the domestic industry is the sole producer and that continuation of the duty would increase dependence on a single domestic supplier, the Authority notes that the anti-dumping duty does not restrict imports and only addresses dumped prices. Imports from other countries account for a significant share of the demand in India, and the subject imports have continued to enter the Indian market, and have increased, despite the duty in force. The capacity of the domestic industry is lower than the demand in India, and the users will, therefore, continue to have access to imports from multiple sources. The market share of the domestic industry has remained broadly stable over the injury period, the balance being met by imports.

150. It is also considered that the imposition of anti-dumping duty has contributed to the development and expansion of domestic production capacity in India. The domestic industry has already undertaken capacity expansion of approximately *** MT during the injury period, has commissioned a further debottlenecking of approximately *** MT in October 2026, and is in the process of setting up a greenfield plant of approximately *** MT, expected to become operational by ***. Such capacity additions are expected to enhance the availability of the product from domestic sources and reduce dependence on imports. Consequently, the increased domestic availability has also contributed to a reduction in the outflow of foreign exchange associated with imports of the subject goods. The Authority therefore considers that the capacity additions undertaken by the domestic industry reflect the positive impact of the anti-dumping measure in promoting domestic manufacturing and reducing import dependence. The Authority notes that the capacity additions undertaken and planned by the domestic industry are expected to reduce the demand-supply gap in the country.

L. POST DISCLOSURE COMMENTS

151. The essential facts of the investigation were disclosed to the interested parties through the disclosure statement dated 29th October 2026. The comments received from the interested parties on the disclosure statement have been examined and addressed in the following section.

L.1 Comments of the other interested parties

152. The other interested parties have made the following comments to the disclosure statement:

i. The Authority has acknowledged a substantial difference in prices between the two grades and domestic industry has expressly admitted that its profitability in the pharmaceutical segment is far better than that in the non-pharmaceutical segment. When such differences have been admitted, the Authority has erred in rejecting the request for separate PCNs for pharmaceutical and non-pharmaceutical grades.

ii. The Authority has not adequately examined the post period of investigation developments. Shandong had submitted that its export prices have shown an increasing trend after the period examined in the anti-absorption investigation. The

observation that no specific post-POI information or development was placed on record, is not correct.

iii. The mere increase in absolute import volumes cannot establish that such imports are likely to cause injury upon expiry of the existing duties. Accordingly, the increase in imports should not be treated as conclusive evidence of likelihood of injury.

iv. The mere existence of surplus capacity in the exporting country does not establish that such capacity will necessarily be directed towards India. The Authority is also required to examine the availability of other export markets, prevailing international demand, actual export trends and the commercial feasibility of diverting exports to India.

v. The domestic industry has enjoyed anti-dumping protection since November 2021 and has substantially improved its production, capacity utilisation and domestic sales. The domestic industry has not suffered continued injury as a result of dumped imports. Anti-dumping duties are intended to remedy injury caused by dumped imports and are not meant to provide perpetual protection or guarantee the commercial viability of future investments of the Domestic Industry.

vi. Non-participation of downstream users cannot be treated as evidence that continued duties have no adverse impact. The absence of user participation does not discharge the Authority from objectively examining the impact of duties on downstream industries.

vii. Jay Chem Marketing has requested that anti-dumping duty may be recommended in the form of minimum import price. The trader has claimed that since continuation of measures rests on likelihood, the form of anti-dumping duty may be modified to a reference price, which would keep fair-priced imports duty-free and ensure that MSMEs do not suffer.

viii. The Authority has observed that Wacker has exported non-pharma grade materials and its prices are higher in both the grades. However, Wacker has exported only the non-pharma grade to India.

L.2 Comments of the domestic industry

153. The domestic industry has made the following comments to the disclosure statement: -

i. Likelihood must be judged country-wide, not producer by producer. Only 2 Chinese producers have participated, out of more than 10 producers that can supply the product. The Appellate Body in US – Corrosion-Resistant Steel Sunset Review (WT/DS244/AB/R, para 149) held that Article 11.3 of the Anti-Dumping Agreement does not require company-specific likelihood findings.

ii. Both pharma and non-pharma grades come out of the same process; pharma grade is simply output tested to be within impurity limits. The Authority frames separate PCNs only where costs differ (typically by more than 5%). For pharmaceutical companies, impurity limits are non-negotiable, the product is a minor cost item, and buyers source mainly from qualified European suppliers, so pharma prices follow European prices.

iii. Framing PCNs would have no bearing on the outcome of the investigation, as Shandong has not exported both grades, so its export price is unaffected. Normal

value is based on Japanese imports, which had no pharma grade. The domestic industry reports no cost difference, so the NIP is unaffected.

iv. The demand in the period of investigation was *** MT against a capacity of *** MT; the market open to the domestic industry, excluding Wacker and non-Chinese imports, is *** MT. With the expansion, India can replace duty-paid and non-subject imports, export, and become self-reliant (AtmaNirbhar) in the product.

v. If the domestic industry has to match the ex-Wacker landed price of ₹ 2,71,267/MT, it would move from profits to losses and cash losses. The new plant would also face losses from the day it starts production.

vi. The domestic industry has not used the duty to overcharge and has priced its product below non-subject imports in both segments. The domestic industry benchmarks to China in non-pharma and to non-subject imports in pharma.

L.3 Examination by the Authority

154. The Authority has examined the comments of the interested parties on the disclosure statement. Most of the comments are reiterations of submissions made earlier in the investigation, which have already been examined and addressed in the relevant sections of these final findings. The issues raised afresh, or requiring further examination, are addressed below. As regards the comment of the Wacker group, the observation at paragraph 16 has been rectified, and the names of the producer and the exporter have been corrected in the dumping margin table, the injury margin table and the duty table.

155. The other interested parties have commented that despite the substantial difference in prices and profitability between the two grades, the Authority has incorrectly rejected the request for separate PCNs for pharmaceutical and non-pharmaceutical grades. The Authority notes that price difference alone does not justify a PCN methodology, as price variations across grades depend on factors beyond production cost. Technical and pharma grades share the exact same manufacturing process with no additional post-production refining; grades are assigned simply by testing and quantifying impurity levels after production (pharma grade requiring lower impurities). Additionally, records show that most pharma-grade imports originate from the European Union. The responding producers from China have not reported that they have exported both the pharma and non-pharma grades. It is also noted that adopting a PCN methodology would not change the outcome in the present case. The Authority has concluded that there is no material difference in the cost of production for the two grades. The Authority also considers that the non-injurious price is based on the cost structure of the domestic industry and therefore, framing PCN methodology will have no impact on the injury margin. Further, the normal value is based on the imports from Japan which are only of non-pharmaceutical grade and therefore, framing PCN methodology will have no impact on the dumping margin. Therefore, no useful purpose shall be served by segregating export price of different grades and there shall be no impact on resultant dumping margin and injury margin whether the products are treated as one or different PCNs.

156. Regarding the comments by Shandong Dongyue Silicone Material Co. Ltd. that its export prices increased after the period of investigation of the anti-absorption investigation period (1st July 2023 to 30th June 2024), the Authority notes that the period of investigation of the present investigation (1st October 2024 to 30th September 2025) succeeds the period of the anti-absorption investigation, and the injury period of the present investigation covers the intervening period. The pricing of the exporter after the anti-absorption investigation has, therefore, already been taken into account. Furthermore, given that the domestic industry was found not to have suffered continued injury during the present period of investigation, the exporter has not demonstrated how analysing post-period of investigation data would alter any material facts or conclusions of the investigation.

157. As regards the comment of the other interested parties that absolute import volume increase and surplus capacity are insufficient evidence of likelihood of injury or export diversion, the Authority clarifies that these metrics were not evaluated in isolation. Imports have increased relative to both domestic production and total Indian consumption. Responding producers hold idle production capacities, and third-country export data shows that 95-100% of Shandong's exports to third countries are below normal value, with 45-55% priced even lower than its exports to India. Since the landed price of imports from Shandong is below the cost of sales of the domestic industry, continued low-priced imports pose a direct threat to price stability in the domestic market in the event of expiry of the measures. The Authority therefore holds that there is a clear likelihood of export diversion to India in case of cessation of duties.

158. The other interested parties have commented that the domestic industry has not suffered continued injury as a result of dumped imports and that the domestic industry has enjoyed anti-dumping protection since November 2021. The Authority notes that the Authority has also concluded absence of continued injury to the domestic industry. However, absence of continued injury could be a result of the very imposition of anti-dumping duty and does not in itself establish that there is no likelihood of recurrence of injury to the domestic industry in case the present anti-dumping duty is allowed to cease. The mere fact that the performance parameters of the domestic industry recorded improvement during the injury period does not warrant removal of the duty. It is considered that the improvement is attributable to the measures in force. The Authority also notes that the landed price of imports from Shandong Dongyue Silicone Material Co., Ltd. is below both the selling price and cost of sales of the domestic industry. The Authority considers that, upon cessation of the anti-dumping duty, imports at such lower price levels will exert downward pressure on the prices of the domestic industry and will adversely affect its price realisation and profitability. The Authority has already examined above the adverse effect of cessation of anti-dumping duty on the domestic industry which shows that cessation of duty will likely lead to domestic industry suffering financial and cash losses. The domestic industry has also placed on record information on its completed, ongoing and planned capacity additions, the viability of which would be adversely affected in case of cessation of the duty.

159. On the comments of the interested parties that measures may be modified to a reference price, the Authority notes that it is recommending continuation of the measures on the basis of likelihood of continuation of dumping and or recurrence of injury. Therefore, it would not be appropriate to re-quantify the quantum or change the form of the duty in force in the facts and circumstances of the present case.

160. The other interested parties have argued that non-participation of downstream users cannot be treated as evidence that continued duties would have no adverse impact. The Authority notes that the non-participation has not been seen in isolation. However, the fact that the users have not participated further reinforces the claim of the domestic industry that the cost of the product under consideration in the final product is minimal and that the duty will have almost no effect on the end-users. The responding interested parties have also not provided any evidence to counter the facts stated by the domestic industry. In any case, the impact of the anti-dumping duty on downstream products has been examined and is found to be low. It is also considered that the analysis of public interest is not restricted to the user industry alone and also takes into account the domestic producers. The Authority also considers that the duties in place have allowed the domestic industry to grow. The domestic industry has already undertaken de-bottlenecking to increase its capacity from *** MT to *** MT at a capital investment of ₹ *** crore. The domestic industry has recently undertaken another debottlenecking, increasing its capacity by *** MT and invested nearly ₹ *** crore in this debottlenecking. The domestic industry is now setting up a new production line for the product under consideration with a capacity of *** MT and an investment of ₹ *** crore.

M. CONCLUSION

161. Having regard to the contentions raised, information provided, submissions made, and the facts available before the Authority as recorded above, and on the basis of the above analysis of dumping, injury and causal link, the Authority concludes that:

i. The present sunset review investigation was initiated under Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of the Rules to examine whether the expiry of the anti-dumping duty in force on imports of "Untreated Fumed Silica" originating in or exported from China PR, is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

ii. The Authority considers that no PCN methodology was required to be adopted in the present investigation.

iii. None of the producers/exporters from China PR filed market economy treatment questionnaire so as to rebut the presumption of non-market economy status. The normal value has accordingly been determined under Para 7 of Annexure I to the Rules on the basis of import price from Japan adjusted to arrive at net ex-factory level. The normal value has been determined considering the import price from Japan, which in the present investigation period pertained to imports of the product for non-pharma application.

iv. The investigation has shown existence of significant dumping from China. The Authority has determined dumping margin as 50-60% in case of Wacker Chemicals

Fumed Silica (Zhangjiagang) Co. Ltd, 130-140% in case of Shandong Dongyue Silicone Material Co Ltd and 150-160% for all other producers/exporters.

v. The demand for the product under consideration increased while the duties were in place. The demand was highest in the period of investigation. The volume of imports from China PR has increased over the injury period and was the highest in the period of investigation.

vi. The landed price of imports from Shandong Dongyue Silicone Material Co., Ltd. is below the selling price and cost of sales of the domestic industry. It is seen that if the domestic industry is required to match the landed price of such imports in the absence of anti-dumping duty, its profit would turn into losses, and the domestic industry would suffer cash losses and negative return on capital employed.

vii. The production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry have increased over the injury period. The profitability parameters of the domestic industry have also improved over the injury period. The domestic industry has not suffered continued injury in view of anti-dumping duty in place.

viii. Continued dumping at increased margins, despite the measure in force, establishes that dumping is likely to continue in the event of expiry of duty. Both the volume of imports and dumping margin have increased in the current POI as compared to the original investigation.

ix. Producers in the subject country are operating with significant idle capacities, and a significant share of production is being utilized for export operations. The additional production feasible in China PR with its current capacity, at the capacity utilisation level of the domestic industry, is nearly 8 times the demand in India. This clearly shows ability of the Chinese producers to take away entire Indian demand, in case of cessation of anti-dumping duty and the domestic industry chooses to hold on to its prices despite such cessation.

x. In case of Shandong Dongyue Silicone Material Co Ltd., 15-25% of its capacity is idle and 10-20% of its production is exported. The volume is quite significant, having regard to demand for the product in India.

xi. Exports of both the participating producers to third countries are largely below normal value, and a substantial part of such exports is below their export price to India and below the non-injurious price of the domestic industry.

xii. The information on record shows likelihood of continuation of dumping and likelihood of recurrence of injury to the domestic industry in case the anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage.

xiii. Impact of the anti-dumping duty on the downstream industry is found minimal at 0% to 2%.

xiv. The duty has allowed the domestic industry to increase its capacity and meet the growing demand in the country. The domestic industry is reinvesting its earnings in three projects totalling *** MT. While the domestic industry has already undertaken two capacity debottlenecking, it is now investing in a new greenfield plant of *** MT capacity. The Authority notes that the investments made and committed by the domestic industry are significant and level playing field in the form of anti-dumping duty against unfairly priced dumped imports is necessary to protect these new and existing investments in the country.

N. RECOMMENDATION

162. The Authority notes that the present proceedings were conducted in accordance with the Act and the Rules. All interested parties were duly notified and were granted adequate opportunity to provide information and present their views on the matters under investigation, including dumping, injury, causal link, likelihood of continuation of dumping and injury and impact of the measures on the Indian industry. Pursuant to the sunset review, the Authority has arrived at the conclusion that continuation of the existing anti-dumping duties is required in the present case for a further period of five years.

163. Since the Authority has recommended continuation of the measures on the basis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, the Authority does not consider it appropriate to re-quantify the quantum of duty in force. The Authority considers it appropriate to recommend continuation of the definitive anti-dumping duty recommended vide Final Findings No. 6/40/2020-DGTR dated 20th September 2021 and imposed vide Customs Notification No. 66/2021-Customs (ADD) dated 11th November 2021, as modified pursuant to Final Findings No. 7/05/2025-DGTR dated 11th August 2025 and accepted by the Ministry of Finance vide Customs Notification No. 30/2025-Customs (ADD) dated 27th October 2025.

164. The Authority, after examining submissions made by all interested parties in the present investigation, considers it appropriate and necessary to recommend continuation of definitive duties equal to the figure indicated in Column 7 of the duty table below for a period of five (5) years from the date of the notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

Duty Table

SN	Heading	Description	Country of Origin	Country of export	Producer	Amount	UOM	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	28112200	Untreated Fumed Silica	China PR	Any country including China PR	Shandong Dongyue Silicone Material Co., Ltd.	1,296	MT	USD
2	do	do	China PR	Any country including China PR	Wacker Chemicals Fumed Silica (Zhangjiagang) Co., Ltd.	NIL	MT	USD

3	do	do	China PR	Any country including China PR	Any producer other than 1 and 2	1,296	MT	USD
4	do	do	Any country other than China PR	China PR	Any	1,296	MT	USD

165. The application of the individual duty rate specified for the producer/exporter mentioned at SN 1 and 2 of the above duty table shall be conditional upon presentation to the customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

> *'I, the undersigned, certify that the (volume) of Untreated Fumed Silica sold for export to India covered by this invoice was manufactured by (company name and address) in China PR. I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.'*

166. If no such invoice is presented, the residual duty applicable to 'any other producer' shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs law and regulations.

O. FURTHER PROCEDURE

167. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with Section 9C of the Customs Tariff Act, 1975 and the relevant provisions of the Rules.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.11.07 01:22:32 +05'30'